राजस्थान विधान सभा

१०वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक-१८ मार्च, १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन जयपुर, में प्रातः ८ बजे कर ३० मिनिट प्रातः पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १०४.

तहसील पंचायत, बड़ी सादड़ी को शासकीय अर्थ सहायता

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि तहसील पँचायत, बड़ी सादड़ी को स्थापित हुए करीब पांच माह का अर्सा हुआ है ?

(ख) अभी तक इस तहसील पंचायत को कितना सरकारी खर्चा मिला है ?

श्री कुंभाराम आर्य—(स्वायत्त शासन मंत्री)

क– नहीं।

ख– कुछ नहीं।

श्री जगतसिंह झाला—कुछ सुनाई नहीं दिया साहब।

श्री अध्यक्ष—कुछ नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पंचायतों को खर्चा देने का आधार क्या है ?

श्री कुंभाराम आर्य—पंचायतें जरूरत होने पर मांग लेती हैं।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार यह ठीक नहीं समझती कि उनको जल्दी पैसा बगैर मांगे दिया जावे ताकि उनका काम चले।

श्री कुंभाराम आर्य—सही नहीं होगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर में पंचायतें काम कर रही हैं, मगर उनको अभी तक पैसा नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री कुंभाराम आर्य—पुरानी पंचायतें जो पुराने एक्ट के अनुसार चल रही हैं, उनको किसी को पैसा नहीं देते।

श्री जगतसिंह झाला—जो पंचायतें चुनी हुई हैं उनको भी अभी तक पैसा नहीं मिला उसका क्या कारण है ? उसको बने हुए ६ माह हो गये।

श्री कुंभाराम आर्य—उनके लिये जल्दी ही व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री जगतसिंह झाला—'जल्दी' का क्या मतलब है ?

श्री कुंभाराम आर्य—अभी महीने भर में।

श्री जवानसिंह—अब तक वहां का प्रबन्ध कैसे चल रहा है ?

श्री कुंभाराम आर्य—यह प्रबन्धकर्ता से पूछिये।

श्री जवानसिंह—अभी वहां किस तरह से काम चलता है ?

श्री कुंभाराम आर्य—जिस किसी पंचायत ने मांग की है उसकी मांग को पूरा करने की कोशिश सरकार ने की है।

श्री जवानसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि अब तक काम किस प्रकार चलता है ?

श्री कुंभाराम आर्य—जैसे किसी पंचायत को पैसे की आवश्यकता हुई और उसने मांग की तो उसको पूरा करने की सरकार ने कोशिश की।

श्री हिम्मतसिंह—पंचायत ने जरूरत को किस तरह पूरा करने की कोशिश की है ?

श्री कुंभाराम आर्य—किसी पंचायत से आपस में उधार लिया हो।

श्री हिम्मतसिंह—क्या पंचायतें उधार से काम चलाती हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य—मैंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा करे तब तक उधार से काम चला सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—बगैर पैसे पंचायतों की उन्नति कैसे हो रही है ?

श्री कुंभाराम आर्य—उनको पैसा दिया जावेगा और नकद रुपया दिया जावेगा।

श्री हिम्मतसिंह—रुपया किस हिसाब से दिया जावेगा ?

श्री कुंभाराम आर्य—बांटें, उस वक्त देख लेना।

श्री जगतसिंह झाला—अश्रव्य (सुना नहीं गया की आवाज)

श्री कुंभाराम आर्य—अभी कोई ऐसा समाचार हमारे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। प्रश्न संख्या १०५.

प्रश्न संख्या १०५.

ग्राम पंचायत कापरेन के सरपंच का चुनाव

श्री केसरी सिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम पंचायत कापरेन, ज़िला बूंदी के सरपंच ने कब त्यागपत्र दिया ?

(ख) क्या यह सही है कि त्यागपत्र दिये जाने के बाद भी यही सरपंच पंचायत में काम करता रहा ?

(ग) क्या कारण है कि अब तक दूसरे सरपंच का चुनाव नहीं कराया गया ?

(घ) इस पंचायत की अवधि कब खतम होती है ?

श्री कुंभाराय आर्य (स्वायत्त शासन मंत्री)—

१. दिनाङ्क २–२–५४ को दिया, जो ८–३–५४ को स्वीकार हुआ।

२. ऐसी कोई सूचना नहीं है।

३. क्योंकि इस पंचायत की अवधि ११–८–५४ को समाप्त होती थी, और राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा २० के प्रावधान के अनुसार ६ माह से कम समय अवशेष रहने के कारण सरपंच के दुबारा चुनाव की आवश्यकता न थी, तदुपरान्त चीफ पंचायत ऑफिसर ने २१–१०–५४ को चुनाव कराने के आदेश दिये किन्तु डिविज़नल पंचायत ऑफिसर के अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, में अलवर में स्पेशल ड्युटी पर होने के कारण उस पर यथा समय कोई कार्यवाही न हो सकी। फिर इस पंचायत के निर्वाचन की तिथि २–२–५५ निश्चित कर तहसीलदार को निर्वाचनाधिकारी नियुक्त किया गया। किन्तु उक्त तिथि को चुनाव नहीं हो सका, क्योंकि उस समय वहां ऐसी स्थिति होगई, जिससे शान्ति भंग होने का भय था। अब पुनः चुनाव १६–३–५५ का निश्चित किया गया है ।

४. अवधि ११–८–१६५४ को समाप्त हो चुकी। अवधि बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है।

श्री केसरीसिंह—इस समय वहां पर सरपंच का काम कौन करता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—पंच अपने कोरम से किसी को सरपंच बना कर काम कर सकते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—प्रश्न (ख) का जवाब नहीं दिया गया।

श्री कुम्भाराम आर्य—जब तक किसी का त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हो तब तक वह अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या उस सरपंच का त्याग-पत्र मंजूर हो चुका है?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या उसकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति काम कर रहा है, या वही व्यक्ति काम कर रहा है?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह व्यक्ति सरपंच का काम नहीं कर सकता।

श्री केसरीसिंह—क्या पंचायत में सरपंच बैठता ही नहीं?

श्री कुम्भाराम आर्य—पंचायत के पंचों में से कोई भी बैठ सकता है।

श्री केसरीसिंह—क्या सरकार यह बताएगी कि कौन काम करता है?

श्री कुम्भाराम आर्य—सरपंच की गैर हाज़री में उसकी जगह कोई भी पंच काम कर सकता है।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि सरपंच जिसने कि इस्तीफा दे दिया है, वहां पर अभी तक काम करता है।

श्री कुम्भाराम आर्य—इस्तीफा देने के बाद यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री केसरीसिंह—क्या सरकार मेरे इस चैलेंज को कि वही सरपंच अभी भी वहां काम करता है, स्वीकार करेगी!

श्री कुम्भाराम आर्य—इस्तीफा देने से पहले ऐसा करते होंगे।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि सर पंच ने त्यागपत्र दे दिया है, फिर भी वह सरपंच का काम कर रहा है?

श्री कुम्भाराम आर्य—सुना नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—रिपीट करिये।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि सरपंच ने त्यागपत्र दे दिया है, फिर भी वह सरपंच का काम कर रहा है।

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—पहले सरपंच की जगह वहां पर अब कौन काम कर रहा है।

Page No.5

श्री कुम्भाराम आर्य—यह अलग पूछिये।

श्री कवरलाल जेलिया—वहां पर सरपंच ने त्यागपत्र दे दिया फिर भी कोई सरपंच नहीं चुना गया। इतनी देरी का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कारण ही तो मैंने खड़े होकर निवेदन किया।

श्री कवरलाल जेलिया—क्या सरकार इस देरी को संतोषजनक समझती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह समझा जावे कि इस तरह की देरी जानबूझ कर की जा रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह आपके समझने की बात है जो चाहें समझ लें।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—इस पंचायत का अब सरपंच की जगह कौन काम चला रहा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हाल की तिथि में सही नहीं कहा जा सकता।

श्री केसरीसिंह—क्या यह समझा जावे कि इस पंचायत का काम बन्द रहा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी नहीं।

श्री केसरीसिंह—जी नहीं, पहले तो करते थे, मगर त्यागपत्र देने के बाद भी कर रहे हैं !

श्री कुंभाराम आर्य—आप कहते हैं तो जांच कराई जावेगी।

श्री केसरीसिंह—कब तक जांच कराई जावेगी ?

श्री कुंभाराम आर्य—जो अवधि आप मुकर्रर करेंगे।

श्री केसरीसिंह—मंत्री, श्रीमान् हैं।

श्री कुंभाराम आर्य—मैं आपकी इच्छा पूरी करने की घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या १०६

(प्रश्नकर्त्ता श्री खेतसिंह अनुपस्थित)

श्री कुंभाराम आर्य—मेरे पास इसका उत्तर मौजूद है अगर चाहें तो बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप इसका उत्तर पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिये देना उचित समझें तो बोल सकते हैं।

प्रश्न इस प्रकार है

क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला जोधपुर में कुल कितने गांव स्केअरसिटी एरियाज घोषित किये गये हैं ? कृपया तहसीलवार नामों की एक सूची सूचनार्थ दें ?

(ख) क्या गत अकाल के समय जो सड़कें शेरगढ़ तहसील में अधूरी छोड़ी गई थीं वे इस वर्ष पूरी की जायेंगी ? यदि हां, तो किस तारीख से कार्य शुरू किया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

[श्री अध्यक्ष]

(ग) तहसील शेरगढ़ को इस वर्ष सहायतार्थ कितने रुपये की मन्जूरी दी गई है और वह मन्जूरशुदा रुपया किन किन कार्यों में कहां कहां खर्च किया जायगा ? उसकी एक सूची कृपा कर दिलवायें ?

(घ) राजस्थान में सबसे ज्यादा रकम इस वर्ष अकाल सहायतार्थ कौन से जिले को दी गई है ?

(ङ) क्या जैसलमेर जिले को भी इस वर्ष अकाल सहायतार्थ रूपक रकम दी जावेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

(च) अन्य जिलों के स्केअरसिटी एरियाज के गांवों के नाम जो कि राजस्थान राजपत्र में शाया हुए थे उनमें जोधपुर जिले के उन गावों के नाम जो स्केअरसिटी एरिया में शुमार किये गये हैं क्यों नहीं शामिल किये गये,

श्री कुंभाराम आर्य—(अकाल सहायता मंत्री)

क. जी नहीं। क्योंकि जयपुर का ज़िला बोर्ड, जयपु स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत काम कर रहा है जिसे जयपुर से बाहर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

ख. जी नहीं, पर जन हितकारी कार्यों के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जल्द कायम होना आवश्यक है, अतः पंचायतों के चुनाव समाप्त होते ही इसकी व्यवस्था के आदेश दे दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

(माननीय मन्त्री बैठ जाते हैं)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता। प्रश्न संख्या १०७।

प्रश्न संख्या १०७

सन् १९५४-५५ में वन विभाग क्षेत्र में आग लगने से क्षति

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् ५४-५५ के वर्ष में राजस्थान में वन विभाग के कितने एरिया में आग लगने से नुकसान हुआ ?

(ख) कुल कितनी मालियत के नुकसान का अनुमान लगाया गया ?

(ग) आग लगने की कुल कितनी घटनाएं हुई ?

(घ) आग लगने के कारणों की जांच किस किस आफिसर द्वारा कराई गई ?

(ङ) आग लगाने वाले व्यक्तियों से कितनी रकम मावज़े के रूप में वसूल की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) सन् ५४-५५ के वर्ष में राजस्थान में वन विभाग में करीब दो लाख एकड़ के क्षेत्रफल में नुकसान हुआ।

(ख) करीब ७५००) रु० की मालियत की हानि हुई।

(ग) आग लगने की कुल ६२ घटनाएं हुई।

(घ) आग लगने की जांच स्थानीय रेंज व डिप्टी रेंज ऑफिसरान द्वारा कराई गई।

Page No.7

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ङ) मुलजिमान का सही पता अभी तक नहीं चलने से कुल डिवीज़नों में मुआवज़ा वसूल नहीं हो सका।

श्री चांदमल मेहता—ये घटनाएं किस २ डिस्ट्रिक्ट में अधिक हुई हैं, क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हमारे फॉरेस्ट डिवीज़न अलग अलग हैं।

श्री चांदमल मेहता—किस किस डिवीज़न में अधिक आग लगने की घटनाएं हुई, क्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राज हिम्मतसिंह—जवाब दे रहे हैं साहब।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें से गिनती करके बता सकता हूं। मैं इसको सदन की टेबल पर रख दूंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि आग लगने की घटनाओं के वक्त पर स्थानीय अधिकारियों ने जांच नहीं की और इसलिए मुल्जिमों का पता नहीं लगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—स्थानीय अधिकारियों ने जांच की। जंगल में आग लगने की कम घटनाएं मिली हैं।

श्री कंवरलाल जैलिया—क्या यह सही है कि सिरोंज में अधिक घटनाएं हो रही हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सिरोंज, झालावाड़ डिवीज़न में है जहां कि चार घटनाएं हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इतने बड़े एरिया में आग लगने से बचने के सम्बन्ध में कोई योजना रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां, ऐसा सोचा जाता है कि फॉरेस्ट को आग लगने से बचाने के लिए ऐसे रास्ते बनाये जांय जिनको फायर लाइन्स कहते हैं। यह काम शुरू करने का इरादा है।

श्री चांदमल मेहता—यह कब तक शुरु करने का विचार सरकार रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह इसी साल।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—इतने अर्से तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इतनी घटनायें हुई इसलिए अब जरूरी समझा गया।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—इतनी घटनाएं पहले नहीं हुई थीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शायद नहीं हुई।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—ज्यादा होने का कारण क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ज्यादा और कमती तो जंगलात जलने के ऊपर डिपेंड करता है।

Page No.8

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—इसमें नई सरकार का तो कोई हाथ नहीं है।

(हंसी) (विराम)

श्री चांदमल मेहता—दो लाख एकड़ में नुकसान की तादाद बतायी गई है, तो क्या मंत्री महोदय उसको ठीक मानते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जैसी इन्फोर्मेशन है, उसको तो ठीक मानना पड़ेगा।

श्री चांदमल मेहता—दो लाख एकड़ में वृक्षों का नुकसान कई लाख का हो सकता है, जब कि कई हजार का बताया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आम तौर पर मामूली जगह जहां पर कि घास होती है, मामूली लकड़ी होती है, वहां आग लग जाय तो नुकसान थोड़ा होता ही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या घास की वेल्यू भी पेड़ों के एवज़ में प्रति एकड़ कम नहीं होती है

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ठेके दिये हुए होते हैं तो ठेकेदारों को नुकसान होता है।

श्री चांदमल मेहता—ठेकेदारों को इससे कितना नुकसान हुआ है, क्या यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ठेकेदारों के नुक्सान की जिम्मेदारी हमने नही ली है।

प्रश्न संख्या १०८

जिला जयपुर की भांति जिला जोधपुर में भी जिला बोर्ड की स्थापना

श्री खेतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला जयपुर की तरह जिला जोधपुर में भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम किया जावेगा ? यदि हां, तो कब ? याद नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि जिला जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न होने से जनहितकारी कार्यों में बड़ा बिलम्ब होता है ? यदि हां, तो सरकार जल्दी ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्यों नहीं कायम करती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वायत्त शासन मन्त्री)—जी नहीं। क्योंकि जयपुर का जिला बोर्ड, जयपुर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत काम कर रहा है जिसे जयपुर के बाहर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

(ख) जी नहीं। पर जनहितकारी कार्यों के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जल्द कायम होना आवश्यक है। अतः पंचायतों के चुनाव समाप्त होते ही इसकी व्यवस्था के आदेश दे दिये जावेंगे।

(कुंवर श्री जसवन्तसिंह और श्री कंवरलाल जेलिया प्रश्न पूछने खड़े हुए।)

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में जिन ज़िलों में जिला बोर्ड नहीं बन पाये हैं ...

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव जिस प्रकार पंचायतों के चुनाव हुए हैं उसी स्टैंडर्ड पर होंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इसके लिए कानून बना हुआ है।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—कानून तो पंचायतों के इलेक्शन के लिए भी बने हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार पंचायतों के इलेक्शन हो रहे हैं और जिस स्टैन्डर्ड और एफिसियेन्सी से हो रहे हैं उसी प्रकार क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी चुनाव होंगे।

श्री कुम्भाराम आर्य—पंचायतों के चुनाव कानून के अन्तर्गत हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी होंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में जिन जिलों में पंचायतों के चुनाव तो हो चुके हैं, किन्तु जिला बोर्ड नहीं बन पाये हैं तो उनका चुनाव कब तक होजाने की उम्मीद है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—पंचायतों के चुनाव जहां जहां होगये हैं वहां वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बन जायेंगे ?

श्री कंवरलाल जेलिया—और जहां पंचायतों के चुनाव हुए एक साल हो गया है वहां के लिए क्या समझना चाहिए ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वहां जल्दी हो जावेंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि कोटा डिवीज़न में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं तो अब वहां कितने महीनों की उम्मीद की जाय कि वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव हो जायगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जल्दी ही।

श्री कंवरलाल जेलिया—जल्दी का मतलब।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १०६

हर पंचायत को पंचायतघर स्थापित करने के निमित्त शासकीय दो तिहाई सहायता

श्री खेतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सरकार का हर पंचायत को पंचायत घर बनाने के लिए दो तिहाई सरकारी सहायता देने का विचार है ?

(ब) क्या राजस्थान राज पत्र में छाया होने के बाद भी पंचायतों के पंचायत केन्द्र बदले जा सकते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वायत्त शासन मन्त्री)–(अ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंचायतघरों के निर्माण में सहायता देने के लिए भारत सरकार से निवेदन किये जाने की बात है।

(ब) चूंकि इसी विषय पर हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई है इसलिए कोई भी उत्तर देना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ११०

जोधपुर डिविज़नल पंचायत अधिकारी को किसी दूसरे विभाग में स्थानान्तरित करना

श्री खेतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(अ) जोधपुर डिवीज़न पंचायत ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन है ? यह कौनसे विभाग से इस विभाग में आये हैं, और इनके आने के बाद जोधपुर डिवीजन में पंचायत कार्यों में कितनी प्रगति हुई है ?

(आ) क्या सरकार ऐसे अनुपयुक्त अफसर को जनकल्याणकारी विभाग में से हटाकर देवस्थान धर्मपुरा या और ऐसे किसी अन्य डिपार्टमेंट में लगाने की कृपा करेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वायत्त शासन मंत्री)—(अ) जोधपुर डिविज़न के डिविजनल पंचायत ऑफिसर ने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है। पंचायत विभाग में आने से पहले ये यातायात विभाग में थे और वहां से परिवर्तित होकर पंचायत विभाग में आये हैं। पंचायतों में जो प्रगति पहले चल रही थी, वह उनके आने के बाद भी चल रही है।

(आ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार आर. ए. एस. ऑफिसर्स सरप्लस बैठे हैं उनमें, से किसी को डिविज़नल पंचायत ऑफिसर मुकर्रर करने की कोई तैयारी कर रही है ?

Page No.11

श्री कुम्भाराम आर्य—जगह खाली होने पर।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सत्य है कि जो पंचायत ऑफिसर पहले थे, उनको सरप्लस डिक्लेयर कर दिया गया था?

श्री कुम्भाराम आर्य—इसकी सर्विसेज़ के रेकर्ड की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सत्य है कि इससे पहले जो पंचायत ऑफिसर काम कर रहा था, उनको हटा दिया गया और उनको सरप्लस डिक्लेयर करके एक सरप्लस ऑफिसर को लगाया गया?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा नहीं है। पहले वाला निकल गया था। उनकी जगह खाली हुई।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—पहले वाले कहीं भाग गये थे?

श्री कुम्भाराम आर्य—प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया वैसा हुआ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या वह सरप्लस में जाना चाहता था?

श्री कुम्भाराम आर्य—कोई यह नहीं चाहता।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—फिर सरप्लस क्यों समझा जाता है?

श्री कुम्भाराम आर्य—मजबूरी होती है।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार की यह नीति है कि हाउस में अयोग्य आदमियों को योग्य बताने की कोशिश की जाय?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं जी।

श्री किशनलाल शाह—यातायात विभाग में उनका क्या केडर था?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह अलग से पूछिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १११

राजस्थान की विभिन्न तहसीलों के पेड़ों पर नम्बर लगाना इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में ऐसी कितनी तहसीलें हैं जहां वन विभाग के पेडों पर नम्बर लगे हुए हैं?

(ख) सन् ५४-५५ के वर्ष में किस किस तहसील में पेड़ों की जांच की गई?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) उक्त जांच से कितने पेड़ चोरी से काटना पाया गया ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) वन विभाग के पेडों पर किसी भी तहसील में नम्बर नहीं लगे हुए हैं।

(ख) वृक्षों पर नम्बर नहीं होने से जांच का प्रश्न नहीं उटता।

(ग) यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है, कि पेडों पर नम्बर नहीं लगाने की वजह से प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में वृक्ष वन अधिकारियों द्वारा बेचे गये हैं ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—रिजर्व फोरेस्ट्स में नम्बर लगाना बड़ा मुश्किल है। पी. डब्ल्यू. डी.के जो पेड़ हैं, उन पर नम्बर लगे हुए हैं।

श्री चांदमल मेहता—पेड़ों को वन अधिकारियों द्वारा बेचने के सम्बन्ध में क्या कोई जानकारी है ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—वन अधिकारियों को पेड़ों को बेचने का अधिकार है, और वे महसूल लेकर बेच सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—अधिकारी पेड़ बेचकर पैसा सरकारी खज़ाने में तो जमा नहीं कराते और अपने आपके उपयोग में लाते हैं, क्या इसकी कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—कोई शिकायत आने पर जांच कर सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों से जांच कराई जाने की कोई व्यवस्था है ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—विशेष व्यवस्था तो कोई नहीं है, और शिकायतें आयेंगी, या बहुत ज्यादा शिकायतें आवेंगी तो जांच कराने की व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है, कि राजस्थान में पेड़ों को बेच करके रुपया हड़प कर लिया जाता है ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की जांच करके कोई उचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—अगर माननीय सदस्य मदद करें।

Page No.13

कु. श्री जसवन्तसिंह—अभी जैसा कि माननीय मंत्री ने फरमाया बहुत ज्यादा शिकायतें आयगी तो कार्यवाही की जायगी, तो बहुत ज्यादा से क्या मतलब, क्या हजार, दो हजार या दस बीस, कम से कम कार्यवाही के लिये कितनी शिकायतों का आना आवश्यक है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी तक तो, एक भी नहीं आई।

प्रश्न संख्या ११२.

ग्राम पपिल्या, तहसील नेनवा, जिला बून्दी में ग्राम पंचायत सम्बन्धी आदेश

महाराज श्री केसरी सिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम पपिल्या, तहसील नेनवा, जिला बून्दी, में अलग अलग ग्राम पंचायत कायम होने का आदेश कब हुआ ?

(ख) क्या पपिल्या में पंचायतें कायम होगई है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) २०-१०-५४ को। (ख) अभी नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—इतने दिन लगने के क्या कारण हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इस जगह के पंचायत आफिसर को चुनाव में दूसरी जगह काम में लिया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या वह हुक्म बून्दी तक पहूंचा या कोटा में ही रह गया ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हुक्म तो बून्दी पहुंचा है जी।

महाराज श्री केसरीसिंह—न तो बूंदी पहुंचा है और न इन्सपेक्टर के पास।

श्री कुम्भाराम आर्य—हुकम तो पहुंच गया है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—बीच में नदी आती है, शायद रुक गया होगा। (हंसी)

महाराज श्री केसरीसिंह—मंत्री जी बता सकते हैं, यहां पंचायतें कब तक कायम हो जायेंगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—शीघ्र।

महाराज श्री केसरीसिंह—तारीख कौनसी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—सदस्य महोदय जो भी मुकर्रर कर दें।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या वहां से कोई कृपापात्र नहीं चुना गया इस लिये वहां पंचायत का बनना रुका हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११३.

बनेड़ा में ग्राम पंचायत के चुनाव

श्री कस्तूरचन्द—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

ज़िला भीलवाड़ा, बनेड़ा खास, में ग्राम पंचायत का चुनाव कब हुआ था, और अब नया चुनाव कब होगा ? यदि नहीं होगा, तो क्यों नहीं ?

श्री कुंभाराम आर्य—चुनाव १२-५-५२ को हुआ था। अभी नये चुनाव का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि इस पंचायत की अवधि दिसम्बर, १९५५ में समाप्त होगी।

प्रश्न संख्या ११४.

बनेड़ा की ग्राम पंचायत द्वारा कुम्हारों को बरतन बनाने से रोकना

श्री कस्तूरचन्द—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला भीलवाड़ा, खास बनेड़ा, में ग्राम पंचायत ने समस्त कुम्हारान को मिट्टी के बरतन पकाने से रोक दिया है ?

(२) क्या इन कुम्हार लोगों को बरतन पकाने को दूसरा स्थान बताया गया है ?

(३) बन्द किये हुए को कितना अरसा हुआ है ?

श्री कुंभाराम आर्य—(१) नहीं। समस्त कुम्हारान को नहीं रोका गया, केवल तीन कुम्हारान के विरुद्ध बरतन नहीं पकाने का पंचायत ने आदेश दिया है, जो भी अभी कार्यरूप में नहीं लाया गया।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री कस्तूरचन्द—क्या माननीय मंत्री इस बात पर विश्वास करेंगे कि समस्त कुम्हारान को उस जगह बरतन पकाने के लिये बन्द कर दिया गया है, और दूसरी जगह नहीं बताई गई है ?

श्री कुंभाराम आर्य—मैं इस पर विश्वास नहीं करता।

श्री कस्तूरचन्द—क्या माननीय मंत्री महोदय इस पर विश्वास नहीं करते, तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कुंभाराम आर्य—जिस बात पर विश्वास नहीं करता, उसकी जांच से कोई मतलब नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय मंत्री महोदय जो एम० एल० ए० इनफॉरमेशन देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते ?

श्री कुंभाराम आर्य—वे अगर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो जांच कराने के लिये तैयार हूं।

श्री कस्तूरचन्द—तीन आदमियों को जो रोका गया, तो अब उनको फिर से क्यों इजाजत दी गई ?

श्री कुंभाराम आर्य—इसमें ऐसा है कि उन लोगों ने पंचायत के साथ बात करके, कुछ पाबन्दियों के साथ काम करना स्वीकार कर लिया है, इसलिए वे काम कर रहे हैं ।

श्री कस्तूरचन्द—तो क्या इससे यह समझा जाय कि पहले जो आज्ञा दी गई वह रद्द समझी जाय ?

श्री कुंभाराम आर्य—इन पाबन्दियों के साथ ।

श्री कस्तूरचन्द—तो क्या अब बिना रोक टोक के वे बरतन बना सकेंगे ?

श्री कुंभाराम आर्य—रोक टोक निकाल दीजिये तो काम चल जायगा ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—इन तीनों व्यक्तियों को ही मना क्यों किया गया ?

श्री कुंभाराम आर्य—क्योंकि ये गांव के अन्दर आग जलाते थे ।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे, गांव के अन्दर जो लावा पकाते थे उससे उनको रोका गया और उसकी जगह उनको दूसरी जगह नहीं बताई गई । यह माननीय मंत्री महोदय को पता होना चाहिये कि जो मिट्टी के बरतन बनाये जाते हैं वे अपने घरों में ही बनाते हैं, और उनके पकाने के लिए भी घर के पास ही इन्तजाम कर रखा है । अगर उसको दूर रखा जाय तो वे मिट्टी के बरतन वहां लेजाते लेजाते टूट जायेंगे, इससे उनका नुकसान हो जायगा तो, बरतन पकाने का स्थान तो मकान के पास ही हो सकता है इसलिए, उनको क्यों रोका गया अगर रोक दिया तो दूसरी जगह तो बताना जरूरी था ?

श्री अध्यक्ष—आप तो भाषण देने लग गये ।

श्री कुंभाराम आर्य—करीब नहीं, यह गांव का बीच है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या कारबन नाइट्रोजनएसिड स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य—नहीं ।

श्री कस्तूरचन्द—जब उनको एक स्थान पर बन्द किया गया, तो दूसरा स्थान तो बताना चाहिए था ।

श्री कुंभाराम आर्य—दूसरी जगह बताने का सवाल ही नहीं उठता । उसी जगह पर कुछ पाबन्दियों के साथ वे बरतन पका सकते हैं ?

श्री कस्तूरचन्द—तो क्या वहीं पर बरतन पका सकते हैं ?

Page No.16

श्री कुंभाराम आर्य—उन पाबन्दियों के साथ जो कि पंचायत ने उन्हें बतलाई है।

श्री कस्तूरचन्द—वे पाबन्दियां क्या हैं?

श्री कुंभाराम आर्य—आग न लगने का वे जिम्मा लें।

श्री कस्तूरचन्द—अब तक पीढ़ियों से वे करते आये हैं उस स्थान पर।

श्री कुंभाराम आर्य—पुराना युग था उसमें विज्ञान नहीं था, आज का युग वैज्ञानिक युग है, अब ऐसी बातें नहीं चल सकतीं।

प्रश्न संख्या ११५

राष्ट्रीय योजना ऋण में जमा हुई राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय योजना ऋण में कुल कितना रुपया जमा किया गया है?

(ख) उक्त रकम में राज्य कर्मचारियों द्वारा कितनी रकम मिली है?

(ग) जो रकम जमा की गई उसमें देहाती क्षेत्र की कितनी है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—

सरकार के पास जो सूचना आई है उसके अनुसार राष्ट्रीय योजना ऋण में लगभग ३१३ लाख रुपया राजस्थान में एकत्रित किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:—

१. बैंक एवं बीमा कम्पनियों से	१,६६,२८,०००) रु०
२. राजाओं और जागीरदारों से	५,६०,०००) रु०
३. अल्प बचत योजना विभाग के प्रयत्नों द्वारा	२,६०,०००) रु०
४. बम्बई में रहने वाले राजस्थानी व्यवसाइयों से	६३,५०,०००) रु०
५. जिलाधीशों एवं अन्य राज्य अधिकारियों के प्रयत्नों के फलस्वरुप	८,१७,११०) रु०
६. बैंकों के द्वारा	३३,१७,१००) रु०
कुल योग	३,१२,६२,२१०) रु०

(ख) पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ग) पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिलाधीशों की सूचना के अनुसार विभिन्न जिलों में विभिन्न वर्गों से राष्ट्रीय योजना ऋण में लगभग ७ सौ ३६ लाख रुपया जमा किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—ऋण की वसूली कि निधि कितनी निर्धारित थी, कि इस योजना में कितना ऋण वसूल करना है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मैं इस समय नहीं बता सकता।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रचार न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से इसमें ऋण नहीं मिला है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ये दो प्रकार की चीजें हैं, जिनको माननीय सदस्य समझने में गलती कर रहे हैं एक तो है, नेशनल प्लान लोन, और दूसरा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आजकल जो योजना चल रही है वह है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की योजना।

श्री जवानसिंह—बम्बई की तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में जो रुपया प्राप्त हुआ वह तो बता दिया गया, किन्तु कलकत्ते की तीर्थयात्रा में कितना रुपया वसूल हुआ यह नहीं बताया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नेशनल प्लान लोन के सिलसिले में केवल बम्बई ही गये थे, कलकत्ते नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या उन दिनों कोई राजस्थान सरकार की तरफ से कलकत्ता नहीं गया पैसा इकट्ठा करने के लिए ?

श्री अध्यक्ष—यह तीर्थयात्रा नहीं थी।

(विराम)

There should be no sting in the questions. They must be meant simply for eliciting information.

Next.

प्रश्न संख्या ११६.

जालोर म्युनिसिपल कमेटी के चुनावों के निर्णय का प्रकाशन

(श्री वेदपाल त्यागी द्वारा श्री हरिकृष्ण व्यास के बदले प्रश्न पूछने पर)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Is he entitled ?

श्री अध्यक्ष—He has so requested.

श्री वेदपाल त्यागी—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to State:—

(a) When were the elections to the Jalore Municipal Committee held ?

(b) Have the results been published in the Gazette ? If so, on what date and what was the cause for so much delay ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वायत शासन मन्त्री)—

(अ) ६–११–५४

(ब) जी हां, तारीख ५–२–५५ को मनोनीत सदस्यों के नाम चुनाव के परिणाम के साथ साथ न आने से विज्ञप्ति में कुछ विलम्ब हो जाता है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय मन्त्री महोदय ने कोई ऐसी व्यवस्था की है ? क्या अपने विभाग की ओर से जिससे ज्योंही इलेक्शन हो जाय तुरन्त नाम आजाय और वे विज्ञापित हो सकें, तीन तीन महिने नहीं लगें ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हां, इस बार आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—ये आदेश कब जारी हुए ?

श्री कुम्भाराम आर्य—दो तीन बार हुए।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या ऐसे आदेश को उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा नौकर नहीं मिला जो गैर वफ़ादार हो।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या सरकार के जितने भी नौकर हैं, वे गैर वफ़ादार हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—सब वफ़ादार हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो मिनिस्टरों की आज्ञा न मानने के क्या कारण हैं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—वफ़ादार नौकर आज्ञा का उल्लंघन करे तो क्या माना जाना चाहिये ?

श्री कुम्भाराम आर्य—माननीय सदस्य को ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये।

प्रश्न संख्या ११७

जोधपुर म्युनिसिपल कमेटी द्वारा जल-कष्ट-निवारण योजना सरकार के पास भेजने संबंधी

(श्री हरिकृष्ण व्यास के बदले श्री वेदपाल त्यागी)

श्री वेदपाल त्यागी—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state :—

(a) Has the Jodhpur Municipal Committee forwarded any scheme to the Government for improving and renovating water supply system of the Jodhpur City ?

(b) If so, what action has the Government taken in the matter ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(अ) जी हां ।

(ब) सरकार के विचाराधीन है ।

श्री वेदपाल त्यागी—कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जब तक विचार समाप्त नहीं हो जाता ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कब से विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—जब से विचार शुरू हुआ है तब से ।

श्री कुम्भाराम आर्य—जब से यह स्कीम आई है ।

श्री वेदपाल त्यागी—इसकी कोई तिथि बता सकते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—१५-२ ।

श्री वेदपाल त्यागी—सन् भी बता दीजिये ।

श्री कुम्भाराम आर्य—आपने तो केवल तारीख पूछी थी मैंने तारीख और महीना भी बता दिया ।

(हंसी)

श्री वेदपाल त्यागी—सन् भी बता दीजिये ।

श्री कुम्भाराम आर्य—५५ ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जगतसिंह झाला ।

प्रश्न संख्या ११८

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११९

चित्तौड़ जिले में वन विभाग की ओर से सड़कें

श्री जगतसिंह झाला—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) वन विभाग की ओर से चित्तौड़ जिले में कहां कहां पर सड़कें हैं ?

(आ) क्या सरकार स्टेशन बड़ी सादड़ी से मुंजवा ग्राम होते हुए सीतामाता तक पक्की सड़क आगामी वर्ष में वन विभाग की ओर से बनाने का विचार रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(अ) वन विभाग की ओर से चित्तौड़ डि० में कोई सड़क नहीं है।

(आ) स्टेशन बड़ी सादड़ी से मुंजवा ग्राम होते हुए जंगल सीतामाता तक पक्की सड़क बनाने की कोई योजना वन विभाग से स्वीकृत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, नेक्स्ट।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२० एवं १२१

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२२

सिरोही महिला अस्पताल में शिक्षित नर्सों की आवश्यकता

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Medical and Health be pleased to State :—

(a) Is there any trained nurse in the Sirohi Female Hospital ?

(b) Is the Government aware that there is an acute need of trained nurses in that Hospital ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

श्री मोहब्बतसिंह—तो कब तक वहां ट्रेन्ड नर्सेज भेजने का विचार कर रहे हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जब मिल जावें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अनट्रेन्ड नर्स तो है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां।

श्री मोहब्बतसिंह—मिलने में बाधा क्या हो रही है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अनट्रेन्ड होने से क्या मरीजों की जान को खतरा नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं, धाई है जी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—धाई तो ट्रेन्ड होगी।

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां, सवा सोलह आना।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या १२३।

प्रश्न संख्या १२३.

बड़ी सादड़ी व वानसी के वनों से सन् १९५३ से १९५५ तक आय

श्री जगतसिंह झाला—क्या वनमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) जिला चितौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी व वानसी के वनों से सन् ५३–५४ व ५४–५५ में क्या आय हुई ?

(आ) क्या यह सच हैं कि बांसों के कूप का ठेका देते समय बांस से निकलने वाले पदार्थ बंसलोचन का खयाल नही किया जाता और इसके कारण ठेके की रकम में हानि होती है ?

(इ) क्या भविष्य में सरकार किसी विशेषज्ञ की राय लेकर इससे होने वाली आय को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—(अ) जिला चितौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी के वनों की १ अप्रेल, ५३ से अखीर मार्च, ५४ तक १८२६५ रुपये ११ आने की आमदनी हुई।

व अप्रेल, ५४ से अखीर जनवरी, ५५ तक ७०१७ रुपया ९ आ. ६ पा. की आय हुई है।

वानसी के वनों की १ अप्रेल, सन् ५३ से अखीर मार्च, सन् ५४ तक ५५४०२ रुपया ६ आ. ३ पा. की आय हुई।

व १ अप्रेल, ५४ से अखीर जनवरी, ५५ तक ५१३५२ रुपये सवा सात आने की आमदनी हुई।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(आ) बंसलोचन एक जाति विशेष के बांसों में पाया जाता है और वह भी बिरले ही बांसों में। एक बांस में यह बहुत कम अनुपात से निकलता है और इसकी खोज के लिए बांस को चीरना पड़ता है, क्यों कि बाहर से इसका पता लगाना सम्भव नहीं है। इस किस्म के बांस की तलाश के लिए बहुत अधिक बांस चीरने पड़ते हैं, और चीरे हुए बांस अपनी मार्केट वेल्यू को खो देते हैं। इस प्रकार चीरे हुए बांसों से होने वाला नुकसान उनसे प्राप्त होने वाले बंसलोचन की कीमत से बहुत अधिक होना सम्भव है। अतः यही कारण है कि इस ओर के ठेकेदार भी शायद इसी चीज को जानते हुए भी बांसों से बंसलोचन नहीं निकाल उन्हें वैसे ही बेचना पसन्द करते हैं। बंसलोचन नहीं निकाल सकने के कारण सरकार को किसी प्रकार ठेके में नुकसान होता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता।

(इ) इस प्रश्न का उत्तर ऊपर के प्रश्न के उत्तर में निहित है।

श्री जगतसिंह झाला—सरकार ने क्यां विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—विशेषज्ञों से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता। ठेकेदार वगैर बंसलोचन निकाले वैसे ही बेचते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हिम्मतसिंह १२४।

प्रश्न संख्या १२४

सहकारी विभाग के पब्लिसिटी ऑफिसर की योग्यता इत्यादि

श्री खेतसिंह—क्या मन्त्री, कोऑपरेटिव विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(अ) कोऑपरेटिव विभाग में पब्लिसिटी ऑफीसर का क्या कार्यक्रम रहता है ? उन्हें कितना माहवारी वेतन दिया जाता है, वे कब से इस विभाग में नियुक्त हैं उनकी क्या योग्यता है और उन्होंने इस विभाग में नियुक्ति के पश्चात् कौन कौन से जनहितकारी कार्य अब तक किये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (सहकारी विभाग मन्त्री)—(अ) पब्लिसिटी ऑफिसर सहकारी विभाग का कार्य निम्न प्रकार है :

(१) सहकारी समितियां सम्बन्धी प्रगति के अङ्क सार्वजनिक प्रकाशन के हेतु प्रस्तुत करना।

(२) आवश्यकतानुसार अन्तर्देशीय राज्यों व विभागों के लिए सहकारिता—प्रगति सम्बन्धी विशेष लेख प्रस्तुत करना।

(३) सहकारी ग्रामसुधार पत्रिका का प्रकाशन एवं वितरण करवाना।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(४) सहकारिता एवं ग्रामसुधार सम्बन्धी विषयों पर विज्ञप्तियां (हैंडबिल्स) आदि प्रकाशित करना।

(५) सहायक पंजियकों द्वारा प्राप्त हुई सहकारी एवं ग्रामसुधार विभागों को मासिक एवं सामयिक उन्नति के विवरणों को एकत्रित कर के रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(६) सहकारिता सम्बन्धी प्रचार एवं प्रसार की व्यवस्था करना।

उन्हें २४०) रु० मासिक वेतन एवं ३५) रु० मासिक मंहगाई भत्ता दिया जाता है, और ५-८-५० से इस विभाग में उक्त पद पर कार्य कर रहे हैं। इनकी शिक्षा संबंधी योग्यता बी. ए. एल-एल. बी. है।

उपरोक्त समस्त कार्य जनता के हितार्थ ही सम्पादित किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--Yes, Questions of 11th March, Shri Chand Mal Mehta.

प्रश्न संख्या ३०

किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल में डॉक्टरों तथा कम्पाउण्डरों के क्वार्टर्स की छतों का प्रबन्ध

श्री चांदमल मेहता---क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में डॉक्टरों और कम्पाउण्डरों के रहने के क्वार्टर्स पर छतें पड़ी हुई नहीं हैं ?

(२) उक्त क्वार्टर्स कितने वर्षों से बेकार पड़े हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य---(१) डॉक्टरों के रहने के लिए कोई अलग क्वार्टर नहीं है। कम्पाउन्डरों के लिए ३ क्वार्टर्स हैं और उन पर छतें नहीं हैं।

(२) राजस्थान के बनने के पूर्व से ही अधूरे थे।

श्री चांदमल मेहता---अब तक उनको पूरा नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य---दूसरे जरूरी काम।

श्री चांदमल मेहता---अब उन्हें कब तक पूरा कर देने का विचार रखते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य---अब की बार।

Page No.24

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डॉक्टरों के लिए अलग कमरे नहीं होने की वजह से जो मरीजों के रहने के कमरे हैं उनमें ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं इसलिए मरीजों के पलंगों में कमी आ रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—एक फायदा भी हो रहा है।

श्री चांदमल मेहता—जो दूसरा नुकसान हो रहा है उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—फायदा इससे ज्यादा है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या सरकार इससे ज्यादा फायदा नहीं सोचती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—सदस्य महोदय चाहेंगे तो अलग व्यवस्था हो जावेगी।

श्री कपिलदेव—जहां अलग कमरे नहीं हैं, उसके लिए तो सरकार विचार कर रही है कि मरीजों के कमरों में ज्यादा स्थान दे दिया जावे पर जहां डॉक्टरों के लिए अलग कमरों की व्यवस्था है, अब तक वहां मरीजों के ज्यादा फायदे को मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार यह विचार कर रही है कि वे डाक्टर भी वहां से मरीजों के क्वार्टर में स्थानान्तरित कर दिये जावें।

श्री कुम्भाराम आर्य—अगर वकीलों के दिमाग ऐसे बन जावेंगे तो। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३१

सन् ५४-५५ में कम्पाउन्डर्स के स्थानान्तर अपने जिले से बाहर न करने सम्बन्धी

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में ५४-५५ के वर्ष में कितने थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कम्पाउन्डरों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किये गये ?

(२) उक्त तबादले किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—सन् ५४-५५ में ३५ थर्ड ग्रेड और ३५ फोर्थ ग्रेड कम्पाउन्डर्स के स्थानान्तर होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किये गये। इस प्रकार कुल ७० कम्पाउन्डरों का स्थानान्तर किया गया।

(२) महालेखापाल (एकाउन्टेन्ट जनरल) के आदेशानुसार प्रत्येक डिस्पेन्सरी व अस्पताल में श्रेणीवार स्वीकृत संख्या तक ही स्टाफ रख सकते हैं। अतः उक्त स्थानान्तर करने पड़े।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि महालेखापाल की आज्ञा का पालन उसी डिस्ट्रिक्ट में तबादला करके भी किया जा सकता था ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तबादले इस ढंग से किये गये हैं कि जिसकी वजह से सरकार को बहुत बड़ा खर्चा टी. ए., डी. ए. में करना पड़ा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह मजबूरी थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह भी मजबूरी थी कि होम डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट में तबादला नहीं करके सैकड़ों कोस दूरी पर तबादला किया जाय।

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं, इस बात का ध्यान रक्खा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सिरोही के कम्पाउन्डरों को धौलपुर भेजा गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जगह जहां मिले, वहीं भेजना पड़ता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले बजट सेशन के वक्त में इस बात का आश्वासन दिया गया था कि छोटे कर्मचारियों को होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं भेजा जायगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—उसी बात पर कटिबद्ध हैं।

श्री चांदमल मेहता—इस मामले में कटिबद्ध नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी, ऐसा नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ से थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डरों को बाहर भेजा गया है और थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डरों को बाहर से किशनगढ़ में बुलाया गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी बात होगी तो पता दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ३२

ग्राम सिलोरा (तहसील किशनगढ़) के समीप के वन में आग लगने से क्षति इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या वन-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील में सिलोरा ग्राम के पास के वन में इस वर्ष आग लग गई थी ?

(ख) उक्त आग से कितना नुकसान हुआ है ?

(ग) उक्त आग लगने के क्या कारण थे ?

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) इसकी किस अफसर द्वारा जांच कराई गई है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय वन अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दी है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) यह सही है कि किशनगढ़ तहसील में सिलोरा ग्राम के पास कूप सालामाला में आग लग गई थी ।

(ख) इस आग से ८ मन घास व २२ मन लकड़ी लगने का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) इसकी जांच जारी है ।

(घ) यह आग २६-११-५४ को लगी, जब श्री जुगलकिशोर डिप्टी रेन्जर-इन्चार्ज रेन्जर थे । इसकी प्रारम्भिक जांच उन्हीं के द्वारा की गई ।

(ङ) रेन्ज ऑफिसर किशनगढ़ से नक्शा आतिशजदगी इस रिपोर्ट के साथ पेश हुआ कि आग बुझा दी गई और कुछ भी खर्चा नहीं हुआ । ऐसी परिस्थिति में इसकी रिपोर्ट सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं थी । यही अमल सदा से चला आ रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—इस आग के लगने के कारण क्या थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने बताया कि मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो सकी है और जांच जारी है ।

श्री चांदमल मेहता—अभी तक जांच नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—२६-११-५४ को आग लगी है, उस वक्त डिप्टी रेन्जर श्री जगुलकिशोर ने प्रारम्भिक जांच की थी लेकिन वास्तविक कारणों का सही अन्दाजा लगाकर पता नहीं लगा सके ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह आग कुछ व्यक्तियों के शिकार खेलने पर शिकार खेलने से पहले फटाके के छोड़ने से लगी है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्रारम्भिक रिपोर्ट से पता लगा है कि कुछ लोग शिकार खेलने आये थे, उनके कारण आग लगी है । कौन से व्यक्ति थे, यह पता नहीं लग सका ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन व्यक्तियों को उस गांव का रहने वाला बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उस बात को वन अधिकारियों ने छुपाने की कोशिश की है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जांच से पता लगेगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या प्रारम्भिक जांच से पता नहीं चल पाया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्रारम्भिक जांच को फाइनल जांच नहीं कह सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि फाइनल जांच अभी तक इसलिये नहीं की गई है जिससे कि यह मामला रोका जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसा अब नहीं हो सकेगा।

श्री चांदमल मेहता—फाइनल जांच कब तक हो जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस सेशन के बाद इसकी जांच करना शुरू कर दिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या शिकारियों की ज्वाइन्ट एन्ड सेवरल लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस जांच पर कुछ निर्णय दिया जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो वकील लोग जानते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—आप भी इससे परिचित हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३३

राजस्थान से गौ-निकासी बन्द करना

श्री जगतसिंह झाला—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या यह सही है कि राजस्थान से गायों की निकासी पर रोक लगी हुई है ?

(आ) क्या रोक होते हुए भी राजस्थान से गायों की निकासी होती है ?

(इ) यदि हां, तो सालभर में कितनी व समीपवर्ती किन किन राज्यों में किस किस ज़िले से कौन कौन से नाकों के द्वारा निकासी होती है ?

(ई) क्या यह सच है कि राजस्थान में गौ-हत्या बन्द है और दूसरे प्रान्तों में जहां गौ-हत्या होती है, वहां पर राजस्थान की गायें काटी जाती हैं ?

(उ) क्या सरकार भविष्य में गौ-निकासी राजस्थान के बाहर न हो, इस पर विशेष ध्यान देगी ?

(पृथक राजस्व मन्त्री, श्री अमृतलाल यादव की अनुपस्थिति में राजस्व मन्त्री, श्री दामोदरलाल व्यास ने उत्तर दिया)।

श्री दामोदरलाल व्यास—(अ) हां, परन्तु विशेष परिस्थिति में निर्यात करने की आज्ञा दी जाती है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(आ) नहीं।

(इ) प्रश्न नहीं उठता। विशेष परिस्थिति में ५३ गायों का निर्यात किया गया है, जिनकी सूची संलग्न है।

(ई) गौ-हत्या बन्द है। सरकार की जानकारी में यहां गायें नहीं कटती हैं।

(उ) प्रश्न नहीं उठता। केवल ५३ गायों की निकासी इस साल के अन्दर राजस्थान से दी गई।

६ आदमियों को ऐसी इजाजत दी गई थी। वह कुल ५३ गायों की दी गई थीं। अगर आप नाम चाहें तो बतादूं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जगतसिंह झाला—विशेष परिस्थिति क्या थी, जिसके अन्दर गायों की निकासी हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत से गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का तबादला होता है तो वह गायें भी अपने साथ ले जाते हैं। बहुत सी गौशालाओं के लिए भी गायें दी गई हैं। दोनों ही परिस्थितियों में गायों की निकासी की इजाजत दी गई है।

श्री जगतसिंह झाला—नाम भी बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—१. श्री रामानन्द लोको फोरमैन नर्दर्न वेस्टर्न रेल्वे, चूरू।

२. गौशाला एट सौरों [उडीसा]।

३. श्री सन्तोषसिंह, इन्सपेक्टर ऑफ वर्कस, नर्दन रेल्वे।

४. श्री सेक्रेटरी, गौरक्षा संघ नागपुर, मध्यप्रदेश, फॉर श्री कृष्ण गौशाला, तमसर।

५. श्री तोलाराम जालान।

६. श्री एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हज़बेन्ड्री, पटना(बिहार

७. श्री परमेश्वरदास आचार्य, मथुरा (यू०पी०)

८. श्री माखनलाल झुंझुनूवाला।

९. श्री विश्वनाथ खेमका ऑफ जयपुर।

श्री जगतसिंह झाला—इनके सिवाय कोई चराई के लिए गायें भेजी गईं, वे वापिस आईं या नहीं ?

Page No.29

श्री दामोदरलाल व्यास—वे चराई के लिये बाहर जाती हैं जबकि अकाल होता है और वापिस आ जाती हैं।

प्रश्न संख्या ३४

राजस्थान में रेन्जर्स, डिप्टी रेन्जर्स तथा फोरेस्टर्स के फिक्सेशन सम्पूर्ण करना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Forests be pleased to answer :—

(a) Whether the fixation of Rangers, Deputy Rangers and Foresters in Rajasthan set up is complete now ?

(b) If not, how much more time is it likely to take ?

(c) What is the proposed strength of Rangers, Deputy Rangers and Foresters in the State of Rajasthan in the new set-up ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वन विभाग के रेन्जर, डिप्टी रेन्जर और फॉरेस्टर्स का फिक्सेशन अभी नहीं हुआ है। रिवाइज्ड युनिफाइड पे स्केल्स अभी गवर्नमेंट से मन्जूर नहीं हुए हैं, इसलिए यह काम अभी तक रुका हुआ है। मैंने पहले एक सवाल के जवाब में यह बताया था कि यह काम एक महीने के अन्दर अन्दर करने का इरादा है।

नये सेट अप में रेन्जर्स, डिप्टी रेन्जर्स, और फोरेस्टर्स की स्ट्रेन्थ क्रमशः ३०, ४५ और २३० तजवीज़ की है, लेकिन डिसीजन होना अभी बाकी है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार के ध्यान में गत अधिवेशन में उस समय के वन-मन्त्रीजी ने तीन महीने की अवधि इस कार्य के लिए मुकर्रर की थी, वह अवधि खत्म हो चुकी है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस अवधि की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक कागज़ात को देखने से पता लगा है-फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इकॉनामी करने का प्रस्ताव किया था और उस इकोनोमी प्रस्ताव में उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी और वन विभाग ने यह जाहिर किया था कि इससे काम नहीं चल सकता है। इस कशमकश में कागजात अभी तक रुके हुए हैं। अब फाइनेन्स डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मेरे ही पास हैं। अब देरी नहीं होगी।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि फिक्सेशन का क्राइटेरिया मुकर्रर हो गया है और गज़ट में भी शाया हो गया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फिक्सेशन का क्राइटेरिया मुकर्रर मैंने कर दिया है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि उस क्राइटेरिया को बदलने की तजवीज़ चल रही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कुछ ऑब्जेक्शन मांगे गये हैं, अगर कोई आब्जेक्शन आयेगा तो उसको ध्यान में रखकर जो कुछ भी किया जा सकता है, वह किया जायेगा।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि बदलने की इसलिए तजवीज की जा रही है कि कुछ कृपापात्र उसमें फिट इन किये जा सकें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसा कभी नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जवानसिंह।

प्रश्न संख्या ३५

जयपुर के एक सिनेमा-गृह से शासकीय ऋण की वसूली

श्री जवानसिंह—क्या वित्त-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान सरकार का कोई कर्जा जयपुर स्थित किसी सिनेमा घर का बकाया है?

(ख) अगर हां, तो कितना और किस २ सिनेमा में?

(ग) इस रकम की वसूली के लिए क्या किया जा रहा है?

(घ) उपरोक्त रकम में से कितनी मूल व कितनी ब्याज के रूप में वसूल हो चुकी है और कितनी बकाया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) हां।

(ख) ३,२५,००० रु०, अलावा ब्याज के पोलोविक्ट्री टॉकीज़, जयपुर में बकाया है।

(ग) इस रकम की वसूली के लिए कर्जदार से एक नया एग्रीमेंट लिखाया गया है और ताकीदात की जा रही है।

(घ) कुल ३,५०,००० रु० की रकम ऋण में दी गई थी, उसमें से एक किश्त २५,००० रुपये मूल और ब्याज पेटे ३५,६८८ रुपये जमा हुए हैं। मूलधन ३,२५,००० रुपये अलावा अब तक का ब्याज करीब ७०,००० रुपये बाकी होता है।

श्री जवानसिंह—कौन से सिनेमा हाउस को दिया गया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पोलो विक्ट्री टॉकीज़।

श्री श्रीदास गोयल—क्या रामप्रकाश सिनेमा हाउस में भी कुछ बकाया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—किराया हो सकता है, लेकिन ऋण की बात पूछ रहे हैं आप।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पोलो विक्ट्री सिनेमा को इतना बड़ा कर्ज़ा देने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह पुराने जमाने में दिया गया था ।

प्रश्न संख्या ३६

जोधपुर व जयपुर के टी. बी. सेनिटोरियम कर्मचारियों को रिस्क एलाउन्स

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Medical and Health be pleased to state :—

(a) Whether the employees of the T. B. Sanatorium at Jodhpur are paid any risk allowance ?

(b) If the answer is in affirmative, why are the employees of the T. B. Sanatorium at Jaipur not paid this risk allowance ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) जी हां ।

(ख) जयपुर के टी. बी. अस्पताल के लिए ३०,२०० रुपये रिस्क एलाउन्स के मन्जूर थे, लेकिन वेतन के नये स्केल स्वीकृत करने के बाद यह एलाउन्स बन्द कर दिया गया था क्योंकि नये स्केल में ऐसे किसी किस्म के एलाउन्स की स्वीकृति सरकार की तरफ से नहीं है ।

श्री मोहब्बत सिंह—जोधपुर में अब तक कैसे मिलता है जब कि जयपुर में बन्द कर दिया गया है ? मेरा प्रश्न केवल क्लास २ डाक्टरों के लिए नहीं है, बल्कि सभी से है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वे लोग पुराने स्केल में हैं ।

प्रश्न संख्या ३७

सरकार द्वारा बड़ी सादड़ी नगरपालिका के चुनाव करवाना

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बड़ी सादड़ी नगरपालिका के चुनाव सरकार कब तक करा देना चाहती है ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने दो साल पहिले इसका चुनाव ६ माह में करा देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अभी तक चुनाव न होने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) लगभग १६५५ के अन्त तक।

(ख) जी हां,

(ग) बड़ी सादड़ी में नगरपालिका के स्थापनार्थ कलेक्टर की सिफारिश दिनांक २३–२–५४ को प्राप्त हुई। तदनुसार राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट, १६५१ की धारा ७ (१) उक्त स्थान में नगरपालिका-स्थापनार्थ सीमा-निर्धारण की उद्घोषणा राजपत्र दिनांक २०-३-५४ को प्रकाशित की गई। इस पर ठिकाना बड़ी सादड़ी की ओर से आपत्ति प्राप्त हुई। इस विषय में निर्देशक स्थानीय निकाय तथा कलेक्टर से राय मांगी गई। इस विषय में सबडिवीज़नल ऑफिसर निम्बाहेड़ा ने ठिकाने से बात करके जो सीमा कलेक्टर महोदय को भेजी-वह २३-११-५४ को प्राप्त हुई। इसकी स्वीकृति के पश्चात् उक्त एक्ट की धारा ५ (१) के अनुसार दिनांक ६-१२-५४ को विज्ञापित कर दी गई है। निर्वाचन-हेतु कलेक्टर को शीघ्रता करने का आदेश १५-२-५५ को प्रसारित कर दिया गया है।

श्री जगतसिंह झाला—सन् १६५५ के आखीर तक चुनाव कराकर इतनी देरी करने का क्या कारण है जब कि सारी कार्यवाही हो गई है?

श्री कुम्भाराम आर्य—चुनाव के लिए नियम ऐसे ही हैं।

प्रश्न संख्या ३८

बीकानेर डिविज़न में शराब, अफीम आदि मुकद्दमों के मिसालात के रूप में जमा कराये रुपये मिसालातें अस्वीकृत हो जाने पर लौटाना

श्री गुरदयालसिंह सन्धु—क्या कस्टम व एक्साइज़ मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) बीकानेर डिविजन में कितने ऐसे लोगों के रुपये, जो उन्होंने शराब या अफीम आदि के मुकद्दमों में मिसालात के रूप में जमा कराये थे, अभी तक मिसालातें नामञ्जूर हो जाने पर भी एक्साइज़ विभाग के पास जमा पड़े हुए हैं और वह कितने समय से हैं?

(ख) यह रकम सरकार कब तक वापिस करेगी?

(ग) पिछले असेम्बली सेशन के दिनों में मेरे इस सम्बन्ध के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने यकीन दिलाया था कि यह रकम जल्दी ही वापिस कर दी जावेगी। यह रकम अब तक वापिस न करने का क्या कारण है?

श्री दामोदरदास व्यास (पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) ऐसे मुकद्दमों की संख्या १६ है, जो सन् ४८ से फरवरी सन् ५५ तक के हैं।

(ख) बिल बनाकर भेजे हुए हैं, अभी तक पास नहीं हुए हैं। पास होकर आते ही अदा कर दिये जायेंगे।

[श्री दामोदरदास व्यास]

(ग) इसका उत्तर (ख) में दर्ज है।

(घ) कुछ रकम वापिस कर दी गई है और शेष रकम वापिस करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु—पिछले अधिवेशन में आश्वासन दिया गया था कि जल्दी पेमेन्ट कर दिया जायगा, लेकिन अब तक नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरदास व्यास—पिछले अधिवेशन के बाद बिल बनाकर भेज दिये गए। बिल पास होकर आ जायेंगे तो रकम वापिस कर दी जायगी।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु—१ साल पहले ऐसा आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया ?

श्री दामोदरदास व्यास—बिल बनाकर भेज दिये गये हैं। ए. जी. के ऑफिस में टाइम लग जाता है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु—यह रकम कब तक मिल जायगी ?

श्री दामोदरदास व्यास—शीघ्र ही। बिल बनाकर भेज दिये गये हैं। गवर्नमेंट का काम हो चुका है, पास होते ही भेज दिये जायेंगे।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री अर्जुनसिंह (वि. सं. ४) ने दिनांक २८-२-५५ से दिनांक १८-३-५५ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

जन-लेखा एवं प्राक्कलन समिति के मनोनीत सदस्य

श्री अध्यक्ष—मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति १९५५-५६ के चुनावों के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किए गये हैं :-

जन-लेखा समिति

१. श्री हरिकृष्ण व्यास (१६०)

२. कु० श्री जसवन्तसिंह (६६)

[श्री अध्यक्ष]

३. श्री भैरोंसिंह (१६)

४. श्री दुर्लभसिंह (४०)

५. श्री सज्जनसिंह (१३२)

६. श्री द्वारकादास पुरोहित (६२)

७. श्री नाथूराम मिर्धा (११३)

८. श्री श्यामलाल गोयल (१४४)

९. श्री रामचन्द्र चौधरी (१२२)

१०. श्री कपिलदेव अग्रवाल (७१)

प्राक्कलन समिति

१. श्री भोपालसिह (२०)

२. श्री तनसिंह (१४८)

३. श्री जवानसिंह (६७)

४. श्री संतोषसिंह कछवाहा (१३६)

५. श्री मोतीचन्द खजान्ची (१०५)

६. श्री रामकरण जोशी (१२५)

७. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला (११)

८. श्री मथुरादास माथुर (६६)

९. श्री लालबहादुर सक्सेना (८२)

१०. श्री भीमसिंह (१७)

११. श्री हरिदेव जोशी (५३)

१२. श्री तेजमल बापना (१४६)

१३. श्री भोलानाथ (१६)

१४. श्री मोतीलाल चौधरी (१०६)

[श्री अध्यक्ष]

१५. श्री धर्मपाल (३७)

१६. श्री वेदपाल त्यागी (१५७)

१७. श्री गुलाबचंद कासलीवाल (४८)

जो सदस्य विदड्रा करना चाहते हैं, वे अभी विद्ड्रा कर सकते हैं।

विशेषाधिकार-समिति के मनोनीत सदस्य

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियम ५३ (१) के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों को विशेषाधिकार समिति के लिए मनोनीत किया गया है :—

१. डॉक्टर श्री मंगलसिंह

२. कुं० श्री जसवन्तसिंह

३. श्री टीकाराम पालीवाल

४. श्री हरिदत्त

५. श्री भीमसिंह

६. श्री रामकिशोर व्यास

७. श्री भुंझारसिंह

८. श्री वेदपाल त्यागी

९. श्री चन्दनमल वैद

१०. श्री द्वारकादास पुरोहित

सभापति तालिका के मनोनीत सदस्य

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियम ८ (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका (पेनल ऑफ चेयरमेन) के लिए मनोनीत किया गया है :—

[श्री अध्यक्ष]

१. श्री हिम्मतसिंह (६१)

२. डॉ० श्री मंगलसिंह

३. श्री रामचन्द्र चौधरी

४. श्री गुलाबचन्द्र कासलीवाल

आय-व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद (पूर्व क्रम से

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष मोहदय, नये बजट के संबंध में काफी वाद-विवाद हुआ। मैं भी थोड़े से अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह आलोचना की गई है इस बजट के सम्बन्ध में कि इसमें कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। मेरा विचार है कि जिन परिस्थितियों में हम हैं और जिन परिस्थितियों में यह बजट बनाया गया है, उनमें किसी बहुत बड़े नये परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार का यह हो सकता था, उस प्रकार का सीधा-सादा सा यह बजट है।

कस्टम की आमदनी के बारे में बहुत जोर दिया गया कि वह पहले ही खत्म कर देना चाहिये था। मैं यह मानता हूं कि कस्टम की आमदनी यदि पहले से छोड़ देना सम्भव होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वह संभव था ही नहीं और अब इस वर्ष से वह छोड़ी जा रही है जिसका भी भार पड़ने वाला है। निश्चित तौर से बजट पर इससे भी कठिनाइयां पैदा होने वाली हैं किन्तु जो चीज अनिवार्य है, वह करनी ही पड़ती है। किन्तु इन कठिनाइयों में भी कुछ कल्याणकारी विभागों का खर्चा बढ़ाना सम्भव हो सका; यह सरकार के लिये, मैं समझता हूं, बधाई का अवसर हो सकता है और होना चाहिये।

भिन्न भिन्न विभागों की आमदनी और खर्च के आंकड़ों के बारे में कुछ तो कहा जा चुका है और कुछ और अधिक विस्तार से कहने का अवसर उस समय आयगा जब बजट की मांगों पर विचार किया जायगा। मैं इस समय जो कुछ शब्द कहने के लिये खड़ा हुआ हूं-वह आम तौर से इस मुल्क के सिद्धान्तों की ओर सरकार और इस सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यद्यपि जो बातें मैं कहने लगा हूं वे नयी नहीं हैं; लेकिन फिर भी व्यवहार में ऐसा होता है कि कई बार जिन बातों को हम जानते हैं, जिन बातों को हम कहते हैं, जिन बातों को हम महसूस भी करते हैं, वे कई बार कार्यान्वित नहीं हो पातीं, उस तरीके से। इसलिये यदि मैं उन बातों को दोहरा दूं तो हानि नहीं होगी।

जैसा वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट के भाषण में बताया-हमारा उद्देश्य इस देश में, इस प्रान्त में, इस राज्य में एक जन-कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है और वह भी जन-कल्याणकारी राज्य कई प्रकार का हो सकता है। पर हम जनतन्त्रात्मक जन-कल्याणकारी राज्य की ओर जा रहे हैं और हमारे बजट का सारा खर्चा चाहे किसी एक विभाग पर अधिक हो और दूसरे पर कम हो

[श्री टीकाराम पालीवाल]

पर इस सब का एक मात्र उद्देश्य-है इस राज्य की जनता को एक सुशासन देना, राज्य को जनतन्त्र के रास्ते पर आगे ले जाना, उन्नति और सुख की ओर ले जाना ।

मैं मानता हूं कि इतना बड़ा उद्देश्य है, जिसकी प्राप्ति बहुत थोड़े से समय में और बहुत जल्दी से नहीं हो सकती । रास्ता कठिन है फिर भी हमारे कदम निश्चित, नपे-तुले और सही दिशा में होने चाहिये । यह हो सकता है कि हमारी गति मन्द हो, यद्यपि तकाजा तो आज यह है कि वह गति भी तेज हो; पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि गति उतनी तेज नहीं होने पावे, जितनी तेज कि लोग चाहते हैं, या स्वयं हम भी चाहते हैं; पर यह हो कि हमारी गति सही दिशा में होनी चाहिये ।

मुझे बहुत अधिक बोलने की आदत नहीं है अध्यक्ष महोदय और जब तक बहुत आवश्यक नहीं होता तब तक मैं बोलने खड़ा भी नहीं होता । इस वक्त मैंने महसूस किया कि इस वक्त मुझे कुछ शब्द कहने ही चाहिये, इसलिये कहने चाहिये कि इस राज्य की जनता के प्रति, इस सदन के प्रति और इस सरकार के प्रति मैं इसे अपना कर्त्तव्य मानता हूं । इस सरकार के बनने पर वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी ने आग्रह किया था कि मैं सलाह और गाइडेंस, उनको और उनके साथियों को समय समय पर दूं एक-दो बार आये थे तो मैंने उन बातों में सलाह दी ।

किसी भी जनतन्त्रात्मक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये कुछ मूलभूत बातें हुआ करती हैं । उन बातों को हमें दृष्टि में रखना चाहिये । ऐसे राज्य की स्थापना के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है-एन्लाइटन्ड इलेक्टोरेट की; जो इलेक्टोरेट हो, एन्लाइटन्ड हो, वह समझदार हो । पर वह काम बहुत बड़ा है, इसमें समय लगेगा । यद्यपि अब तक के चुनावों में इलेक्टोरेट ने बहुत अच्छा सबूत दिया है, फिर भी इसके सामने बहुत कुछ बाकी है । दूसरी आधार शिला होती है जनतन्त्रात्मक सरकार के निर्माण के लिये । वह यह है कि विधान सभा के सदस्य इस तरह के हों, जिनको किसी भी भय, लालच या दबाव से सही मार्ग से इधर से उधर नहीं किया जा सके और यह कर्तव्य होता है सरकार का और सदन का कि सदन के सदस्यों के सामने इस प्रकार की परम्परा डालें कि सदन के सदस्यों के सामने किसी प्रकार का लालच, भय और दबाव न हो; वे लालच, भय और दबाव से रहित होकर कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर जनता के हित की दृष्टि से कार्य करें । (करतल-ध्वनि) मैं यह मानता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य सभी इस मौलिक चीज़ का अनुभव करते हैं और यदि हम इसी प्रकार चलते रहें, इस बात को हमेशा हम अपने सामने रखें तो निश्चित रूपसे हम सही मार्ग पर, सही दिशा में जायेंगे । यदि किसी दिशा से, मार्ग से इसके प्रतिकूल आचरण किया जाता है, इसके प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है तो यह आशा करते हैं कि हम सब इस प्रकार के आचरण को, इस प्रकार की गलती को निन्दा की दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखेंगे और देखना चाहिए ।

और इसके आगे मैं यह कहूंगा कि जन-कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ाने के लिये इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी का होना अत्यन्त आवश्यक है । एग्ज़िक्यूटिव से जुडिशियरी एक-दम इन्डिपेन्डेन्ट हो, ऐसी लोग मांग करते हैं । सरकार का यह कर्तव्य है कि जुडिशियरी के वे भाग जो कि सर्वथा अलग नहीं हैं, उनके बारे में इस प्रकार का प्रबन्ध करे कि उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े जिससे कि

[श्री टीकाराम पालीवाल]

लोगों को इस प्रकार का संदेह हो कि जुडिशियरी का यह भाग सर्वथा स्वतन्त्रता से काम नहीं कर रहा है। ये सब चीजें जनतन्त्रात्मक राज्य को सुचारु रूप से संचालन की मौलिक आधारशिलाएं हैं, वे अपना अपना काम सही ढंग से सही प्रकार से कर रही हों। इस प्रकार की देखभाल करने का, इस बात की चिन्ता करने का भार आता है सरकार के कन्धों पर क्योंकि इसी को दृष्टि में रखकर सरकार अच्छी तरह चल सकती है।

जन-तन्त्रात्मक जन-कल्याणकारी राज्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वह है जन-सेवाएं। कोई जन-तन्त्रात्मक राज्य उस समय तक नहीं चल सकता जब तक कि उस राज्य की जन-सेवाएं निष्पक्ष नहीं हों, लोगों को यह प्रकट न हो कि वे जन-सेवाएं स्वतन्त्र हैं, किसी दबाव से परे हैं, वे निष्पक्ष और कर्तव्यपरायण हैं। जो सरकार अपनी सर्विसेज़ को निष्पक्ष नहीं कर सकती वह सरकार जनता की भलाई नहीं कर सकती, वह जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकती। (करतल-ध्वनि)

इसलिये सरकार के लिये अनिवार्य रूप से जरूरी है कि वह अपनी सर्विसेज को निष्पक्ष रखे। राज्य के हित की दृष्टि से, पब्लिक के हित की दृष्टि से और सेवाएं, सर्विसेज के हित के लिये और प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वे निष्पक्ष रखी जावें। उनके प्रति लोगों को यह बताया जावे, राजनैतिक दल हो सकते हैं; दूसरे दल हो सकते हैं, लेकिन सर्विसेज़, जन-सेवाएं उनसे परे हैं।

इस राज्य का शासन चलाने से मेरा भी कई वर्ष तक ताल्लुक रहा है और मेरा यह प्रयत्न रहा है कि राज्य के संचालक इस सिद्धान्त को सामने रख कर काम करें। इस विषय में राज्य-सेवाओं से किस प्रकार काम लिया जावे और किस हद तक उन पर नियन्त्रण हो, किस हद तक उनको स्वतन्त्र छोड़ा जावे, इस संबन्ध में कई बार मुझे अपने साथियों से भी मतभेद रहा। यह कोई अच्छी बात नहीं थी, फिर भी यही मेरा दृष्टिकोण रहा और वही दृष्टिकोण आज भी रखता हूं। मैं यह मानता हूं कि भारतवर्ष के विधान में राज्य-सेवाओं को जो विशेष रूप से संरक्षण दिया है उसका एक ही उद्देश्य है और वह बहुत बड़ा उद्देश्य है। यद्यपि इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं हैं। मैंने भी कई बार कठिनाइयों का अनुभव किया है। कई बार उन अधिकारियों से जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार पालन नहीं कर रहे थे और समय के अन्दर काम नहीं करते थे उन पर कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी, उन पर पूरा नियन्त्रण नहीं रखने से शासन में ढिलाई आ जाती है। इसके साथ एक बड़ा लक्ष्य है और उसको भी नहीं भूलना चाहिये और वह यह कि राज्य की सेवाएं यह अनुभव करें कि चाहे कोई भी राजनैतिक दल या उपदल, अगर कोई हों, आवे अथवा चाहे सरकार बदले लेकिन उनको अपना कर्तव्य, निष्पक्ष रूप से किसी राजनैतिक दलों के गुट को इधर या उधर देखे बिना पालन करना चाहिये। जो सरकार-चाहे वह किसी की सरकार हो-इस बात का ध्यान नहीं रखे और सर्विसेज को राजनैतिक खींच-तान में इधर या उधर बुलाने का प्रयत्न करे या बुलाती हैं, या धकेलती हैं या ऐसा होने देना सहन करती है और करने देती हैं, तो मैं समझता हूं कि यह न तो देश के लिये शोभा

[श्री टीकाराम पालीवाल]

की बात है, न सरकार के लिये शोभा की बात है और निश्चित रूप से सर्विसेज़ के लिये तो हानि की बात है ।

एक सदस्य—क्या दो वर्ष पहले यह बात नहीं थी ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं समय का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किस समय यह बात ज्यादा थी या कम थी । इसका अन्दाजा तो विवेकशील व्यक्ति, इस सदन के सदस्य और सर्विसेज़ के लोग स्वयं जानते होंगे कि किस समय यह ज़्यादा थी । आज ज्यादा है या कम है, लेकिन मैं एक मौलिक सिद्धान्त की बात कह रहा हूं । वह यह है कि सर्विसेज़ को निश्चित रूप से निष्पक्ष रहने दिया जाना चाहिये । जब तक वे अपना कर्तव्य पूर्णतया पालन करते हैं, उनको निश्चित रहना चाहिये कि उनको नीचे या ऊंचा धक्का नहीं दिया जावेगा । यह उनको विश्वास होना चाहिये । यह विश्वास है जिसके आधार पर वे जनता और सरकार के प्रति वफादारी से काम कर सकते हैं और अपनी सेवाओं से सरकार और जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं । जब यह भावना उन लोगों के दिलों से उठ जाती है तब सर्विसेज़ में भी डीमोरेलाइजेशन आता है, कमजोरी आ जाती है । उनकी योग्यता, उनका नैतिक स्तर बदल जाता है । इन बातों के लिये दोष या श्रेय देना सरकार का जिम्मा है । यदि इन चीजों को सरकार बनाये रखती है तो इसका श्रेय सरकार का है । यदि किन्हीं सर्विसेज़ को अपने कर्तव्य से विचलित होना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी से या बिना मर्जी से, तो उसका दोष भी सरकार पर निश्चित रूप से आवेगा । यह मानी हुई बात है कि सर्विसेज़ नौकर है, इसलिये कोई भी दल जो सत्ता में है, वह यह समझे कि उनको निश्चित रूप से हमारे इशारे पर चलना चाहिये तो मैं समझता हूं कि भारत के संविधान की निश्चित रूप से अवहेलना होगी और माननीय अध्यक्ष, मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि मुझे कुछ आभास हुआ । मुझे शंका होती है कि इस प्रकार का दोष आ रहा है इस सरकार में । पिछले कुछ दिनों से, मुझे क्षमा किया जावे, मैं यह नहीं कहता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति बिल्कुल ही कभी नहीं रही हो । थोड़ी बहुत कभी कभी मुमकिन है रही होगी और यह शायद थोड़ी बहुत सभी जगह चलती है, लेकिन आखिर इसकी भी एक सीमा होती है । जहां तक हो, इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि इस प्रकार के दोष का शासन में नाश हो ।

पिछले दिनों इस सदन में कई घटनाओं का वर्णन किया गया । उनके साथ साथ यहां बजट का भी ज़िक्र किया गया । इनके अलावा और भी कई घटनाएं हैं । घटनाएं बहुत हैं । मेरी जानकारी में कुछ घटनाएं हैं और काफी सुनने में आया है, जिससे ऐसा लगता है कि राज्य की सेवाओं का निष्पक्ष रूप से व्यवहार नहीं किया जा रहा है । इस विषय पर मैंने अपने एक दो साथियों से कहा भी, अलग में कहा, उसका परिणाम कुछ ठीक नहीं रहा । इसलिये यहां बताने की आवश्यकता समझता हूं ।

श्री घीसीसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह शासन की प्रशंसा है या बजट भाषण है जिस पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह तो आप लोगों की प्रशंसा हैं कि आप लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं ।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे नहीं मालूम कि मेरे माननीय सदस्य को बेचैनी क्यों हो रही है ? मैंने कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं की है, जिससे उनको डर हो, मैं किसी भी व्यक्ति की तरफ इशारा करना या शिकायत करना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं और अगर सिद्धान्त की सही बात कहने पर भी कोई बात चुभती हो तो मैं उससे भयभीत नहीं होने वाला हूं; चाहे वह साधारण सदस्य को चुभे, चाहे वह बड़े से बड़े अधिकारी को चुभे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन मैं यह अनुभव करूंगा कि इस प्रकार की कोई भी बात कारगर नहीं होगी अथवा अधिकांश लोग इस प्रकार की सही बात को सुनना भी नहीं चाहते तो संभवतः मैं यह अनुभव करूंगा कि मेरा इस सदन में रहना वृथा है। इस प्रकार बीच बीच में टोक कर मुझे कोई धोखा नहीं दे सकेगा, यह भी मुझे विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष, मैं ऐसा कह रहा था कि व्यवहार में मुझे ऐसा लगा। मुझे ही नहीं और भी साथियों को ऐसा लगा कि सर्विसेज़ के साथ निष्पक्षता दिखाने में दिनों-दिन कमी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वह क्यों हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, कहां से दबाव पड़ रहा है; इन सब के तफसीलवार विवेचन में जाने की न तो मैं आवश्यकता समझता हूं और न मैं ऐसा करके सदन का समय ही लेना चाहता हूं।

लेकिन यह हो रहा है और इसमें मुझे सन्देह नहीं है। वर्तमान सरकार के बनने के तुरन्त बाद ही ट्रान्स्फर्स की बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट निकली, गजेटेड ऑफिसर्स की लम्बी चौड़ी लिस्ट निकली। उसको देखने से पता लगा कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या कोई राज्य बदला है ? पहले कोई विदेशी शासन रहा हो और अब कोई नया शासन है, जिसकी नयी व्यवस्था करनी है ? सबोर्डिनेट सर्विसेज़ के सम्बन्ध में भी बहुत-सी सूचनायें आयीं, जिनका कि नाम गज़ट में नहीं आता है। यह सारा कुछ ऐसा लगा कि सही दिशा में हम लोग नहीं जा रहे हैं। कुछ अलग अलग इन्स्टान्सेज़ भी मेरे सामने आयीं। यद्यपि मैं अलग अलग इन्स्टान्सेज़ को कोट करना चाहता नहीं था, जो कि मेरी जानकारी में थीं लेकिन एक पहली चीज़ जो सदन की जानकारी में पहले ही आ चुकी है और जो मेरी भी जानकारी में थी, इसलिए मैं उसका ज़िक्र करना अनुचित भी नहीं मानता; अभी एक-दो दिन पहले एक माननीय सदस्य ने, श्री मुक्तिलालजी मोदी ने एक तहसीलदार के तबादले की बात कही। वह तो एक उदाहरण-मात्र है। उसके अलावा और भी घटनायें मेरी निजी जानकारी में हैं। एक तहसीलदार का, लोगों को मालूम हुआ कि तबादला किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र के बहुत से लोग मेरे भी पास आये। श्री मुक्तिलालजी मोदी भी मेरे पास आये और उन्होंने मुझे बताया कि उस तहसीलदार को इसलिए नहीं तब्दील किया जा रहा है कि उसके काम में कोई खराबी हो, वह अपने कर्तव्य से विचलित हुआ हो, बल्कि लोगों का तो कहना था कि बहुत दिनों से इतना अच्छा तहसीलदार उस तहसील में नहीं आया था। लोगों का कहना था कि वह अपने शासकीय कार्यों के अलावा जनहित के विकास-सम्बन्धी कार्यों में भी बहुत सहायता कर रहा था, वहां के लोग एक हाई स्कूल चाहते थे। वह अपने यहां पर और सरकार की, जैसा कि दूसरे मामलों में भी होता है, यह नीति रही है कि जहां के लोग चन्दे से

[श्री टीकाराम पालीवाल]

अपने आप से बिल्डिंग बना दें, वहां सरकार हाई स्कूल खोलने में प्रोत्साहन देती है। तो वहां के लोगों का प्रश्न था कि उनको वहां हाई स्कूल चाहिए। यहाँ की जनता चन्दे से बिल्डिंग बनवा दे तो हाई-स्कूल सरकार बनवा देगी, इसी दृष्टि से वहां के लोग अपने प्रयत्न से हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाना चाहते थे और लोगों का कहना था कि यह तहसीलदार उसमें विशेष रूप से दिलचस्पी ले रहा था। वह हाई स्कूल के बनवाने के लिए चन्दा इकट्ठा करने में भी मदद कर रहा था। यह हम सब जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी यदि इस प्रकार के विकास कार्यों में दिलचस्पी लेता है, लोगों की भलाई के लिए यदि इस प्रकार सुकार्य करता है तो वह ज्यादा आसान होता है; इसीलिए एड्मिनिस्ट्रेटिव अधिकारी प्रोजेक्ट ऑफिसर बनाये थे, जहां कि पहले अलग अलग प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे, इसीलिए एस० डी० ओज़ को प्रोजेक्ट ऑफिसर्स भी नियुक्त किया था कि वे प्रशासनिक अधिकारी होते हुए,जनता के अधिकारी होते हुए, जनहित-कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में जनता को उत्साहित कर सकें और इसीलिए डेवलपमेन्ट ऑफिसर्स बनाया तहसीलदारों को कि वे प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण इस प्रकार के जनहित-कार्यों में, जन-कल्याणकारी कार्यों में जनता को आगे बढ़ावें। यद्यपि इस तहसील में कोई प्रोजेक्ट नहीं था फिर भी वह तहसीलदार दिलचस्पी ले रहा था। यह उसकी सराहना का काम था, उसकी पीठ थपथपाने का वह काम कर रहा था, जनता उसकी अनुगृहीत थी और जनता चाहती थी कि उस अधिकारी का ट्रान्स्फर नहीं किया जाय। मेरे पास लोग आये तो उसकी जानकारी में यह भी मालूम हुआ कि जो उस ट्रान्स्फर को करने के समर्थ अधिकारी थे, उन्होंने ट्रान्स्फर करने से शुरू शुरू में मना किया था कि उसका ट्रान्स्फर करना नहीं चाहिए, वह वहां अच्छा अफसर है। जब जिस ऑफिसर को ट्रान्स्फर करने का अधिकार था और बावजूद इसके कि उस अधिकारी ने मना किया था कि यह अच्छा आदमी है, भला आदमी है, ईमानदार है, अच्छा काम कर रहा है, कोई कारण नहीं है कि इसका ट्रान्स्फर किया जाय तो फिर आगे दबाव डाला गया और उस समर्थ अधिकारी को, ट्रान्स्फर करने के समर्थ अधिकारी को मजबूर किया गया कि ट्रान्स्फर करें। ट्रान्स्फर के ऑर्डर्स हो गये और उसके बाद वहां की जनता और मुक्तिलालजी मोदी मेरे पास आये। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस बारे में कुछ कहूं, लेकिन जोर दिया कि मैं समय समय पर सलाह दूँ, गाइडेन्स दूँ, इसलिए मुझे साहस हुआ कि क्या हर्ज है कि सही बात कहूं। मैंने अपने मित्र से जो सम्बन्धित मंत्री हैं, कहा कि भाई इस प्रकार के अच्छे ऑफिसर का, जो जनहित का कार्य कर रहा है, कर्तव्यपरायणता से काम कर रहा है, क्यों ट्रान्स्फर किया जाता है, क्योंकि लोगों ने पहले ही बताया था कि कुछ लोग उससे असंतुष्ट हैं, निजी कारणों से। उनमें एक-दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मैंने उन्हें बताया कि एक-दो व्यक्तियों के लिए वे सुविधाजनक नहीं हैं। यदि एक-दो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक न होने से अफसर का ट्रान्स्फर किया जाता है तो उससे तीन हानियां होंगी। एक तरफ तो विकास-कार्यों में वह दिलचस्पी ले रहा है वह थोड़ी हो जायगी और इतनी गति उन कार्यों में नहीं रहेगी और इससे कल्याणकारी कार्यों में ठेस पहुंचेगी। दूसरा अफसर को भी ठेस पहुँचेगी कि मैं कर्तव्यपरायणता से काम कर रहा हूं, यद्यपि एक-दो आदमियों को उनकी इच्छानुकूल फायदा नहीं पहुँचा सका, सुविधा नहीं पहुँचा सका, इसलिए सरकार मेरा ट्रान्स्फर कर रही है। तो उस कर्तव्यपरायणता में निश्चित रूप से वे आगे कभी नहीं आयेंगे और मैंने उनको यह समझाने की कोशिश की कि उसके बाद जो अधिकारी आयगा, वह निश्चित रूप से एक-दो आदमियों के इशारों पर नाचेगा कि अमुक आदमियों के इशारों

[श्री टीकाराम पालीवाल]

पर चलना अच्छा है और कर्तव्यपरायणता कितनी ही अच्छी करता रहे, तो इधर उधर धक्के खाना पड़ेगा। मुझे संतोष है और मैं धन्यवाद देता हूं अपने मित्र को कि उन्हें मेरी यह बात सही जंची और दूसरे रोज उन्होंने मुझे कहा कि मैं यह जानता हूं कि यह अधिकारी अच्छा है, कर्त्तव्यपरायण है, ईमानदार है। यह सुनकर मुझे भी संतोष हुआ और उन्होंने वे ट्रान्सफर के ऑर्डर्स रद्द कर दिये, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। मैंने श्री मुक्तिलालजी मोदी से कहा कि मुझे यह बताया गया है कि ट्रान्सफर ऑर्डर्स को केन्सल करने में मुख्य मंत्रीजी की अनुमति ले ली गई है और उनकी अनुमति से ट्रान्सफर ऑर्डर्स रोके गये हैं। वहां के लोगों को और श्री मुक्तिलालजी मोदी को संतोष हुआ कि, चलो जरा काम हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि वह ट्रान्सफर ऑर्डर जो कि रद्द करना था वह दुबारा रद्द कर दिया गया और ट्रांस्फर हो गया और ऐसी स्थिति में हुआ कि जिसके लिए कोई समय दुबारा बातचीत करने के लिए नहीं था।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—That is called cleverness.

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे थोड़ी ठेस इस बात की लगी कि एक इतने सही काम में, सही बात के होने पर भी और सरकार के सदस्य यह मानते हैं कि वह आदमी ईमानदार है, कर्तव्य-परायण है और फिर भी कुछ व्यक्तियों की सुविधा के लिए उसे इस तरह धकेल देते हैं; तो सर्विसेज़ के मोरल को उससे धक्का लगने वाला है और उससे दूसरे ऑफिसर्स के मोरल पर भी धक्का आता है। इसलिए मुझे यह ठेस लगी। लेकिन मुझे फिर बाद में बताया गया और मालूम हुआ कि उसका कारण यह था कि कुछ लोगों ने उसको अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत का प्रश्न बना लिया और मुख्य मन्त्री के एक सहयोगी उनके पास जाकर के बहुत दुःखी हुए कि उनकी कोई बात नहीं रही। सुना यह गया कि उनकी आंखों में आंसू भी आगये।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और इसलिये उन आंसुओं से द्रवित होकर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को अपने एक साथी के कहने पर ऑर्डर को बदलना मुनासिब लगा।

श्री वेदपाल त्यागी—आंसू ही तो ज़ेवर होते हैं!

श्री टीकाराम पालीवाल—(जारी) खैर, जो कुछ भी हो, मुझे इस बात से ठेस लगी, चाहे वे आंसू किसी महिला के हो हों। जो शासन करने बैठे हैं उन्हें इस प्रकार महिला के आंसुओं से द्रवित नहीं होना चाहिये, चाहे उनका कोई साथी ही हो। मैं तो उनसे यह आशा करता था, उनके मुख्य मन्त्री बनने के बाद उनका जो ओब्लाइज करने का सुन्दर स्वभाव है उसमें कुछ परिवर्तन होगा ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी के उठाने से। किन्तु यह चीज जानकर मेरे मन को ठेस लगी। इसके बाद मुझे यह भी आवश्यक नहीं लगा कि मैं उनको इसके बारे में दुबारा कहूं या उनके दूसरे किसी साथी से कहूं। इससे मुझे यह पता चला कि पहले जो बातें कहीं गईं कि आप सलाह देते रहिये, गाइडेन्स देते रहिये, वे केवल औपचारिक बातें थीं।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

मैंने यह बातें इसलिये कहीं कि मुझे निश्चित तौर से एक बात का भयंकर ख़तरा मालूम होता है कि अगर इस प्रकार का व्यवहार राज्य की सर्विस क्लास के साथ किया गया तो एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

जो राज्य-कर्मचारी कर्तव्यपरायण नहीं, मेरा यह हमेशा रवैया रहा है कि उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाय, लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्यपरायण है और जिनके कार्यों से जनता सन्तुष्ट है तो फिर किसी मित्र के नाराज होने या मेरे रिश्तेदारों की असुविधा की वजह से उनको यदि इधर-उधर फेंका जाता है तो मैं यह समझता हूं यह न केवल जनतन्त्र का मखौल है, बल्कि उसका गला घोंटना कहा जायगा। (हर्षध्वनि)

इस प्रकार एक ही नहीं बल्कि कई उदाहरण मेरे सामने आये हैं। उन सब की चर्चा मैं यहां करना जरूरी नहीं समझता। यहां तक कि छोटे छोटे स्कूल मास्टर्स तक का ट्रान्सफर किया गया-सिर्फ इसलिये कि उनके बाप पंचायतों के चुनाव में इधर नहीं उधर हैं। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं पंचायतों के चुनाव में एक निश्चित रुख लिये हुए हूं, वह रुख किसी को पसंद नहीं, इसलिये मेरे लड़के का ट्रान्सफर, जो कि गांव के आसपास किसी स्कूल में मास्टर था, उस डिवीज़न में नहीं बल्कि दूसरे डिवीज़न में कर दिया गया।

एक पंचायत के चुनाव के समय चुनाव तारीख स्थगित कर दी गई, जब दूसरी तारीख आई तब तक दो चार व्यक्तियों के इधर उधर तबादले कर दिये जाते हैं क्योंकि उनके कुछ घरवाले दूसरे का पक्ष ले रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का व्यवहार सर्विसेज़ के साथ करना केवल सर्विसेज के साथ ही अन्याय नहीं, लेकिन जनतंत्र के साथ यह बड़ा भारी अन्याय होगा, प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के साथ यह बड़ा भारी अन्याय है। अगर हमने इसको ठीक समय होते नहीं संभाला तो मेरा यह मानना है कि यह बड़ा भारी खतरा पैदा करने वाली चीज़ होगी। जहां हम टोटेलिटेरियन स्टेट्स की एक तरफ बुराई करते हैं और उनकी कड़ी आलोचना करते हैं और यह समझकर आलोचना करते हैं कि वह अच्छी नहीं हैं; वह इतनी बुरी नहीं होगी जितनी कि इस डेमोक्रेसी में पनपने वाला टोटेलिटेरियनिज़्म होगा। आज इस प्रकार के टोटेलिटेरियनिज्म से केवल अपने प्रान्त को ही हम खतरे में नहीं डालेंगे, बल्कि हम अपने सारे देश की प्रतिष्ठा को नहीं रहने देंगे। इससे हमारी प्रतिष्ठा सारी दुनियां में रहने वाली नहीं, इससे न तो हमारी प्रतिष्ठा जनता में रह सकेगी और न सर्विसेज़ में रहेगी। यह ठीक है कि सर्विसेज़ कई दफा मातहत होने के कारण दबाव में आकर आदेश का पालन कर देती है फिर भी उनके अन्दर एक आत्मा है, कोन्श्यन्स है। अगर उनसे गलत काम कराया जाता है तो वे आपको ओबीडिएन्स जरूर दे सकते हैं, आदर नहीं देंगे। जबरदस्ती से ओबीडिऐन्स प्राप्त किया जा सकता है, आदर नहीं। कोई भी सरकार हो वह जब तक जनता और सर्विसेज़ का रेस्पेक्ट कमान्ड नहीं करती, तब तक वह सफल भी नहीं गिनी जा सकती। वह जरूर नॉर्मली शासन चला सकती है, लेकिन उसे सफल शासन नहीं कहा जा सकता। मैं मानता हूं कि जो मैंने थोड़े से शब्द कहे उनके अनुसार जो कुछ भी पीछे हुआ उसको भुलाया जा सकता है और भविष्य में इन बातों का ध्यान रखा जावेगा कि सही मार्ग पर शासन चलाया जायगा; ऐसी मैं आशा करता हूं।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

आज हम रीजनेलिज़्म का विरोध करते हैं मुक्त कंठ से, किन्तु हमारा व्यवहार चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो उससे ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे यह साफ़ पता चलता है कि हम रीज़नेलिज़्म से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इससे हमारा कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। उससे न प्रतिष्ठा बढ़ेगी सदस्यों की; न सरकार की और न सरकारी दल की ही प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है।

अब मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि जनता के बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान आकृष्ट कर रही है: वह है हमारा जोबनेर का कृषि कॉलेज। जोबनेर कॉलेज के बारे में मैं एक-दो छोटी छोटी मिसालें देना चाहता हूं जिससे कि हमें मार्ग-दर्शन मिल सके, सही वस्तुस्थिति को समझने में। जोबनेर कॉलेज एक बहुत अच्छी संस्था है। जागीरदारों के प्रति चाहे लोग कुछ कहते रहें कि अपनी आमदनी का सारा का सारा हिस्सा, अपने सुख-ऐश्वर्य में ही खर्च कर देते हैं, पर जहां तक जोबनेर के जागीरदार का संबंध है वह ऐसे हैं, जिन्होंने आज से नहीं, तब से जब से कि जन-आन्दोलन हमारे यहां चलने लगा और जिस समय राजस्थान में राजनैतिक कोन्शयन्स नहीं के बराबर था, उस समय से जोबनेर के जागीरदार और वर्तमान जागीरदार के पिता इस संस्था को चला रहे हैं। पिता और पुत्र आज के जागीरदार जन-सेवा की भावना से इस संस्था को तब से बराबर चलाते आ रहे हैं। पहले यह छोटी सी स्कूल थी, फिर हाईस्कूल बनी, बाद में इन्टर-कॉलेज बना और धीरे धीरे इस संस्था ने तरक्की की और आज यह कृषि कॉलेज और डिग्री कॉलेज में परिणत हो गया है। जोबनेर के ये जागीरदार तब से अपनी आमदनी का अधिकांश भाग इस संस्था में खर्च करते रहे, अपनी जोबनेर की सम्पत्ति का अधिकांश भाग, अपनी यहां की जमीन की आमदनी जो होती थी उसका बड़ा भाग तो लगाते ही थे, पर जयपुर में भी उनकी जो सम्पत्ति थी; जमीन, मकान, कूएं आदि यह भी सारी उसी में लगा दी और स्वयं उसके एक छोटे से कोने में रहते हैं; गरीब आदमी की तरह, फकीर की तरह करीब करीब। उस आदमी ने बहुत कुछ किया उस वक्त जब कि राजस्थान नहीं बना था और जब उनको यह कल्पना नहीं थी कि हमारी जागीरें इतनी जल्दी चली जावेंगी। उस समय उन्होंने कृषकों की भलाई के लिए इस कॉलेज को कृषि कॉलेज बनाया और अपनी शक्ति के अनुसार चलाते रहे और अब भी चला रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज जितना अच्छा होना चाहिए, जितने इक्विपमेन्ट होने चाहिए, जितना व्यय उस पर होना चाहिए उतना सामान रखने और व्यय करने की उनकी सामर्थ्य उनमें नहीं है, अपनी सारी आमदनी लगादें तब भी। फिर भी उनसे जितना किया जा सकता था किया और आज भी कर रहे हैं और संस्था चल रही है और आज यह डिग्री कॉलेज है। वहां के लोग बहुत क्षुब्ध हुए यह सुन कर कि राजस्थान सरकार ने यह शीघ्रता में निर्णय कर लिया कि सरकार डिग्री कॉलेज कृषि का उदयपुर में बनाने जा रही है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय या सम्बन्धित मन्त्री महोदय यदि मेरे कथन में कहीं गलती हो तो सही बता देंगे। मेरे जहां तक जानने में आया है वहां तक मैं कह सकता हूं कि यह भी निर्णय हो रहा है कि उदयपुर के कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक की सब क्लासें एक साथ खोल दी जावेंगी और इस कॉलेज़ में से जो विद्यार्थी वहां जाना चाहेंगे उनको एडमिशन फ्री भी दे दिया जावेगा। स्टाफ के लोगों को भी आश्वासन दिया गया बतलाया है कि उनमें से भी जो लोग वहां जाना चाहेंगे उनको भी ऐसी दरख्वास्तों पर विचार किया जा सकेगा। इसका अर्थ सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि इस क्षेत्र में बन्द हो जावे और दूसरे क्षेत्र में जाकर शुरू हो जावे।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

यहां के लोगों की बराबर यह मांग रही और ठाकुर साहब की भी यह बराबर मांग रही कि उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति जो उसमें लगा रक्खी है, वह भी गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेन्ट इस संस्था को ले ले और अच्छी तरह से चलावे। मुझे मालूम नहीं, गवर्नमेन्ट को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? अभी तो गवर्नमेन्ट उसको ८० प्रतिशत एड् भी दे रही है, देनी भी चाहिये पर उसे भी यह स्वीकार करना चाहिए कि वह संस्था यथोचित रूप से नहीं चल रही है, जिस अच्छे रूप में एक कृषि कॉलेज को चलना चाहिये वैसे तो नहीं चल रही है।

राजस्थान में एक अच्छे कॉलेज की आवश्यकता भी है। तो बजाय इसके कि ऐसी परिस्थिति पैदा की जावे कि यह संस्था भी चले और नये सिरे से सरकार एक संस्था उदयपुर में और कायम करे ऐसी परिस्थिति पैदा करना कि यहां बन्द हो और वहां चले, ऐसा निर्णय करना यह ऐसा लगता है, फिर चाहे आपकी भावना वैसी न भी हो, पर लोगों को सन्देह होता है कि इसके पीछे रीजनल पक्षपात की भावना छिपी हुई है। (करतल-ध्वनि)

मुमकिन है कि आपकी भावना ऐसी नहीं रही हो ऐसा निर्णय करते समय, पर दूसरे लोगों को ऐसी आशंका होने की गुंजाश हो सकती है। विशेष रूप से इस हालत में कि लोगों को जब कि यह भी मालूम है कि पिछले दिनों कुछ ऐसे प्रयत्न भी हुए कि राजपूताना युनीवर्सिटी को भी यहां से हटा लिया जावे। वे प्रयत्न सफल नहीं हुये, यह दूसरी बात है। इसको भी कभी जोधपुर, तो कभी उदयपुर ले जाने को बात हुई; उदयपुर ले जाने के लिए भी बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ। लेकिन वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ।

अब एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए उदयपुर बहुत अधिक उपयुक्त होगा, ऐसा मुझे मालूम नहीं। वह उपयुक्त है या नहीं, एक्सपर्ट ने किस आधार पर राय दी? मुझे बताया गया जोबनेर के कॉलेज के बारे में कि जोबनेर में कॉलेज की अच्छी बिल्डिंग बनी है, इक्विपमेन्ट जरूर पूरे नहीं हैं, पर बिल्डिंग काफी है और भूमि भी है। भूमि के बारे में यह एतराज़ किया गया बतलाया कि वह भूमि तो ऐसी है जिसमें कुछ किसानों को खातेदारी राइट्स एक्रयूं हो चुके हैं। हो सकता है कि कुछ किसानों को एक्रयू हो गये हैं पर मेरा खयाल है कि सारी की सारी भूमि में नहीं हुए होंगे। पर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि सारी भूमि में खतेदारी राइट्स एक्रयू हो गये तो संस्थाओं के लिए बिल्डिंग बनाने के वास्ते भी सरकार ने कई बार किसानों को बेदखल किया है, आज किये जा रहे हैं, पहले किये गये हैं और आज भी किये गये हैं। जनहितकारी कार्यों के लिए जो इस महत्व के हों उनके लिए बेदखल करके जमीन एक्वायर करना कोई ऐतराज की बात नहीं हो सकती। तो इस एग्रीकल्चरल कॉलेज के लिए, इसके एक्सपेरिमेन्टल फार्म्स के लिए अगर जमीन की जरूरत है तो किसानों को उस जमीन पर से बेदखल करके एक्वायर नहीं किया जावे, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है, न किसी की हो सकती है। एक्वायर करके किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा जितना बड़ा कि इस गवर्नमेन्ट ने या दूसरी किसी गवर्नमेन्ट ने पहले कभी किया नहीं होगा, यह मैं नहीं मानता अगर इसको अन्याय हुआ माना जावे तो। अभी अभी हमने अलवर में वाटर वर्क्स बनाया और उसके लिए किसानों की जमीन एक्वायर की। एक्वायर किया जाना जरूरी था, इसलिए किया गया। यह

[श्री टीकाराम पालीवाल]

कोई अनुचित नहीं था, उचित था। कुछ लोगों ने आन्दोलन किया। एक साहब ने तो भूख-हड़ताल तक कर दी, पर चूंकि मामला उचित था, इसलिए हमने हिम्मत से मुकाबला किया। आवश्यक चीज़ थी, करनी थी। सरकार का रवया सही था। फिर मैं कहता हूं कि जब इस वाटर वर्क्स के लिए ऐसा हो सकता था तो यहां पर किसानों से जमीन लेनी जरूरी है, तो क्यों नहीं ली जावे ?

फिर ड्राई फार्म के लिए भी जमीन उपलब्ध है और इरिगेशन की जमीन भी उपलब्ध है। पास में ही बन्ध है। तो जहां पर इरिगेशन फार्म के लिए और ड्राई फार्म के लिए भी ज़मीन उपलब्ध हो और आबहवा भी अच्छी ही है, कोई खराब नहीं है बल्कि एक मामले में तो अच्छा है। सीज़न का चेन्ज होता रहता है तो इससे अच्छी मौलिक चीज़ दूसरी नहीं हो सकती। उदयपुर में सीजन के चेन्ज के लिए इतनी मौलिक चीज़ नहीं मिलेगी, जितनी यहां मिलेगी। इसलिए यहां डिफरेन्ट सीज़नल चेन्जेज़ में डिफरेन्ट क्रॉप्स के एक्सपेरिमेन्ट के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा यह स्थान, बजाय उदयपुर के। वहां एक-सी सीज़न रहती है जिससे डिफरेन्ट क्रॉप्स का डिफरेन्ट सीज़न में एक्सपेरिमेन्ट करने की इतनी सहूलियत वहां नहीं मिल सकेगी। (हंसी).

यह सब होते हुए भी एक बन्द किया जावे और दूसरा शुरु किया जावे, यह मेरी समझ में नहीं आता।

जब कि हमें यह भी मालूम है, मेरे साथी भूले नहीं होंगे कि एक बार सरकार के सामने यह प्रश्न आया था कि भिन्न भिन्न जगहों पर कुछ संस्थाएं खड़ी की जावें और मुझे याद पड़ता है कि हमने उदयपुर के लिए सोचा था कि वहां एक माइनिंग और मैटिरियोलोंजी इन्स्टीट्यूशन होनी चाहिए; वह स्थान इसके लिये ज्यादा उपयुक्त होगा। इसका मैंने पूरा समर्थन किया था और मैं आज भी यह मानता हूं कि यह अगर वहां बनाया जावे तो निश्चित रूप से ज्यादा उपयोगी होगा।

पर एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए तो जोबनेर ज्यादा उपयुक्त न हो तो मेरे खयाल से और भी कहीं ज्यादा उपयोगी स्थान हो सकते है; कोटा हो सकता है, अलवर हो सकता है, यदि पुरानी राजधानियों का ही विशेष ध्यान देना है और फिर और भी कई पुरानी राजधानियां इसके लिए उपयुक्त हो सकती हैं। इस संबन्ध में एक बात और है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। कुछ समय पहले गंगानगर जिले में सिंचाई की दर को लेकर उसके बारे में एक आन्दोलन हुआ था। हमने सिंचाई की दर बढ़ाई थी और वह बढ़ाना आवश्यक था और बिलकुल उचित था, इसलिए बढ़ाया। वहां के साथियों ने आन्दोलन किया इसको लेकर कि यह दर नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और उन्होंने इसके लिए यह आर्ग्यूमेन्ट दिया था कि सरकार अलग अलग जगहों पर विकास-कार्यों के लिए बहुत अधिक खर्च कर रही है पर इस इलाके में बहुत कम, नहीं के बराबर खर्च करती है। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखकर इस दर को नहीं बढ़ाना चाहिए। मैंने अपने सहयोगियों को जो इस वक्त मुख्यमन्त्री हैं और दूसरे मन्त्री हैं उनकी, सबकी सलाह से यह आश्वासन दिया था कि यह दर तो नहीं घटाई जावेगी, हम मजबूती से अपने इस निर्णय पर कायम रहेंगे पर आपकी इस शिकायत पर कि आपके यहां विकास-कार्यों पर कम खर्च हुआ है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

उन्होंने कहा हमारे यहां कॉलेज नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, अमुक बात कम है। उस पर मैंने अपने साथियों से परामर्श लेकर उन्हें आश्वासन दिया कि सड़कों की तरफ भी हम पूरा ध्यान देंगे और एग्रीकल्चर कॉलेज भी आपको देंगे, पर वह एग्रीकल्चर कालेज दूसरा होगा। मैं यह नहीं कहता कि यह गंगानगर में खोलेंगे ही। यह कोई कमिटमेन्ट भी हमारा नहीं था। ध्यान रखने की बात जरूर कही थी। उस वक्त सही रूप से यह विचार था भी कि गंगानगर को एग्रीकल्चर कॉलेज दे सकते हैं और यह बात मैंने अपने साथियों की सलाह से कही थी। यद्यपि यह कोई बाइन्डिंग या कमिटमेन्ट नहीं माना गया है पर ध्यान रखने लायक चीज़ तो है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ओर यह होता है कि एक ऐसी संस्था को लेकर चलाने में सरकार इतनी आनाकानी करती है जबकि दूसरी ओर उदयपुर का पॉवर हाउस है, जिसको लेने की बातें की जाती हैं, जिसको लेने न लेने के बारे में बहुत भिन्न भिन्न रायें हैं। इसको लेने के लिए मेरे वक्त में कुछ मेरे सहयोगी मित्र बहुत दबाव डालते रहे और इस मामले को लेकर वे बहुत नाराज भी हुए और कहते रहे कि इसे खरीदना ही चाहिये। इस बारे में हमारे रास्ते में जो कठिनाइयां थीं वे मैंने उन्हें बताई और कहा कि यह तो एक व्यापारी का पॉवर हाउस है और काफी बड़ा है जिसका वेल्युएशन भी बढ़ा-चढ़ा कर, हिसाब को मेनिपुलेट करके बताया गया है, जबकि और कई कई छोटे-छोटे पॉवर हाउसेज़ जो हैं वे ऐसे हैं कि अच्छी हालत में नहीं चल रहे है, उन्हें पहले लेना ज्यादा जरूरी है। सीकर का था, बूंदी का था, झुंझुनूं का था तथा और कई इस तरह के छःसात पॉवर हाउसेज़ थे जो छोटे-छोटे थे, जिनके लिए अधिक रुपया खर्च नहीं करना पड़ता था, किसी के लिए दो लाख, किसी के लिए तीन, किसी के लिए डेढ़ और एक लाख। राजगढ़ का तो ऐसा छोटा था कि जिसके लिए कुछ हजार रुपये ही देने पड़ रहे थे। तो ये छोटे-छोटे पॉवर हाउसेज़ नहीं लें और उदयपुर जैसा बड़ा पॉवर हाउस जिसके बारे में निश्चित रूप से हम जानते थे कि इसमें हमें अधिक रकम देनी पड़ रही है, लेना कैसे उपयुक्त हो सकता था, यह मैंने कहा। रेटिंग कमेटी ने जो रेट उनके हिसाब के आंकड़ों के आधार पर तय की, वह अनुचित रूप से अधिक थी क्योंकि उनका हिसाब बढ़ा-चढ़ा कर गलत आंकड़ों पर आश्रित था, मैनीपुलेशन हिसाब में किया गया था। हायर रेट और वह इसलिए हायर हो गई है कि पॉवर हाउस के मालिक अपने यहां की मशीनरी और दूसरा जितना लाइवस्टॉक है, उनका ओवर वेल्युएशन करवाया है और उसे ऐसा मेन्योवर करवाया है जितनी कि वह लागत की चीज़ नहीं है, उतनी इस मेन्योवर कराये गये हिसाब से आई है। यहां रेटिंग कमेटी की रेट के खिलाफ काफी आन्दोलन भी हुआ।

मैंने उनसे कहा कि जब आपको एक रेट के खिलाफ में शिकायत है कि यह बहुत हार्ड रेट्स हैं तो उससे हायर रेट्स और भी कई सरकारी पॉवर हाउसेज़ में हैं। मैंने उनसे दो बातें कहीं। वहां के जो हमारे साथी थे उदयपुर के उनसे बात करने के लिए मैं एक दफा पहुंच गया, वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए मैं उदयपुर पहुंचा। हमारे कुछ साथियों ने उस विषय को सत्याग्रह करने के लायक समझा और सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह में सरकार के हमारे साथियों का समर्थन रहा। तो हमारे लिये बड़ी कठिन समस्या होगई। सरकार के हमारे साथी समर्थन दें और हमारे बड़े से बड़े साथी सत्याग्रह करें तो सरकार के लिए, उस दफा, मैं उसका संबंधित मंत्री था, मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या होगई। हमारे मुख्यमंत्री के लिए बड़ी कठिन समस्या हो गई, मैं स्वयं वहां गया।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

मैंने साथियों से बात की और जिन साथियों के लिये कहा गया था कि दबाव डालते हैं, इसलिए करना पड़ता है, तो मैंने उनसे डाइरेक्ट बात की, और उन्हें समझाया। उन्हें नाराजगी थी उदयपुर पॉवर हाउस के प्रोप्राइटर से, उनके व्यवहार से। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो एक संस्था को लेने का प्रश्न है और वह चाहते हैं कि सरकार इसको ले ले, लेकिन सरकार को इसमें हिचकिचाहट हो रही है और एक तरफ एक कमर्शियल कन्सर्न है, जिसमें निश्चित ओवर वेल्युएशन किया हुआ है, लेने का सुझाव था। मेरा एतराज भी यही था, मैंने अपने साथियों को समझाया कि इसको लेने से ५,७ लाख रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे जितनी कि उसकी कीमत है। मेरे उदयपुर के साथी समझ गये। उनकी समझ में यह आ गया। मैंने उनको यह समझाया कि आज जो हार्ड रेट है, रेट ज्यादा कर रहा है तो वह रेट ज्यादा इसलिए कर रहा है कि इसका ओवर वेल्युएशन किया हुआ है। उसी वेल्युएशन के आधार पर यदि इसको लिया जायगा तो जो मेनिपुलेशन किया हुआ है एकाउन्ट्स में तो वही आयेगा, दुबारा करेंगे तो भी वही आयेगा। मेन्युपुलेशन चाहे कितनी चालाकी से किया हो उससे नहीं बन सकेगा, वह वेल्युएशन वही आता है। मन में सब लोग यह मानते हैं कि वह मेनिपुलेटेड है। कई लोग चाहे उस आदमी से नाराज हैं, उस आदमी को इनाम दिलाना चाहते हैं ४, ५ लाख का और जिससे सरकार को नुकसान पहुंचता है और आपका लाभ क्या होगा? लाभ नहीं होगा। लाभ इसलिए नहीं होगा कि राज्य द्वारा संचालित पॉवर हाउसेज़ हैं, जिनमें उदयपुर में जो रेट्स हैं उन रेट्स के मुकाबले में ही रेट्स हैं। एकाध जगह ज्यादा भी हैं। आप कहते हैं कि सरकार को ले लेना चाहिए ४,५ लाख रुपया ज्यादा देकर। तब फिर सरकार यहां पर कम रेट पर कैसे देगी जब कि दूसरी जगह ज्यादा रेट पर देगी? यहां पर कम रेट पर लगायेगी सरकार और दूसरी जगह लो रेट पर नहीं लगायेगी तो लोग कहेंगे कि उदयपुर के साथ पक्षपात किया जा रहा है। यह ध्येय मैंने अपने साथियों के सामने रखा। उन्होंने उसको मान लिया कि बात ठीक जंचती है। अच्छी बात है आप रहने दीजिये, और रास्ता देखिये। मैंने उन्हें आश्वासन दिलाया कि और रास्ता यही है कि जिस प्रकार हो सके, नये पॉवर हाउस की व्यवस्था की जाय या चम्बल से जो बिजली आयेगी, वह इससे सस्ती बिजली होगी, उसके लिए इन्तजार करना चाहिए। साथियों ने उसको मान लिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद साथियों के विचार बदल गये, हमारे बड़े साथियों के विचार बदल गये। फिर दबाव डाला गया और सरकार को तय करना पड़ा कि प्राइवेट पॉवर हाउस को ले लिया जाय। तो मैं अर्ज कर रहा था कि १४,१५ लाख की चीज़ को खरीदने का सवाल जिसको हम समझते हुए, खरीदने का दबाव डालने वाले लोग समझते हैं, कि ओवरवेल्युएशन है, ४,५ लाख का ओवरवेल्युएशन है, उसके लिए तो यह बात है और दूसरी ओर शिक्षण-संस्था है जो बहुत दिनों से चल रहे हैं, उसको लेने में हिचकिचाहट करती है। मेरी समझ में नहीं आया और न और लोगों की समझ में आया। सरकार की ऐसी भावना नहीं होगी, लेकिन लोगों को शक होता है। जब कि दोनों चीजों को सामने रखते हैं तो इसमें साफ साफ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपस की निजी बातचीत की कई बातों को टॉप आउट कर दिया जाता है, मुमकिन है यह भी टॉप आउट किया जाय, इसका कोई अर्थ नहीं है; लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिर इस सदन (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) के सदस्य और सरकार सही चीज को सही तौर से समझें।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

चूंकि घंटी बज रही है और मेरे साथी ऊब रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय भी ऊब गये हैं इसलिए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इससे बजट पर वाद-विवाद जो सुनने को मिला...

श्री उपाध्यक्ष—अब तक कई सदस्यगण जो हैं उनको पूरा समय दिया गया, तो वे घण्टे के करीब २ बोले। फहरिस्त जो दोनों तरफ से आई है उसमें कई बोलना चाहते हैं। इसलिए अब जो बोलने वाले हैं उनको अपना समय थोड़ा थोड़ा लेकर मुख्य २ बातें जो कहने की हों, वही कहें; वर्ना कई और लोग बाकी रह जायेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जो बोला जाय वह संक्षेप में कहा जाय। फिर आखीर में इस पर विचार कर लेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, कल आप मुझे बोलने का समय दे देते तो मैं समझता हूं कि हाउस का बहुत समय बच जाता। उसका कारण यह है कि वक्ता लोग जो गलती करते रहे हैं वह मेरे भाषण के बाद नहीं होती। (हंसी) गलती यह हुई है कि बजट क्या है और बजट पर जनरल डिसकशन क्या होना चाहिए, इसका लोगों को कुछ भान ठीक तरह से रहा नहीं और ऐसी चीजों पर चले गये जिनका कुछ बजट से सम्बन्ध था, कुछ राजप्रमुख के भाषण से था और कुछ किसी और से संबंध था। उसमें वह वक्त ले लिया गया। इसलिए मैं सिर्फ बजट पर बोलूंगा। मुझे आशा है कि आगे डर चला जायगा।

सबसे पहली चीज जो मैं इस बजट के सम्बन्ध में कहूंगा वह यह है कि पिछले चार सालों का बजट जिन लाइन्स पर था यह बजट भी उन्हीं लाइन्स पर है। हां, इतना आवश्य है कि इसके अन्दर उनसे इम्प्रूवमेंट हैं, सुधार हैं और पब्लिक की भलाई के कामों के लिए कुछ अधिक रखा गया है, लेकिन रेख यही है। इस सम्बन्ध में मुझे मेरे मित्र, वित्त-मंत्री महोदय, से एक शिकायत है। उन्होंने अपने भाषण में एक शब्द इस्तेमाल किया है, वह अगर नहीं लाते तो बहुत अच्छा होता। यह क्या शब्द है कि हम तरक्की पर द्रुतगति से चल रहे हैं; 'द्रुतगति' के मायने बिजली की तेजी के साथ। बिजली की तेजी इतनी जबरदस्त तेजी होती है कि हमारे यहां बटन दबाया पॉवर हाउस में कि १०० मील या १००० मीलों पर एक सेकण्ड में पहुँच जाती है।...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—'द्रुतगति' और 'विद्युतगति' में फर्क है।

श्री गोपीलाल यादव—मैं उसके अन्दर ही आ रहा हूं। हम एक स्टेडी चाल से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम कदम बढ़ा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं; लेकिन हमारी तरक्की की चाल कछुए की चाल जैसी है। हां, थोड़ी सी तेज़ी है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है।

[श्री गोपीलाल यादव]

अब में बजट की मुख्य बातों पर आता हूं। सबसे पहली शिकायत मुझे मेरे मित्र से यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली का बजट ३० हजार रुपये से और नहीं बढ़ाया है। ये ३० हजार रुपये में क्यों बढाना चाहता हूं उसकी वजह यह है कि पिछले चार साल से हाउस का गला घोट दिया गया है। हम लोगों के बोलने के लिये टाइम नहीं है। बजट पर जनरल डिस्कशन के ३ दिन और कट मोशन्स के लिए ४ दिन दिये जाते हैं। डिमान्ड्स कुल ५२ या ५५ हैं। यदि एक डिमान्ड पर घंटा भर लगाया जाय तो भी ५५ घंटे कम से कम सदस्यों को दिये जाने चाहिए। किसी डिमान्ड में ज्यादा भी समय लग सकता है। मैं यह चाहता हूं कि ३० हजार रुपयों से असेम्बली का अधिवेशन १५ दिन के लिए और बढ़ा दिया जाय। हाउस का एक दिन का खर्चा २ हजार रुपये हैं, इसलिये ३० हजार रुपयों से १५ दिन बढ़ जायेंगे। इनमें से १० दिन अशासकीय काम के लिये और ५ दिन बजट के लिये डिमान्ड्स पर और बढाये जा सकते हैं क्योंकि इस वक्त हमको बुलाया जाता है इतने रुपये खर्च करके सिर्फ गवर्नमेंट की बिजनेस को डिटो करने के लिए और बाकी प्राइवेट मेम्बर्स के बिजनेस की कोई परवाह नहीं की जाती। असेम्बली शुरू होने से अब तक कुल एक या दो बिल प्राइवेट मेम्बर्स की तरफ से आये हैं और वे बिल अब तक आगे नहीं बढ़े। इस स्पीड से तो स्पीकर महोदय, १०० साल में भी प्राइवेट मेम्बर्स के बिल पास नहीं हो सकेंगे। १ दिन प्राइवेट मेम्बर्स के लिये आता है उसी में रिज़ोल्यूशन्स लिये जाते हैं और उसी में बिल लिये जाते हैं। इसलिये मैं वित्त-मंत्रीजी से कहूंगा कि कहीं से बचत कर २० हजार रुपये प्राइवेट मेम्बर्स के १० दिन के बिजनेस के लिए और १० हजार रुपये बजट पर बहस के लिये ५ दिन और बढ़ाने के लिये और दिये जायें और यह इसी साल से शुरू कर दिया जाय, ताकि कुछ तो डेमोक्रेसी पनपे।

इसके बाद मैं दूसरी चीज का जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं निवेदन करूंगा और मेरा मुख्य ध्येय है, वह है—किसानों की भलाई। ...

श्री हिम्मतसिंह—बस।

श्री गोपीलाल यादव—सबसे ज्यादा किसानों की भलाई ही मेरा ध्येय है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसान नहीं हैं, उनकी भलाई नहीं हो। लेकिन इसका कारण यह है कि किसान ज्यादा पददलित हो चुके हैं और ज्यादा गरीब हैं, इसलिए उनको ऊंचा उठाना है। नॉन-किसान भी ऊंचे उठ सकते है। मेरे मित्र के इस बजट में शायद सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी या नज़र नहीं आयी होंगी। मैंने सन् ५२ में बजट पर एक बात कही थी और वह यह कि बजट देखने से ऐसा महसूस होता है जैसे वह शहरी बजट हो। आज यह बात नहीं है, लेकिन आज गांवों और शहरों दोनों का संतुलन करके पलड़ा बराबर बराबर कर दिया गया है। ८ गांवों के लिये कुछ खर्चा बढ़ाया जा रहा है, इसके लिये मुझे संतोष है लेकिन जहां तक इन्कम का सवाल है यह बजट शहरी नहीं है। इसमें वह संतुलन नहीं दिखाई देता। उस दृष्टि से यह गांवाई बजट है। गांवाई बजट से यह मतलब है कि जितने टेक्सेज़ हैं वे सब गांवों पर ही लगाये गये हैं और बाकी कुछ कंज्यूमर्स टेक्सेज़ हैं। हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि किसानों पर जो डाइरेक्ट लेंड रेवेन्यू का बोझा है उसमें कमी की जाय और उसको बांटा जाय दूसरी जगह। मैंने पहले बताया था उससे नॅान-एग्रीकल्चरिस्ट मेरे मित्र नाराज नहीं होंगे। वे

[श्री गोपीलाल यादव]

केवल ऑक्ट्रोय ड्यूटी देते होंगे या सेल्सटेक्स, जो कि सबको देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई बोझा शहरी लोगों पर नहीं है। शहर में रहने वालों पर प्राफेशन टेक्स, बिज़नेस टेक्स आदि के नाम पर टेक्स लगाया जा सकता है। इधर से इकट्ठा करके किसानों का बोझ कम किया जाय। सबसे अच्छा दिन तो वह होगा जब कि ज़मीन का कोई लगान नहीं होगा, लेकिन जब तक वह दिन आवे, जिसे १० या २० साल लग सकते है, हमें किसानों का बोझा कम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबन्ध में मैं एक चीज और अर्ज़ करूंगा जो इस बजट में नहीं रखी गई है। सारे बच्चों से और कम से कम उन बच्चों से जो किसान हैं या जो खेतों का काम करते हैं उनको कॉलेज तक की पढ़ाई की फीस माफ कर देनी चाहिए। उन बच्चों पर कोई फीस नहीं हो, इससे भी किसानों को कुछ सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में, मेरे मित्र पता नहीं कैसे भूल गये, मैंने चारों तरफ देखा, तकावी लोन और आग वगैरह के लिये कोई प्रोविजन नहीं मिला। मुमकिन है रखा हो। मेरे एक मित्र आई. ए. एस. ऑफिसर हैं। जिस वक्त वे इंटव्यूं के लिए गये उस समय उनसे कई प्रश्न पूछे गये, उसकी एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी, जो आपको बताता हूं। उनसे सवाल पूछा गया कि जनता पहले राजाओं के राज्य में खुश थी या आजकल खुश है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक चीज़ सुनाता हूं जो यह है कि एक गांव में आग लग गई, वे उस जिले के कलेक्टर थे। उनको खबर मिली कि गांव जल गया, इसलिए वे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोगों के लिये छाया नहीं है, खाने के लिये अनाज नहीं है और पहिनने के लिये कपड़ा नहीं है। गांव वालों ने उनसे कहा कि हमें कोई मदद दो, हमारे पास कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है और बैठने को छाया नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास इसके लिये कोई रुपये नहीं हैं, इसके लिये जयपुर लिखूंगा; कुछ मदद आ गई तो आपको दे दूंगा। उन गांव वालों में से एक पुराना आदमी था। वह बोला, "कलेक्टर साहब, आज अगर हमारा राजा होता तो ट्रक के ट्रक भरकर अन्न और कपड़ा भेजता और हमारी मदद करता, आज आप रीते हाथों आये हैं और कहते हैं जयपुर लिखूंगा, वहां से मदद आयगी तो दूंगा। आपकी मदद आयगी तब तक हम भूखों मरेंगें।" हमें कुछ ऐसा भी प्रोविजन रखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कम से कम ऐसी इमरजेन्सीज के लिए १०,००० रुपये रखने चाहिए और खर्चा करने का पूरा अधिकार कलेक्टर को देना चहिए। उन पर आप यह शर्त लगा सकते है कि एक फेमिली को एक साथ १०० रु० से ज्यादा नहीं दे सकते। यदि यह प्रोविजन नहीं है तो बड़ी मुसीबत है। इस ओर ध्यान खासतौर से मैं वित्त-मंत्री जी का दिलाना चाहता हूं।

इसी प्रकार का हाल देहातों में तकावी लोन का है। पहले कुओं के लिये जो तकावी मिलती थी, अब उनकी वसूली भी होने लग गई है। लेकिन तकावी गरीबों को न मिलकर दूसरे लोगों को मिलने लग गई है। अभी नये लोन्स इस्यू किये गये हैं ट्रेक्टर्स के लिए। उसका नतीजा यह हुआ कि गरीब किसान तो ट्रेक्टर ले नहीं सकते और मालदार लोगों ने लोन ले लिया है। वे लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि लोन को वापिस भी नहीं देते हैं और हमारे गरीब किसानों को लोन नहीं मिलता है। राजस्थान में कम से कम एक हजार कुए हर साल नये बनाने के लिये प्रोविजन होना चाहिये और उसी तरह से किसानों को बैल वगैरह के लिये भी तकावी मिलनी चाहिये। उसमें से २/३ हिस्सा तकावी और १/३ हिस्सा फ्री मिलना चाहिये। इतना हिस्सा फ्री रखने से भी सरकार को घाटा नहीं रहेगा, क्योंकि उनको

[श्री गोपीलाल यादव]

चाही जमीन का लगान मिलने लगेगा, लेकिन कुछ वेट जरूर करना पड़ेगा। यह जरूरी चीज़ है और होनी चाहिये।

अब मैं दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे उम्मेद थी कि मेरे मित्र जो एक एडवोकेट थे और लिटिगेन्ट लोगों की तकलीफ को जानते हैं, इसलिए अब ऐसा होगा कि कोर्ट फीस आधी कर दी जायगी, यदि पूरी खत्म नहीं करेंगे तो आधी तो कर देंगे। आज हिन्दुस्तान में गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। यदि कोई १००० रुपयों का दावा करता है तो ७५ रु० उसको मुन्सफी कोर्ट में कोर्ट-फीस के देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर वह अपील में आगे की कोर्ट में जाना चाहता है तो उस कोर्ट में कोर्ट-फीस और अलग देनी पड़ेगी और उससे भी आगे अपील करेगा तो और नयी कोर्ट-फीस देनी पड़ेगी। एक आदमी जितना ही ऊपर की कोर्ट में जायगा, उतनी ही उसको कोर्ट-फीस देनी पड़ेगी। उसको कोई रिलीफ नहीं है। इङ्गलैंड में कोर्ट-फीस की दर मुकर्रर है। एक आदमी को २५ शिलिंग या इतना ही कुल कोर्ट-फीस के रूप में देना पड़ता है, चाहे वह कितनी ही अदालतों में जाय। मैंने अभी देखा कि हमारे यहां खाली ५६ लाख की इन्कम है केवल स्टाम्प्स से, रजिस्ट्रेशन की इन्कम तो और अलग है और इस तरह से सारी इन्कम पहुँचती है ७५ लाख रुपयों तक, जब कि हम जुडिशियरी पर खर्च करते हैं ३७ लाख रुपये। यह गरीब लोगों के मुकद्दमें में चक्कर पड़ रहे हैं। उन पर कोर्ट फीस का ऐसा खर्चा लगाया है कि जिससे अदालतों का खर्चा भी पूरा कर लेते हैं और अपनी जेब में भी १०-२० लाख रुपये डाल देते हैं। गवर्नमेन्ट के लिए लिटिगेन्ट्स से कमाई करना ठीक नहीं है।

इस चीज़ को हमें बन्द करना चाहिये और इसके साथ करना क्या चाहिए। आज एक आदमी हाईकोर्ट में जाता है और ४ साल लगते हैं मुकदमा तय होने में, कई दफा आता है, जाता है और इस तरह उसका हजारों रुपया लगता है। तो इस तरह का इन्तजाम होना चाहिये कि हाईकोर्ट में कोई भी मुकद्दमा एक साल से ज्यादा समय तक न रहे और इससे नीचे के कोर्ट्स में ६ महीने से ज्यादा न रहे। आज हाईकोर्ट्स में ५००० से ज्यादा केसेज़ का एरियर पड़ा हुआ है। तो इसके लिए यह करना चाहिए कि जो लीडिंग एडवोकेट्स हों उनको मुकर्रर कर देना चाहिए सिर्फ चार महीने के लिए, वे सारा एरियर खत्म करदें; फिर तीन आदमी ही पूरा कर सकेंगे। यह मेरा सुझाव है।

एक किसान मुकद्दमेबाजी के चक्कर में फंस गया, बड़ी मुद्दत और खर्च के बाद रेवेन्यू बोर्ड से फैसला होता है तो फिर उस फैसले के विरुद्ध रिट करके स्टे ऑर्डर ले लिए जाते हैं और फिर चार साल इसमें लग जाते हैं। तो जब तक फैसला होता है, तब तक यह हालत हो जाती है कि जीत गया सो हार गया और हार गया वह मर गया। आप इस मुसीबत को जानते हैं, लिटिगेंट से आपका काम पड़ता रहा है। कोर्ट-फीस खत्म हो, धीरे धीरे खत्म न होकर जल्दी से जल्दी खत्म हो और मुकद्दमों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जांय।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं बजट पर स्पीच दे रहा हूं तो भी आप घण्टी बजा रहे हैं। कई माननीय सदस्य बजट पर नहीं बोल रहे थे, उनको भी आध-आध घन्टा बोलने के लिए दिया गया और फिर मैं तो

[श्री गोपीलाल यादव]

खास खास पॉइन्ट बता रहा हूं, सुझाव पेश कर रहा हूं; जो कोई नहीं बतायेगा। इसलिए मुझे आध घण्टा तो दें।

कोर्ट-फीस बन्द करने का जो मैंने यह सुझाव रखा है, इसके लिए यह सवाल उठाया जा सकता है कि आखिर फिर रुपया कहां से आयेगा। मैंने अमेरिका से निकली हुई एक पुस्तिका पढ़ी। उसमें एक हिन्दुस्तानी ने अमेरिका के बारे में प्रश्न किया था कि अमेरिका के पास इतना रुपया कहां से आया कि संसार के करीब करीब सबके सब मुल्कों को खूब सहायता दे रहा है। इसका जवाब यह था कि अमेरिका का हरेक मजदूर, हर एक किसान, हर एक गवर्नमेंट-सर्वेंट और व्यापारी इन्श्योर्ड है और गवर्नमेंट के यहां इन्श्योर्ड है और इससे सरकार के पास इतना रुपया आता है कि गवर्नमेंट देखती है कि इस रुपये का क्या करें।

आप भी यही करें। हर एक मजदूर, किसान-गवर्नमेंट-सर्वेंट और व्यापारी को इन्श्योर कीजिये और लाजमी तौर पर इन्श्योर करें और जब वह आदमी बुड्ढा हो जाय तो या तो उसके पूरे के पूरे पैसे उसको दे दिये जायें या उस रुपये में से उसको पेन्शन दी जाय। जो उस रुपये में से पेन्शन मिलेगी उससे बुढ़ापे की अन्सर्टेन्टी खत्म हो जायगी। इससे करप्शन भी मिट जायगा। लोगों को बुढ़ापे की अन्सर्सेन्टी का खयाल रहता है कि बुढापे में क्या करेंगे? इसलिए रिश्वत लेते हैं। पर यह कर देने से अन्सर्टेन्टी मिट जायगी और करप्शन मिट जायगा।

तो यह चीज आप शुरू कर दीजिये। दो-तीन और सुझाव देना चाहता हूं जो आपके बजट में नहीं मिले और इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है।

अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे मिटायेंगे? बजट में जिक्र है सरकारी जमीन को बेचने का। आप इस इरादे को छोड़ दें। पहले आप यह देख लें कि सरकार के पास कितनी जमीन है और उस जमीन को न किसानों को दें और न बेचें, उस पर कोऑपरेटिव फॉर्म्स बनालें और उन पर अनएम्प्लॉयड शिक्षित नौजवान हैं उन्हें वहां लगा दें। जो ग्रेजुएट हैं उन्हें कहिये कि जब तक तुम्हें तुम्हारी इच्छा और पसन्द के अनुसार नौकरी नहीं मिले, तब तक यहां काम करो। जो मजदूरी का काम कर सकते हैं उनसे मजदूरी का काम लीजिये और जो क्लर्की का काम कर सकते हैं, उनसे क्लर्की का काम लीजिये। इससे बेकारी की समस्या भी आप दूर कर सकेंगे। इसलिये आप यह कदम उठाइये। सौश्यलिस्टिक पेटर्न की तरफ आपका यह कदम होगा। इस बजट में सौश्यलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी का जिक्र नहीं किया गया है।

आपके यहां जो बसेज़ हैं, ट्रक्स हैं उनको आप अपने हाथ में लीजिये, स्टेट के अन्डर में कर दीजिये या कोऑपरेटिव बेसिस पर सबको चला दीजिये, इससे भी बहुत बड़ी मदद अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने में मिलेगी।

अब मैं एज्युकेशन के बारे में कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। आप ज्यादा रुपया एज्युकेशन की तरफ लगाइये और उसमें भी टैक्निकल ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा पैसा खर्च कीजिये। कल असेम्बली

[श्री गोपीलाल यादव]

से एक सर्कुलर बंटा मिला। उसको देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। उसमें कोई सुझाव दिया हुआ नहीं है कि एज्युकेशन में क्या सुधार करना चाहिये, थर्ड डिविजन में पास हों उन्हें वहीं रोक दिया जाय, या हायर एज्युकेशन उन्हीं को दी जाय जो कि पैसे पे कर सकें। यह कर दिया तो बड़ा भारी अन्याय होगा। किसान गरीब हैं वे पे नहीं कर सकते। इसके लिये आप यह रख सकते हैं कि जो पे नहीं कर सकते हैं या जिनकी आमदनी दो सौ से नीचे है उन्हें पे करने की आवश्यकता नहीं और जिनकी आमदनी २०० से ऊपर है, उनके लिये पे करने की कन्डीशन रख सकते हैं। बजट में एक चीज देखने में आई है कि एज्युकेशन पर कितनी ही फीस बढ़ गई है। पहले १२ लाख थी और अब ८० लाख हो गई है; छः-सात गुना फीस बढ गई है। फीस की आमदनी आज ८० लाख से ऊपर है। पहले १२ लाख थी या १२ हजार थी, वह अब अस्सी है; ८० हजार है या अस्सी लाख, पर इतनी आज जरूर है कि पहले १२ थी और अब ८० हो गई है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

क्योंकि अब उपाध्यक्ष महोदय चटपटी बातें सुनना चाहते हैं, इसीलिये घंटी बजा रहे हैं। मैं भी एक बात जो कि चटपटी तो नहीं है, सीधी-सादी है, वह कहना चाहता हूं।

जिस तरह की बातें मुझे सदन में सुनने को मिलीं, उनसे मुझे दुःख हो रहा है। प्रजातंत्र के लिये यह कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं हो रहा है। हमें ऐसा करना चाहिये कि सब मिल कर काम करें। पर राजस्थान में बदकिस्मती से यह परम्परा बन गई है कि एक आदमी दूसरे की टांग पकड़ कर घसीटता है, उसकी फिर दूसरा आदमी पकड़ कर घसीटता है। मैं तो बराबर ४ साल से राजस्थान में यही देख रहा हूं। हीरालाल जी शास्त्री से हालां कि मेरी नहीं बनती थी क्योंकि उन्होंने मेरी झूंठी शिकायत पंडित नेहरू से कर दी थी; श्री पंडितजी ने मुझ से पूछा। मैं हालां कि इस वजह से हीरालालजी से नाराज था फिर भी जिस वक्त हीरालालजी शास्त्री के विरुद्ध वोट ऑफ नो कोन्फीडेन्स लाया जाने लगा तो मैंने मेरे मित्रों से कहा कि जिसको पहले चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसके खिलाफ अब वोट ऑफ नो कोन्फीडेन्स लाकर गलत परम्परा मत डालिये।

इसी तरह व्यासजी के खिलाफ झगड़ा चल रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप जीतोगे और अगर हारोगे तो अपने कर्मों के फल से। मैंने कहा कि कर्मों का फल यही है कि आपने ऐसा ही शास्त्री के साथ किया था और आपके साथी आपके साथ कर रहे हैं। आखिर चीज वही हुई और वह चीज वहीं पर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी चालू है। मैं अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं कि आखिर तो किसी जगह जाकर हमें रुकना चाहिये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी की सही परम्परा कायम होनी चाहिये। अगर हम इसी प्रकार खींचतान करते रहेंगे और किसी को टांग पकड़ कर गिराते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो बुराइयां हमारे मित्रों ने अभी बताई हैं वे बुराइयाँ हम पिछले तीन सालों से दिखा रहे हैं और सदन में सुनाते रहे हैं, मगर अब बड़ी खुशी की बात है कि हम सब लोग जाग्रत हो जावें और एक स्पोर्टसमेंन स्पिरिट के साथ मिल कर काम करें और जो पार्टी पॉवर में आई है, उसको मदद दें। आखिर में अपना भाषण समाप्त करता हूं क्योंकि

Page No.55

[श्री गोपीलाल यादव]
स्पोर्ट्स के लिये मेरे मित्र अभी तक २० हजार रुपये देने के लिये तैयार नहीं है । इसलिये मुझे बैठ जाना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा—उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से लगातार इस सदन में १९५५–५६ के आय-व्ययक पर बहस चल रही है । दोनों तरफ से काफी चर्चाएं बजट के बहुत से मुद्दों पर हुई ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस बजट में जो भाषण इस सदन में माननीय वित्त-मंत्री ने दिया है, उसमें जो मुख्य बातें कही हैं वे ये हैं कि इस सरकार का उद्देश्य आवड़ी अधिवेशन के बाद में जो एक नया नारा हमारे मुल्क ने लगाया है, वह है–समाजवाद की व्यवस्था । इस व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं । यह दावा इस वित्त-मंत्रीजी के भाषण में किया गया है । मैं मानता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि अगर हम इस प्रस्तुत बजट के जिन जिन मुद्दों में जो आंकड़े दिये गये हैं, उन पर विचार करें और उनको देखने की कोशिश करें तो यह साफ रोशन होगा कि हम एक जन-कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था, जो हमारा उद्देश्य है, की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं ।

राजस्थान को बने आज करीब ६ वर्ष हुए और इसके बाद में राजस्थान की यह चुनी हुई सरकार और धारा-सभा को बने हुए करीब ३ साल हो चुके हैं । माननीय उपाध्यक्ष, अगर हम बजट के पिछले आंकड़ों पर दृष्टि डालें और मुख्य मुख्य मदों पर विचार करें । (श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन) तो यह मालूम होगा कि हम १९४६–४७ में इस राजस्थान में जितनी अलग अलग रियासतें थीं, उनमें जितनी शिक्षण-संस्थाएं थीं, उन पर एक करोड ४८ लाख के लगभग खर्च होता था । आज उस बात को करीब ९–१० साल हो गये हैं । इसके बाद में आप देखेंगे कि इन शिक्षण-संस्थाओं पर लगातार खर्चा बढ़ा है और इस मौजूदा वर्ष में जो आंकडे हैं, उन पर भी अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि वे आंकड़े ४ करोड़ रुपयों के हैं । पिछले साल ये आंकड़े ३३५ लाख के थे । लगातार इस गति से हम कोशिश में लगे हैं और सरकार इस कोशिश में है कि हमारे इस पिछड़े हुए इलाके में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़े । पहले हमारे पिछड़े हुए इलाके में पढ़े-लिखों की संख्या ८ या ९ प्रतिशत थी । अब मैं कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष, कि इस खर्चे के लगातार बढ़ाने से ज्यादा शिक्षण-संस्थाएं खुलीं और इससे गांवों में स्कूलें खोलने से हम शिक्षा में तरक्की कर रहे हैं और आज वे आंकडे करीब २० प्रतिशत और २५ प्रतिशत तक पहुँच गये हैं । इससे हमें मानना होगा कि हमारी सरकार ने लोगों को शिक्षित करने में कितनी कोशिश की है और यह भी मानेंगे कि जो रास्ता अपनाया जा रहा है, वह सही रास्ता है । माननीय अध्यक्ष, अगर हम खर्चे के दूसरे मुद्दे जो हैं उन पर विचार करें तो यह मालूम पड़ेगा कि जो खर्चा जिन तरीकों से पुरानी रियासतों में होता था, वह उचित था और ज्यादा था या राजस्थान बनने के बाद में जो खर्चा हो रहा है, वह ज्यादा है । पिछले साल मेडिकल और दूसरे मदों में जो खर्च होता था, वह भी बढ़ रहा है ।

हमारी एक तरफ से बड़ी मुसीबत थी और वह यह कि खर्चे के साथ साथ आमदनी का जरिया जिसको कि लगातार बढ़ाना जरूरी होता है; इन आमदनी के जरियों को बढ़ाने के विषय में सरकार ने

[श्री नाथूराम मिर्धा]

लगातार जो बजट पेश किया है, उसमें यही कोशिश की है और उस तरफ ध्यान रखा है कि जो आमदनी बढ़ाई जावे, उसकी वजह से किसी प्रकार का भार आम लोगों पर नहीं पड़े, लेकिन वह भार उन लोगों में बंट जावे जिनकी जैसी केपेसिटी हो, उस हिसाब से वे दे सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए और पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए जो कस्टम का भार था, जिससे ४ करोड़ की आमदनी थी, उसको भी इस साल में खत्म किया। मैं माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि जोधपुर से आने वाले सदस्य ने यह कहा कि यह मजबूरी थी, इसको खुशी से समाप्त नहीं किया। हो सकता है कि पिछले ५ वर्षों में जब हमारी नई सरकार बनी थी, तब हमारे यहां संतुलन लाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन यह संभव नहीं था कि इसको समाप्त कर दिया जावे और इस वजह से यह प्रस्ताव किया जा सकता था कि इसे कुछ दिन तक के लिये चालू रखा जावे, लेकिन राजस्थान सरकार ने वह निर्णय पिछले साल ही कर लिया था कि अगले साल से किसी तरह कस्टम ड्यूटी को, जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है, हटा दिया और सेल्स टैक्स के जरिये ऐसी व्यवस्था कर दी जावे, जिससे उसका भार आम लोगों पर उनकी केपेसिटी के अनुसार पड़े। इससे राजस्थान को घाटा हुआ है। माननीय अध्यक्ष, अगर हम इस बजट के मदों पर दृष्टि डालें, खर्चे के जो मद हैं, पब्लिक की भलाई के मद हैं, किसी तरह से आमदनी के कम होते हुए भी सरकार ने इस खर्चे को मीनवाइल कर्ज लेकर चलाने का तय किया है। इसलिये इस बात को मानना पड़ेगा कि हम एक दिशा में बढ़ रहे हैं और वह दिशा यह है कि आम लोगों को किस तरह से राहत मिले और लोगों की भलाई हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के जोधपुर से आने वाले साथी ने अपने भाषण के दौरान में यह बात भी दिखलाने की कोशिश की कि हम कल्याणकारी राज्य के नक्शे का दावा करते हैं, वह सही नहीं और मिसाल के तौर पर उन्होंने बड़े जोर से इस बात का दावा किया था कि अस्पतालों और दूसरों पर मेडीकल का जो खर्चा बढ़ा रहे हैं, वह खर्चा कोरा फालतू बढ़ा रहे हैं। डाक्टरों के ऊपर खर्चा और अस्पतालों के बढ़ाने में खर्चा बढ़ा रहे हैं, कुछ अस्पताल जागीरों के थे और उनके लेने से खर्चा तो बढ़ेगा किन्तु आम मद है-बीमारों को राहत देने की, उसमें खर्चा नहीं बढ़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने साफ जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को नहीं दी, बजट के आकड़ों का, जो इस समय पेश हुए हैं, सिर्फ एक ही जगह का हवाला देकर यह बताने की कोशिश की है कि यह जो खर्चा है, वह लगातार उतना ही है, बढ़ा नहीं है। मैं निवेदन करूं कि इसके अलग अलग आंकड़े, अलग अलग पेज पर, अलग अलग मदों पर दिये हुए हैं और हॉस्पिटल को भी करीब करीब पांच-छः हिस्सों में बांटा गया है; हॉस्पिटल्स, जनाना हॉस्पिटल, उसके बाद में दीगर हॉस्पिटल्स एन्ड डिस्पेन्सरीज़, ये अलग-अलग मदें पेज १४४, १४७, १४८ पर हैं और उन पर अलग-अलग आंकड़े दिये हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, यदि उन पर दृष्टिपात करें तो साफ तौर से रोशन होगा कि दवाइयों और मरीजों पर खर्चा पिछले साल के मुकाबले में इस साल बढ़ाया गया है। इस तरह माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सही जानकारी सदन में न रखें और उस पर यह दावा करें और उसकी वजह से मालूम होगा कि आम राहत लोगों को मिलनी चाहिये वह नहीं मिली है, यह बात कहना गलत होगा। सही जानकारी नहीं देते हुए यह कहना बड़ा आसान होता है कि खर्चा तो हम बढ़ा रहे हैं किन्तु मरीजों को दवाइयां और खाने को खुराक नहीं देते हैं; तो मैं निवेदन करूंगा कि यह तथ्यों से परे है और हम आंकड़ों पर दृष्टिपात करें।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भाषण शुरू करते हुए, मखौल करते हुए कहा था कि यह जो कल्याणकारी राज्य का दावा किया है, उसका यह तीन टांग का बजट है। पिछली पंचवर्षीय योजना की रकमें बची हुईं थीं, उनको एक जगह प्रोवाइड कर दिया, इसलिए यह तीन टांग का बजट है, एक्चुअली यह हो सके या नहीं, यह उन्होंने बताने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जहां तक सोचा है और समझा है, सरकार के लगातार प्रॉप्रोजल्स हैं और वह पिछले तीन वर्षों में पंचवर्षीय योजना का काम ठीक तरह से नहीं जमा सकी है। जो मशीनरी कायम करनी चाहिए थी, उसमें टाइम लगा। जो ट्रेण्ड आदमी इसके लिये होने चाहिए थे, वे नहीं मिले। वह स्टाफ अब मिला है। इरिगेशन के मामले में, बंध बांधने के मामले में और जो और तरह के प्रोग्रेस के रास्ते हैं उनकी अब व्यवस्था हो चुकी है। अब जो प्रोविज़न्स किये गये हैं, सरकार का पूरा इरादा है कि वह इस बात पर गौर करेगी कि उनको पूरा किया जाय। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर बड़ा जोर दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेज़ गिर रही हैं, उसके लिए हम जागरूक हैं, यह बताने से काम नहीं चलेगा और जो ट्रेंड चल रहा है वह सरकार के पक्ष में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि विश्व वार (लड़ाई) के बाद में एक समय ऐसा आता है और यदि हम अर्थशास्त्र पर गौर करें तो देखेंगे कि विश्व युद्ध के बाद में ट्रेंड में स्लम्प आता है। रॉ-मेटीरियल के प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनकी तरफ से चीजों के भाव बढ़ जाते हैं और फिर उसमें गिरावट आती है। इस कारण एग्रीकल्चरल और दूसरी चीजों की प्राइसेज़ भी गिर जाती हैं। इसके लिए सरकारें ट्रेंड सप्लाइज़ का समय पर ध्यान रखती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गौर कर सकते हैं कि भारत सरकार ने इस बात को बड़ा सीरियसली सोचा है और उसके साथ स्टेट की सरकार भी प्रयत्नशील है और हमारी सरकार भी जागरूक है और जो मेटीरियल्स हैं, उनके कुछ के भाव घट रहे हैं और कुछ के बढ़ रहे हैं। उन भावों के बढ़ते हुए भी किसी तरह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेज़ को, जिनके भाव गिर रहे हैं, उनको एक लेवल पर रखने के लिए सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि जिनके भाव गिर रहे हैं जैसे खांड, गेहूं आदि उनको अलग अलग इलाकों में खरीदा जाय ताकि भाव न गिरें और इस बात की कोशिश की जाय कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और दूसरी चीजें जो हैं वे मार्केट ट्रेंड के साथ कायम रहें और दूसरी कीमतें हैं वे उनके लेवल में आयं और आम लोगों को सब चीजों पर ठीक भाव रहने से मिल सके। हिन्दुस्तान की सरकार ने पहले ऐसा रुख अख्तियार किया और रियासतों की सरकार ने भी इसीलिए किया कि लोगों को परेशानी न रहे और हमारी सरकार भी यही सोचती है कि किसी तरह से स्टेन्डर्ड को ऊंचा उठाया जाय और किसी तरह से राहत मिले। सब सरकारें, चाहे वे स्टेट्स की हों, चाहे केन्द्रीय सरकार की हों, सब प्रयत्नशील हैं और जागरूक हैं; वे इन बातों पर विचार करेंगी।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, वही जोधपुर से आने वाले माननीय साथी जो दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हैं और उस पार्टी का हमेशा काम होता है कि जो सही बातें होती हैं उनको भी तोड़-मरोड़ कर कहा जांय ताकि आम लोग रियलिटी को न समझ सकें और उससे उन पर ऐसा असर पड़े कि वाक़ई कोई गड़बड़ी हो रही है और जिससे रियासत का काम चलने वाला नज़र

[श्री नाथूराम मिर्धा]

नहीं आता है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि हमारी रियासतों का जो इन्वेस्टमेन्ट है और जो कि पुरानी रियासतों ने दिया था, काम चलाने वालों की नीयत होती है कि वे रियासतों के पैसों को डुबाना चाहते हैं और चन्द लोगों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में इस बात को दिखाने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि रियासतों का दो करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट जो है उसमें से पांच लाख का इन्वेस्टमेन्ट जो राजस्थान बनने के बाद राजस्थान सरकार ने किया है, यह कोऑपरेटिव बैंक पर किया है। बाकी का सारा इन्वेस्टमेन्ट कॉवेनेन्टिंग स्टेट्स का है। उनके अलग अलग एग्रीमेन्ट्स है, अलग २ टर्म्स हैं और वे टर्म्स और एग्रीमेन्ट्स किन किन सरकमस्टान्सेज़ में उन रियासतों ने किये थे, वे इस सदन के किन्हीं मेम्बरों से छिपे हुए नहीं है। राजस्थान पिछड़ा हुआ मुल्क था, यहां कोई इन्डस्ट्रीज़ नहीं थीं। राजाओं की ओर उस समय के काम चलाने वाले जो दीवान थे, उनकी यह नीयत रहती थी कि किसी तरह से लोग बाहर से कैपिटल लाकर हमारे राजस्थान में डालें। उन्होंने कई तरह की फेसीलिटीज़ उन लोगों को दी और जो काम उन्होंने मशीनरी आदि लाकर यहां चलाया, उसमें उनको कहीं घाटा हुआ और कहीं नफा हुआ। घाटा और नफा होने की वजह से काम जिस प्रकार सुचारु रूप से चलाना चाहिये था वह नहीं चला और सरकार को, जो इन्वेस्टमेन्ट था और उसका पैसा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। मैं खासतौर पर जो इन्डस्ट्रीज़ हैं उनकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। १६ लाख और १७ लाख का इन्वेस्टमेन्ट, ३६ लाख का इन्वेस्टमेन्ट है, वह स्पिनिंग एन्ड वीविङ्ग मिल्स लि० जयपुर में है। दूसरा शुगर मिल्स गंगानगर के बारे में विशेष ध्यान दिलाया था और यह दिखाने की कोशिश की थी कि इस ३६ लाख के इन्वेस्टमेन्ट का फायदा इस वजह से नहीं मिला कि इन संस्थाओं के जो मेनेजिंग डाइरेक्टर थे और जिनको कि इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का चेयरमेन बनाया है; जिसके बारे में इस सदन में काफी चर्चा हुई।

यह बताने की कोशिश की गई कि इस तरह के आदमी जिसमें ३६ लाख रुपये का इन्वेस्टमेन्ट बाकी हैं, उसके हाथ में फिर एक करोड़ रुपया इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के और सुपुर्द कर दिया है, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके सामने यह बताने की कोशिश करूंगा कि हमारी सरकार ने जो इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन बनाया है वह भारतीय इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के नियमों के अधीन बना है। उसमें कई तरह की व्यवस्था है, वह यह है कि ५१ प्रतिशत रकम रियासत की होगी और रियासत ने १५ प्रतिशत रिज़र्व बैंक से लिया है और बाकी का लोन रियासत एडवान्स करेगी। और दूसरे मेम्बर हैं और जो चेयरमेन है, उनकी जिम्मेवारी है कि वे ४६ प्रतिशत लोन इकट्ठा करेंगे। इस समय मैं यह बात बताना चाहता हूं कि जो लोन चेयरमेन के जिम्मे था, वह लोन वे पूरा कर चुके हैं। आज वे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपना काम पूरा करके दिखाया। इससे कुछ सदस्यों के दिमाग में यह एप्रीहेन्शन पैदा होगया और वे इस तरह की बातें करने लगे। मैं सदन से निवदेन कर दूं कि उनका प्रबन्ध केवल उन्हीं के हाथ में रहेगा, यह बात नहीं। उसके लिये भी कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। सरकार हमेशा यह देखती रहेगी कि इसका उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, और यह भी बात नहीं कि जो चेयरमेन बना दिया गया, वही हमेशा के लिये रहेगा। अगर ठीक तरह से

[श्री नाथूराम मिर्धा]

काम नहीं चलाया गया तो सरकार चाहे जिस प्रकार से कार्यवाही कर सकती है। कुछ दिनों से यह देखा गया है कि कुछ लोगों को लेकर हम सदन में बातें करें, जबकि हमें अपने प्रान्त में इण्डस्ट्रीज़ को पनपाने की बातें करनी चाहिये। जिस काम के जरिये हमारी सरकार रियासत के लोगों की भलाई का काम करना चाहती है, उन बातों का जिक्र करने के बजाय तोड़-मरोड़ कर बातें कही जाती हैं ताकि लोग सही चीज़ को समझ न सकें। माननीय अध्यक्ष, जहां तक सरकार का इस सम्बन्ध में ताल्लुक है सरकार सही रास्ते पर बढ़ रही है। मैं यह भी बात बताना चाहूंगा कि इन पिछले कुछ दिनों से जब से जल-बोर्ड का निर्माण किया गया है, इस पर अखबारों द्वारा और कई जगहों पर तरह तरह के प्रचारों द्वारा और सदन में भी कुछ सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी बोर्ड का मेम्बर हूं। जहां तक मैं समझ पाया हूं यह एक बहुत आवश्यक बात है कि इस रियासत को पिछले तीन साल पहले केन्द्रीय सरकार से १ करोड़ रुपया मिला था। वह इसलिये कि हमारे उन इलाकों में, जहां कि लोगों को पीने का पानी लाने के लिये आठ-आठ मील और दस-दस मील जाना पड़ता है, उनकी कठिनाई को मिटाने के लिये भारत सरकार ने तीन साल पहले १ करोड़ रुपया इस कष्ट को दूर करने के लिये दिया था। उसमें से पिछले दो-तीन सालों में केवल १० लाख रुपया खर्च कर पाये हैं और अब उसके खर्च करने के लिये बहुत कम समय हमारे पास है। सरकार का यह फर्ज़ है कि वह बचे हुए टाइम में उस रुपये को खर्च कर ले। तो सरकार ने यह सोचा कि इतनी बड़ी रकम को खर्च करने के लिये यदि किसी नॉन-ऑफिशियल मशीनरी को साथ में नहीं लिया जायगा, नॉन-ऑफिशियल्स का सहयोग प्राप्त नहीं किया जायगा तो यह रुपया आसानी से काम में नहीं आ सकेगा। इसी नीति के कारण सरकार ने यह नीति अपनाई कि कुछ पब्लिक के लोगों को साथ में लिया जाय ताकि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। हमें इस सम्बन्ध में कई प्रकार की आलोचनायें सुनने को मिलीं, उनमें से एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार इससे गड्ढे में गिर रही है, इसलिये गिर रही है कि इस बोर्ड में जिन लोगों का सहयोग प्राप्त किया गया है; वे सही लोग नहीं हैं, ईमानदार लोग नहीं हैं, इसकी वजह से काम ठीक नहीं चल सकेगा। इस कार्य के लिये कुछ सेठ-साहूकारों ने अपने आपको समर्पित किया है, अगर आप इस काम में हमारी मदद लेना चाहते हैं तो हम तय्यार है। क्योंकि हमने आगे भी ऐसे काम किये हैं अकाल के वक्त में, कई इलाकों में हमने अपने पैसों से कुए, बावड़ियाँ और नाडियाँ बनवाई हैं, इस बात को सदन के बहुत से सदस्य जानते हैं। उस समय जब तक कि इस काम की कोई योजना बनकर हमारे सामने नहीं आई, उसके पहले ही योजना के बारे में मनगढन्त कल्पना करके हल्ला उड़ा देना, यह काम को आगे न बढ़ने देने की प्रवृत्ति है। यह सरकार के हाथ मजबूत करने के बजाय उसको निरुत्साहित करने के हथकण्डे हैं। आमतौर पर कष्ट के निवारण के लिये जो योजना हमारे सामने आई है, उसको ठीक प्रकार से समझना चाहिये। ऐसी बातें कहकर इस प्रकार अड़चनें पैदा करके सरकार को डिसकरेज करने की बात की गई है। उन सेठों के जरिये जो इस काम में मदद करना चाहते हैं और जो वॉलेन्टियरली मदद देना चाहते हैं-जो इस काम को सुपरवाइज़ करने के लिये उनके आने-जाने का जो खर्चा होगा; वे ही बरदाश्त करेंगे, असली रकम में से खर्च नहीं करेंगे, वह रकम तो उसी काम में लगेगी। ऐसी बातें है जिनके कारण नॉन-ऑफिशियल लोगों का सहयोग लिया गया है और इसलिये भी आवश्यक है कि उनको उन इलाकों की जानकारी भी है।

श्री नाथूराम मिर्धा]

इस पर भी यह कहना कि अच्छे लोगों को नहीं रखा गया है, इससे झगड़ा हो रहा है, यह बात ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो लोग यह सोचते हैं कि इस बोर्ड में राजनैतिक अड़खन्जेबाज़ी है, उनका यह मानना गलत है। आज जिन सदस्यों को इस जल-बोर्ड का मेम्बर बनाया गया है, इसके अलावा भी अगर कुछ लोग यह चाहते हैं कि कुछ लोग मेम्बर नहीं हैं और जिनके आने से इसमें ज्यादा यूज़फुल कार्य हो सकते हैं, तो सरकार उनके लिये भी सोच सकती है, उनके नाम भी इसमें सम्मिलित किये जा सकते हैं। जो व्यक्ति काम में सहयोग देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिनका नाम नहीं है; जो लोग यह सोचते है कि हमारा नाम नहीं तो मेरा उनसे निवेदन है कि काम करने के लिये नाम की आवश्यकता नहीं। हर आदमी आकर काम कर सकता है; यदि कहीं तालाब खुद रहा हो तो वह भी अपना श्रम दे सकता है, वे भी आकर देख सकते हैं कि काम किस तरह से शुरू हो रहा है? मेरा तो यह मानना है कि जितने ज्यादा आदमी आकर इसमें सहयोग देंगे, उतना ही यह काम ठीक होगा। इसी नीयत से इस जल-बोर्ड का निर्माण किया गया है कि जिन इलाके के लोगों को दस–दस और बारह–बारह मील दूरी से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है, उनको कुछ सुविधायें मिलें। इस कार्य में सभी लोग जो सहयोग देना चाहते हैं, दे सकते हैं, किसी के लिये किसी भी प्रकार की रोक-टोक नहीं है। यह मानना कि इस जल-बोर्ड के भीतर रह कर कोई आदमी बेजा फायदा उठा सकता है, उसके लिये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि यह एक केन्द्रीय बोर्ड है, इसके हाथ में कुछ नहीं। एक तरह से ६० लाख रुपये की जो रकम है, वह उसके सामने रख दी गई है। जिले के लेवल पर जो स्कीम बनकर आती है और जहां जहां पानी की ज्यादा किल्लत है, वहां सब से ज्यादा रकम को खर्च करना उपयोगी होगा। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से इन सारी बातों का डिसकशन करके वहां से स्कीम बन कर, योजना बनकर आयगी तो सेन्ट्रल बोर्ड देखेगा कि किस इलाके में पानी की सबसे ज्यादा कमी है, इसलिये इस इलाके में इतनी रकम का अलॉटमेन्ट किया जाय। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट से योजनायें बनकर आयेंगी उसी के अनुसार कार्य होगा। कोई ऐसी बात नहीं, जिससे यह समझा जाय कि सरकार अपने पैसे को नॉन-ऑफिशियल लोगों के हाथ में सौंपना चाहती है। किसी भी स्टेज पर वह उनके हाथ में नहीं है तमाम पेमेन्ट्स सरकारी मशीनरी के जरिये होगा। हिसाब–किताब के भी नियम बनाये जा चुके हैं, जिसमें मुझे तो किसी भी प्रकार का खतरा नजर नहीं आता। यदि इस काम के लिये कोई यह कहे कि सरकार उसे गड्ढे में ले जा रही है तो मैं समझता हूं कि खड्डे से बाहर निकालने वाले कौन-से कार्य हैं। आज जो सरकार कार्य कर रही है, उसको एप्रीशियेट न कर कई प्रकार के दृष्टिकोण और भावनायें रखी जाती हैं। यह राजस्थान के लोगों के हित की बात नहीं है। आज जिन लोगों को पीने के पानी के लिये १०–१० मील जाना पड़ता है, जो इस प्रकार के दृश्य कई पीढ़ियों से देखते चले आ रहे हैं आज यदि इस प्रकार के कार्य से उनके जीवन में नया युग शुरू होने जैसा है; मुझे तो इसका विरोध करने में केवल आपसी मतभेद के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि आज हमारे चारों ओर जिले-जिले में पिछले कुछ महीनों से डेवलपमेन्ट का काम चलाया जा रहा है। इसके लिए इस बजट में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, २५ लाख का प्रोवीजन रक्खा गया है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

पिछले साल यह प्रोवीजन २१ लाख का था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम फिज़ूल की चर्चाओं में ज्यादा पड़ते हैं; बहस भी बहुत करते हैं; पर वास्तव में काम करते बहुत कम हैं। इसके लिए मैं बताऊंगा कि इस २५ लाख के प्रोवीजन में से हम मुश्किल से सात-आठ लाख रुपया ही खर्च कर पाये हैं और बाकी का रुपया पड़ा-पड़ा वैसे ही लेप्स हो गया। जो लोग इस मामले में जागरूक रहे और श्रम या नकद के रूप में पचास प्रतिशत जिन्होंने लोगों से इकट्ठा कर लिया वे तो इस रुपये को अपने क्षेत्र में खर्च कर पाये हैं, पर जहां ऐसा नहीं हो पाया, वहां वह पैसा खर्च नहीं हो सका और यहां ही पड़ा-पड़ा लेप्स हो गया।

इस साल भी इसका प्रोवीज़न है। मैं चाहता हूं कि हम बहस और फिज़ूल के वाद-विवाद में न पड़ें और हमारे जिले में जो लोकल डेवलपमेन्ट का काम है,लोगों को उसमें लगाया जावे, उनमें काम की भावना भरी जाय; जगह जगह स्कूल और पंचायतघर बनें, चिल्ड्रन पार्क्स एवं सड़कें बनें। इस तरह का काम हम लोकल डेवलपमेन्ट फण्ड से करा सकते हैं। अच्छा यह हो कि हम लोगों में इसके लिए भावना पैदा करें, कुछ ठोस काम करें। इस प्रकार के ठोस रचनात्मक कार्य से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बेकार की बहसबाजी से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा करने से कुछ हमारा समय भी अच्छे काम में लगेगा, ऐसी मेरी भावना है।

इसी तरह से पिछले वक्त इस बात की चर्चा रही थी कि हमारा यह बजट पुलिस का बजट है। कहा गया कि पुलिस के खर्चे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पर इस बजट को पढ़ने से आज सदस्यों को खुशी हुई होगी कि इस बजट में वह बात नहीं है। इसमें पुलिस के खर्चे को कम किया गया है और आगे भी अब कम ही किया जाता रहेगा, ऐसी आशा है। आज लॉ और ऑर्डर को हमारी स्थिति काफी हद तक कन्ट्रोल में लाई जा सकी है और इस साल का इस तरह का बजट देखकर मुझे तो वास्तव में काफी प्रसन्नता ही हुई। पुलिस का यह खर्चा आगे बढ़ाने के बजाय लगातार घटाया जावे और इसकी बचत को अन्य जनोपयोगी कामों में लगाया जावे। आज जितनी पुलिस है उतने से ही हम बड़ी आसानी से लॉ एण्ड ऑर्डर पर काबू पा सकेंगे। समय समय पर माननीय सदस्यों ने इस बारे में जो कमी के सुझाव दिये, उन पर भी सरकार ने गौर किया है और उनको माना है। जहां खर्चा कम करने की बात थी, कम किया गया है और जहां बढ़ाये जाने की जरूरत थी वहां बढ़ाया गया है और इस तरह से सही रास्ते पर चलने के लिए पक्की नींव रख दी गई है, जिस पर आगामी चार-पांच सालों में चल कर हम काफी प्रगति कर सकेंगे।

क्योंकि काफी समय हो चुका है और जो मेरे दिमाग में कई मुद्दे थे, उन पर भी मैंने काफी प्रकाश आपके सामने डाल दिया है, इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री मथुरादास।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने मुख्य मुख्य सदस्यों के भाषण हो चुके और बजट के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है कि उसमें, इन भाषणों में, खास तौर से कुछ पुराने सदस्यों ने अपनी हैसियत से जो कार्यवाहियां कीं वे बरियत की हो

Page No.62

[श्री मथुरादासजी माथुर]

सकती हैं या सुझाव की हो सकती हैं। जहां तक बरियत का, सुझाव का सम्बन्ध है, वहां तक तो उनका स्वागत किया जाता है। पर जहां अपनी बरियत का सवाल है, वहां मैं समझता हूं कि उसका इस बजट से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये मैं सदन का ध्यान इस ओर तो आकर्षित नहीं करूंगा, पर कुछ मुद्दों की बातें जो बजट के सम्बन्ध में अति आवश्यक हैं, आकर्षित करने की कोशिश करूंगा।

वैसे समय का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि मुख्य सदस्यों ने अपने भाषणों में काफी समय ले लिया है और लम्बी लिस्ट बोलने वालों की होने से दूसरों के पास भी समय कम रहेगा, फिर भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं जल्दी ही अपना निवेदन समाप्त करूंगा। सबसे पहले मैं अपने उधर बैठने वाले माननीय जोधपुर से आये सदस्य की बात का खास तौर से जवाब दूंगा। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि वे इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद रहते तो मुझे उनकी बात का जवाब देने में ज्यादा सन्तोष होता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हम लोगों को भी मजा आता।

श्री अवनिकुमार—जवाब तो आप दे ही दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर—जवाब देने के लिए तो मैं खड़ा ही हुआ हूं। पर जिन्होंने सवाल उठाया उनको उनकी उपस्थिति में जवाब देता तो ज्यादा अच्छा रहता। जो मुद्दे की बातें कहीं उनको पहले रखना बहुत जरूरी समझता हूं और खास तौर से एक बात पर जो मेरे व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखने वाली है, उसकी तरफ भी इशारा करूंगा। कल उनकी तरफ से इस सदन की टेबुल पर एक स्लिप-रुक्का रक्खा गया है जिसमें मेरे हाथ के दस्तखत और खत बताया जाता है और जिसका आज के अखबारों में भी काफी प्रचार हो चुका है और आप सब सदन के माननीय सदस्य भी उसको पढ़ चुके होंगे। उसमें यह लिखा गया है, वह कोई डाइरेक्टर के नाम खत है और उसमें यह कहा गया है कि फलां फलां किताब के लिए आप उसका काम ध्यान में रक्खें। 'Keep in view'. यह खत जब सदन के सामने पढ़ा गया तो कुछ मैंने अपनी याददाश्त ताजा करने की कोशिश की। आज से २७ महीने पहले यह खत लिखा गया था और किन आधारों पर लिखा गया, किन परिस्थितियों में और कैसे लिखा गया, वह मुझे अब भी याद नहीं पड़ता है। टेबुल पर रखने के बाद उसे जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि यह खत मेरे ही हाथ का है और दस्तखत मेरे ही हैं। इसलिए जहां तक दस्तखत और खत का सम्बन्ध है, मैं इसे कबूल करता हूं। ('हियर हियर' की आवाज़)

अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे हुआ, क्या चीज़ है और इसमें ऐसी क्या चीज़ हुई? उस ओर बैठने वालों ने जोरों से कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और सभी लोगों ने और खास तौर से कुछ लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। यह खत जिस आदमी को लिखा गया है, उनसे भी मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। क्योंकि २७ महीने का पुराना यह मामला था, इसलिए मैंने उनसे भी पूछा, और भी सदन के साथी उनके पास गये थे पूछने के लिए। मैं गया और मैंने पूछा कि यह खत आपको कब मिला? तो उन्होंने भी यही जाहिर किया कि

[श्री मथुरादास माथुर]

ऐसा खत मेरे पास कोई नहीं आया और न उनको याद पड़ी। मैंने उन्हें बताया, पर उन्होंने फिर यही कहा कि ऐसा कोई खत मेरे पास नहीं पहुंचा। तो मुझको खयाल हुआ कि जब जिस आदमी के नाम था, उनके पास भी नहीं पहुँचा तो यह वहीं रह गया मालूम पड़ता है जिसको कि यह दिया था। जिसको दिया उसका नाम भी मैं आपको बता दूँ। गनपतलाल नाम के एक व्यक्ति को दिया था, जो कि एक पोलिटिकल सफरर है, जो कि प्रजा-मण्डल का एक पुराना कार्यकर्त्ता रहा है और जिसने कि कांग्रेस के आन्दोलन में भी भाग लिया और आजादी के बाद में भी कई दिनों तक जेल में रहा था।

उस व्यक्ति की यह किताब थी और वह कोई बुकडीलर नहीं है। उसने यह किताब लिखी और किसी के नाम से यह किताब उसने पास करवाने को दी और यह कहा कि यह मेरी किताब है। इस किताब के मज़मून को मैंने देखा। एक छोटी सी किताब थी दस-पन्द्रह पेज की। इसका मेनुस्क्रिप्ट था उसके पास में और वह फर्स्ट, सेकिंड क्लास के लिए प्राइमर की किताब थी। पांच आने उसकी कीमत थी। उसने यह कहा कि यह किताब लिखी है उसने, अच्छी किताब है, इसके लिए उसको उम्मीद थी कि यह कामयाब होगी; पर कुछ अड़चन ऐसी हो रही है, वातावरण ऐसा हो रहा है कि मुमकिन, है इसे रखने नहीं दिया जावे। उसने मुझे बहुत कहा। मैं बाहर जा रहा था और डाइरेक्टर साहब से कॉन्टेक्ट नहीं कर सका। मुझे मालूम भी नहीं था कि इसका डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन से सम्बन्ध भी है या नहीं। मैंने इस तरह का एक नोट-रुक्का लिखा कि आप इसका ध्यान रक्खें। इसलिये मैं सदन को सूचना देता हूं कि यह कोई किसी डीलर की किताब नहीं थी, पोलिटिकल सफरर की किताब थी। उसने कहा कि डाइरेक्टर साहब से कह दो। उस आदमी का नाम भी मैंने सदन के सामने पेश कर दिया है।

अब इसके बाद में इन किताबों के सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, वह मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि उसका भी इससे सम्बन्ध है। जब किताबें पेश होती हैं तो रिव्युअर्स की एक समिति होती है। चन्द आदमी मुकर्रर किये हैं। वे अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स होते हैं, वे उनको देखते हैं। उस वक्त तक मुझे जानकारी नहीं थी कि रिव्युअर्स की राय में वह किताब फर्स्ट डिक्लेयर हो गई थी। कल ही पूछने पर मालूम पड़ा कि वह किताब फर्स्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। चिट्ठी लिखने के महीनों पहले रिव्युअर्स ने उसे फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया था। रिव्युअर्स कौन थे, यह अब तक नहीं मालूम है। रिव्युअर के पास जब वह किताब गई तो उन्होंने उसको फर्स्ट डिक्लेयर किया। रिव्युअर्स की रिकमन्डेशन हैड रिव्युअर के पास जाती है। हैड रिव्युअर के बाद वह रिकमन्डेशन गवर्नमेन्ट के पास जाती है। हैड रिव्युअर ने इस किताब को सेकन्ड डिक्लेयर किया और वह रिकमन्डेशन यों की यों सरकार के पास गई। रिव्युअर्स ने उसे फर्स्ट डिक्लेयर किया, हैड रिव्युअर ने सेकन्ड डिक्लेयर किया और उसके बाद गवर्नमेन्ट के पास चली गई। इन रिकमन्डेशन्स के जाने के बाद टेक्स्ट बुक्स के सिलसिले को लेकर चर्चाएं चलीं, पुलिस केस भी बना, इन्क्वायरी भी बनी और वह अभी तक चल रहा है। वह दूसरों के सम्बन्ध में था। इस किताब से कोई खास सम्बन्ध नहीं है। हैड रिव्युअर ने जिस किताब को फर्स्ट डिक्लेयर किया था, उसके पब्लिशर को गवर्नमेन्ट ने ब्लेकलिस्ट में कर दिया। उसको ब्लेकलिस्ट में कर दिया तो जो सेकन्ड किताब थी, वह ऑटोमेटिकली

[श्री मथुरादास माथुर]

एक्सेप्ट हो गई। १२ महीने बाद एक्सेप्ट करके डिक्लेयर कर दी गई। १२ महीने से यह किताब चल रही है। यह किस्सा और तराना है जो मैंने सदन के सामने रख दिया। फिर मैं समझता हूं कि इस बात में जिस बात के लिए, इस किताब के लिए यह चिट्ठी लिखी गई थी तो किताबों के रिव्युअर्स और हैड रिव्युअर के अन्दर डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन का कहीं नाम भी नहीं आता।

दूसरी और सूचना देना चाहता हूं कि इन टेक्स्ट बुक्स के मामले में डिप्टी डाइरेक्टर मि० कुम्भारे ही सब कुछ किया करते थे। डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। टेक्स्ट बुक्स के काम को वे ही सम्हालते थे। उन्होंने उनकी रिकमन्डेशन डाइरेक्ट गवर्नमेन्ट के पास भेज दी। यह किताब सिलेक्शन में आई, लेकिन जिन साहब को चिट्ठी लिखी थी, उनको वह चिट्ठी मिली नहीं और पूछने पर पता चला कि जिन साहब को चिट्ठी लिखकर दी, उन्होंने इस चिट्ठी को रख लिया और डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को नहीं दी क्योंकि उनका इससे सम्बन्ध नहीं था, इसलिए चिट्ठी दी नहीं। यह चिट्ठी उनके पास में रखी रही। उनके यहां से कैसे गायब हुई, साथी एच. के व्यास को कैसे मिली, यह किस्सा मैं नहीं जानता। बीच में ही गायब हो गई या उनके दफ्तर से निकाली गई, यह तो वे ही बता सकते हैं। इस बात से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। वह चिट्ठी जो मेरे हाथ की है, वह डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के काम में इन्टरफियरेन्स करने के आधार पर नहीं लिखी गई थी। वह सिर्फ इसलिए लिखी गई थी कि इस किताब को रिव्युअर्स के सामने रखें। यह मेरिट्स पर साउन्ड किताब है। जो एन्क्वायरी चल रही है वह इस किताब पर नहीं चल रही है, इसलिए डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को इशारा नहीं किया। वह इशारा भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वह कन्सर्न्ड आदमी नहीं रहे। वह रास्ते में ही उड़ा ली गई। यह चीज बहुत पुरानी है। श्रीमन् राजप्रमुख के दो भाषण हो चुके और २ बजट भी निकल गये, उनमें कोई जिक्र नहीं किया गया। यह चिट्ठी किसी खास वजूहात के लिए निकाली गई। यह कोई नई चीज़ नहीं है। आप और हम ऐसा कई दफा करते हैं। मैंने राजप्रमुख के अभिभाषण के समय भी यह कहा था जब कि श्री त्यागीजी ने कोटा के कांग्रेस प्रेसीडेन्ट की बात कही थी, उसको फिर दोहराता हूं। सरकार के अफसरों और मिनिस्टरों के पास एम. एल. एज़ कई बाते हम एक दूसरे से कह देते हैं। पब्लिक मेन और वर्कर्स के नाते हम आम तौर पर कहते हैं और कहने का हमें हक भी है, हरेक नागरिक का हक है। उस पर क्या फैसला गवर्नमेंट करे, क्या फैसला अफसर करे, यह उस पर है। किसी को कोई बांध नहीं सकता है। कहने का अधिकार हमको है। इसी आधार पर चिट्ठी लिखी थी। इसके अलावा कोई विचार नहीं था और जो यह विचार था, वह पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वह आदमी उससे कन्सर्न्ड नहीं था।

इस खुलासे के बाद अब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो साथी चिट्ठी लाये हैं, वे यहां नहीं हैं फिर भी मुझे कुछ कहना पड़ेगा कि इस चिट्ठी के लिखने को वे करप्शन कहना चाहते हैं। वे इसी तरह उसे करप्शन कहना चाहते हैं जैसे कि मेरे साथी एच. के. व्यास से पूछा कि आन्ध्र में कॉम्युनिस्ट कैसे पिट गये; तो उन्होंने कहा कि डिब्बे टूट गये, बैलट बोक्सेज़ चम्पत हो गये। उनको कांग्रेस की कोई भी इज्जत बढ़ती है या कोई एक्टीविटी होती है तो वह उनके लिए करप्शन का बायस बन जाता है, यह उनके सोचने का तरीका है। वे उसको भ्रष्टाचार कहते हैं, लेकिन किसी की चिट्ठी ले आना, उड़ा

[श्री मथुरादास माथुर]
लाना यह कौन सा 'चार' है। उसका उत्तर तो वे ही दे सकते हैं। वे बतायेंगे सदन के सामने क्योंकि उन्होंने यह हौसला किया है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे साथी श्री एच. के. व्यास भी कई दफा हमको, मिनिस्टरों को मजबूर करते हैं। अभी यहां कॉलेज के अन्दर एडमिशन हुए और इस सिलसिले में हड़ताल भी हुई, उनके एक कम्युनिस्ट साथी थे उनको एडमिशन नहीं मिला तो वे कई दफा मुझे बार बार टेलीफोन करते रहे कि प्रिन्सीपल वर्मा को कह कर या एजुकेशन सेक्रेटरी को कहकर इसका एडमिशन दिला दीजिये। यह श्री एच. के. व्यास करते हैं और भी कितने ही करते हैं। इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस लेवल पर वह उतर आये हैं, इसलिए कर रहा हूं...

श्री गोपीलाल यादव—अब वे वहां कालेज में कॉम्युनिज्म का प्रचार कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर—उसका आपको परिचय होगा। मगर मैं आपको कह सकता हूं कि किस तरह का दबाव वे डालते हैं, पी. ए. सी. के मेम्बर के नाते न जाने क्या क्या होता है; उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस चिट्ठी में यह लिखा हुआ है 'Keep in view this book' इसको ज्यादा से ज्यादा तोड-मरोड़ कर हम यही कह सकते हैं कि यह सिफारिश की है कि इस किताब का खयाल रखें, लेकिन वह सिफारिश की गोली भी उधर लगी जो कि कन्सन्र्ड आदमी नहीं है, वह बेकार गई।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—गोली तो लग गई।

श्री मथुरादास माथुर—मैं इससे इन्कार नहीं करता कि कई दफा इधर उधर अफसरों और मिनिस्टरों की कुछ बातों के लिए व तबादलों के लिये पालीवालजी ने भी कहा होगा (करतल ध्वनि) वह उस वक्त वाजिब किये होंगे, लेकिन अब बदले हुए वातावरण में वही चीज़ गैरवाजिब बन गई है। मुझे इससे इन्कार नहीं है कि वह चिट्ठी मेरी लिखी हुई है, लेकिन उस चिट्ठी का पूरा हवाला यह है कि चिट्ठी लिखाने वाले को उस चिट्ठी का कोई फायदा नहीं मिला और जिनके नाम यह लिखी गई थी उनको नहीं मिली, चिट्ठी बीच में ही उड़ा ली गई। कॉम्युनिस्ट टेक्टिक्स हैं और रात में अखबारों में प्रचार हुआ। इसके लिए मुझे भी खुशी है कि मेरा नाम मशहूर हुआ...

श्री अध्यक्ष—Why not the day and only the 'night' (हंसी)

श्री मथुरादास माथुर—अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं। सदन का समय लिया उसके लिए माफी चाहता हूं। व्यक्तिगत मामले को लेकर इसके ऊपर सरकारी तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर ही ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे, गवर्नमेंट के रेकॉर्डस देख कर चिट्ठी लिखने के पहले ही उस किताब का फेट तय हो चुका था, इसलिए कोई बात हो तो मिटीगेट हो जाती है।

श्री भैरोसिंह (वि० सं० १६)—चिट्ठी लिखने का मतलब उस व्यक्ति को नाजायज़ फायदा पहुँचाना तो था।

श्री मथुरादास माथुर—फायदा नहीं हुआ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—इन्टेन्शन तो यही था।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member must be given full opportunity.

श्री मथुरादास माथुर—श्री मुकर्जी तो एच. के. व्यास का इस मामले में साथ नहीं देंगे, क्योंकि वे सब से ज्यादा पर्सनली मुझे कहा करते हैं। वे तो कम से कम इस बात की सहायता नहीं देंगे और आगे से भी ख्याल रखेंगे। कम से कम एम. एल. एज. तो मिनिस्टर्स को परेशान न करें कि यह काम करो, इसको तरक्की दे दो। तो कम से कम मैं श्री मुकर्जी से तो आशा नहीं करता कि ऐसा कहें।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मिनिस्टर फॉर इण्डस्ट्रीज़ आज यहां पर मौजूद नहीं हैं। जिस तरह उन्होंने फर्टिलाइजर्स के कारखाने को खोलने के मामले को लेकर, केस तैयार करके भारत सरकार को रिप्रेजेन्ट किया है और हनुमानगढ़ में सोडियम सल्फेट की फैक्ट्री खोलने की कोशिश वे कर रहे हैं जो वाकई सराहनीय कार्य हैं; उसी तरह का एक केस सोडियम सल्फेट का डीडवाना का है, जिसके लिए भी उनको कोशिश करनी चाहिये।...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या हम यह समझें कि फर्टिलाइज़र का केस मंजूर हो गया?

श्री मथुरादास माथुर—उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अच्छा केस बनाया, एक्सपर्ट्स ने उनकी ताईद की, इसके लिये उनको मुबारकबाद देना चाहिये। अब आप और हम कोशिश करें और भारत सरकार पर दबाव डालें ताकि वह काम जल्दी पूरा हो जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं तो इन्ट्रेस्टेड बीकानेर में हूं ही।

श्री मथुरादास माथुर—हनुमानगढ़ भी बीकानेर में ही है। यह ५० करोड़ की स्कीम है, यह जान कर आपको खुशी होगी।

सोडियम सल्फेट का मामला कई दिनों से चल रहा है। भूतपूर्व इण्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर साहब के सामने भी यह केस रख चुका हूं। लाखों रुपयों का माल वहां तैयार पड़ा है, पर कोई खरीददार नहीं हैं। हमारे माल की खपत बढ़े, मजदूरों को धंधा मिले और डिपोजिट्स भी बढ़ें इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिये आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर इसमें तरक्की होगी तो सरकार को रॉयल्टी भी ज्यादा मिलेगी। इस साल २० लाख रुपये सरकार को सोडियम सल्फेट से रॉयल्टी के मिले हैं। अगर कोशिश करेंगे तो सोडियम सल्फेट की कीमत ज्यादा मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जवाई का बांध करीब करीब कम्पलीट हो चुका है और उसका कमान्डिग एरिया जो है, उसकी वृद्धि की जा रही है। मैं यह अर्ज करना चाहता

[श्री मथुरादास माथुर]

हूँ कि जवाई को यदि पाली से मिलाया जाय तो उसकी नहर के बीच में थोड़े से मीलों का अन्तर है। जवाई से आनेवाली नहर जहां आकर रुक जाती है, वहां से पाली १६ मील की दूरी पर है। पाली से दूसरी नहर जोधपुर तक जाती है। यदि यह १६ मील का नहर का टुकडा बढ़ा दिया जाय और जवाई और पाली का पानी एक कर दिया जाय तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां पानी बिल्कुल नहीं मिलता और जहां खेती नहीं होती, वहां खेती होने लग जाय और शहर को भी जो पानी की तकलीफ है, वह दूर हो जाय। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। केवल १६ मील लम्बी नहर बनाने का प्रश्न है। उस इलाके में जहां कुओं में पानी नहीं हैं, नहर आने से वहां पानी की कमी नहीं रहेगी। जिस तरह जवाई का कमान्डिग एरिया बढ़ाया जा रहा है, वहां कुए भी बहुत हैं और उनमें पानी का लेवल भी ऊंचा है और पानी भी काफी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि, इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब तो आज यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे।

इसके साथ ही में यह अर्ज करना चाहता हूं कि सीकर और झुंझुनूं जिलों का कुछ इलाका ऐसा है जहां पर भाखरा और चम्बल की योजना से पानी नहीं पहुंच सकता। इन इलाकों की ऊंचाई काफी होने से वहां नहर से पानी नहीं आ सकता। लेकिन पानी लिफ्ट करने की योजना यदि काम में लाई जाय तो इन इलाकों को भी पानी मिल सकता है और बीकानेर और जैसलमेर की ३०-३० लाख एकड़, कुल ६० लाख एकड़ जमीन को और चूरू व नागोर जिलों को भी इससे पानी मिलने लग जायगा। यदि राजस्थान सरकार इसमें दिलचस्पी ले और भारत सरकार भी दिलचस्पी ले तो सीकर, झुंझुनूं और नागोर के इलाकों को पानी लिफ्ट करने से मिल सकता है, जिससे लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। उस जमीन में उपजाऊपने की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन पानी की कमी के कारण वहां केवल एक फसल होती है और वह भी कहतसाली की वजह से कभी होती है और कभी नहीं भी होती है। इसलिए यहां के किसानों की हालत बहुत खराब है, वे बहुत गरीब हैं। यदि सरकार इसमें दिलचस्पी ले तो उनका भला हो सकता है।

इसके साथ ही मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वह बात यह है कि सदन के सामने इस ओर से और उस ओर से काफी चर्चाएं वाटर बोर्ड को लेकर हुई हैं। उस वाटर-बोर्ड का मैं भी एक मेम्बर हूं। इसलिये कुछ बातें मैं इस संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। वैसे तो मन्त्री कन्सर्न्ड बाद में उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वाटर बोर्ड को लेकर इतना वाद-विवाद हुआ और जितना खतरा उन लोगों के दिमाग में आया, वैसी खतरे की बात दर-असल में है नहीं। वाटर बोर्ड बनाने की योजना काफी पहले से ही चल रही थी और आखिर में वह बोर्ड बना जिसमें २३ सदस्य लिये गये। उनमें से ५-६ व्यक्ति ऐसे हो सकते है, ज्यादा से ज्यादा गिने जांय तो ७ व्यक्ति बाहर के हैं और जिनका खेती-बाड़ी का धन्धा नहीं है, लेकिन वे राजस्थान की जन-सेवा के कार्य में हर वक्त दिलचस्पी लेते हैं और काफी दिलचस्पी लेते हैं। उन २३ सदस्यों में से ६ आदमी ऐसे हैं, जिनको कलकत्ता के सेठों के नाम से पुकारा जाता है और जिनके बारे में काफी टिप्पणी है। बाकी १० आदमियों में से राजस्थान के मन्त्री, पार्लियामेन्ट के सदस्य, इस विधान सभा के सदस्य या रचनात्मक कार्य-कर्ता हैं, जो किसी पार्टी के नहीं हैं। इस प्रकार का बोर्ड बना है। उसको ५० लाख

[श्री मथुरादास माथुर)

रुपये फिलहाल खर्च करने के लिये दिये गये हैं और वे ५० लाख रुपये सरकार की रेवेन्यू एजेन्सी के मार्फत खर्च होंगे; कलेक्टर, एस. डी. ओ. या तहसीलदार की मार्फत खर्च किया जायगा। रुपये-पैसे नॉन ऑफिशियल एजेन्सी के पास नहीं रहेंगे। कमेटीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाई गई हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ लोग रह गये हों। इसके लिये मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि जो लोग रह गये हैं उनको और रख लिया जाय। वह कमेटी अपने-अपने इलाके में बैठकर जो दरख्वास्तें उनके पास आई हैं, उनके आधार पर फॉर्म भरेगी और फिर नक्शा बना कर सिफारिश करेंगी केन्द्रीय बोर्ड को कि हम इन-इन जगहों पर टैंक या नये कुए बनवाना चाहते हैं या जो पुराने कुए बर्बाद हो गये हैं, उनकी मरम्मत करना चाहते हैं और इनमें जो खर्चा लगेगा उसका एक तिहाई रुपया उस गांव वाले देंगे और दो तिहाई रुपया सरकार देगी। इस तरह की सिफारिश सेन्ट्रल बोर्ड के पास आयेगी और बोर्ड उस पर विचार करके जो निर्णय करेगा, वह निर्णय बोर्ड के चेयरमेन द्वारा कलेक्टर के पास भेज दिया जायगा और कलेक्टर की मार्फत काम कराया जायगा। जिन गांवों में ग्राम पंचायतें कायम की हुई हैं, वहां पंचायतों की मार्फत काम कराया जायगा और जहां पंचायतें नहीं है, वहां कमेटी की मार्फत काम होगा। जहां पंचायतें हैं और वे काम नहीं करना चाहती हैं या दल विशेष के कारण झगड़ा हो गया है तो वहां कमेटी बनाकर काम कराया जायगा। इसलिये पंचायतों को इससे अलग नहीं किया गया है और जहां पंचायतें हैं वहीं काम हो, ऐसा भी नहीं है। जिन गांवों की वाटर कंडीशन खराब है, जहां पानी का लेवल नीचे है, जहां पानी पहुंचने का दूसरा कोई साधन नहीं है, वहां पानी का इन्तजाम इसके द्वारा किया जायगा। जहां पानी मिलता तो है, लेकिन अच्छा नहीं मिलता और वहां के लोग मांग करते हैं तो उनकी मांग भी ठीक है लेकिन जहां कतई पानी नहीं मिलता उन जगहों को हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। वहां यदि ज्यादा रुपया दिया जाय तो मैं समझता हूं रुपया ज्यादा देना अनुचित नहीं होगा और वाजिब होगा, न्यायसंगत होगा। इसलिये जो रोष इस बारे में प्रकट किया गया है, उसकी इज्जत करता हुआ मैं यह कहूंगा कि सरकार का ध्यान बराबर इस ओर गया है कि उनका असंतोष दूर हो। मुझे उम्मीद है कि सदन का हरेक सदस्य इसमें सहयोग देगा और इसे कामयाब बनायेगा। अब हमारे पास एक साल का अर्सा रह गया है, जिसमें हमें करीब १२ करोड़ रुपये खर्च करने हैं यानी १ करोड़ रुपये हर महीने में खर्च करने हैं, इसलिये सरकार चाहती है कि इसमें सब का सहयोग मिले। राजनैतिक बातों के लिये कई पहलू हैं, लेकिन इस काम में सभी सहयोग दें तो मुझे उम्मीद है कि बोर्ड कामयाब होगा। इसके माने यह नहीं है कि यह बोर्ड रुपये खर्च करने की एजेन्सी है। रुपये खर्च करने की एजेन्सी सरकार ही है। इसलिये सरकारी और गैर सरकारी सभी लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिये।

फिर भी अगर इस प्रकार के कामों को नपुंसकता कहें, कमजोरी कहें, हमारी मांगों को मंजूर करना अगर नपुंसकता है, अगर ऐसी सरकार नपुंसक है तो हम उसे बधाई देते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप क्या समझते हैं सरकार को !

श्री मथुरादास माथुर—मैं तो वही समझता हूं जो आप समझते हैं, और आप इसे नपुंसक नहीं समझते।

[श्री मथुरादास माथुर]

इस बोर्ड के विषय में जो कुछ मैंने खुलासे से अर्ज किया है, उससे मैं समझता हूं, मित्रों में किसी वजह से जो असंतोष रहा है, वह दूर होगा।

इसके साथ-साथ मैं दो-तीन बातें और अर्ज करना चाहता हूं। जैसे इस बहस के दौरान में कई बातें कही गई हैं और कई बातें कही जानी चाहिये इस मौके पर; मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस मौके पर बातें अवश्य कही जायं पर यह ज्यादा अच्छा होता कि इस बजट के विषय पर वाद-विवाद करते वक्त छोटी-छोटी बातों को तूल न देकर सुझाव दिये जायं, जैसे अभी हमारे साथी यादव साहब ने दिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Changes on both sides.

श्री मथुरादास माथुर—He has already changed.

इसलिए इसका खयाल रखना चाहिये। किसी एडमिनिस्ट्रेशन में एक आदमी बैठता है तो ५० तरह से बातें करता है, किसी काम को ठीक समझता है तो करता है, ठीक नहीं समझता है तो नहीं करता है। किसी काम को ठीक समझने में अलग-अलग आदमी के अलग-अलग दिमाग होते हैं। ऐसा वक्त आया कि वे ट्रेज़री बैंचेज़ में न रहें और फिर नुक्ते निगाह से टिप्पणी करें, पर यह शोभा नहीं देता। ठीक है तबादले होते आये हैं; तहसीलदारों के और दूसरे ऑफिसर्स के तबादले होते आये हैं, पर एक तहसीलदार को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाय, यह शोभा नहीं देता।

श्री वेदपाल त्यागी—उसकी इम्पोर्टेंस तबादले से बढ़ गई है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—तीन महीने में ६ दफा ट्रान्सफर्स हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर—और भी कई बातें की गईं। उदयपुर पॉवर हाउस की भी कही गई। मैं तो अपनी जुबान से उन बातों का ज्यादा खुलासा करना उचित नहीं समझता, क्योंकि सम्बन्धित मन्त्री महोदय ही ऐसा करेंगे और करना चाहिये। फिर भी ये बातें ऐसी है जो आम लोगों को मालूम नहीं है कि फाइल पर क्या है ? फाइल पर है कि नहीं, यह जिन लोगों को मालूम है, उन्होंने अब कहना शुरू किया है, तो जवाब भी अब शुरू होगा।

हर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोमोशन होते हैं, तबादले होते हैं। पहले से होते आये हैं, उनके समय में भी हुए हैं और आयन्दा भी होते रहेंगे।

हमें देखने की बात जो है वह यह है, जैसा कि यादवजी ने कहा कि हमें यह देखना है कि इस बजट में आम मजदूरों और किसानों को कितना ऊंचा उठाया गया है, उनका तबका कितना ऊंचा उठा है, पब्लिक एमिनिटी के लिये क्या कितना खर्च किया गया है, पुलिस के खर्चे में कितनी कमी की गई है; ये सब बातें देखने की और बोलने की हैं। पिछले साल पुलिस का खर्चा ज्यादा आया था तो कहा गया था कि यह तो पुलिस राज है और अब पुलिस पर खर्चे को कम

[श्री मथुरादास माथुर]

किया गया तो कहा गया कि पुलिस पर खर्चा कम क्यों किया गया ? तो इस तरह की जो ये बातें की जाती हैं वे समझ में नहीं आतीं। यह तो कहने का हक हो सकता है कि बजट में जो खामियां हों उनके बारे में कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दें, और वह सुनने का हमारा फर्ज है। जैसे कि इस बजट में कन्ट्रक्टिव सुझाव आये हैं, उनके बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार उन्हें स्वीकार करे।

श्री श्रीदास गोयल—सर्विसेज़ की पवित्रता के संबंध में दो शब्द और कह दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर—वह तो पवित्र है ही, कहने की जरूरत नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, जब आवड़ी कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास किया जा रहा था कि कांग्रेसका उद्देश्य सोशयलिस्टिक पेटर्न के आधार पर कल्याणकारी राज्य बनाना है और हमारे यहां के अखबारों में निकल रहा था कि हमारे यहां नौजवान सरकार बनी है तो मुझे आशा हुई थी कि इस रिज़ोल्यूशन के आधार पर हमारे नौजवान वित्त-मन्त्री महोदय भी इस साल अपना लेखा जो पेश करेंगे उसमें हम लोगों को आशा का संचार होगा और हम लोग देखेंगे कि जो रिज़ोल्युशन कांग्रेस द्वारा पास किया गया है, उसको क्रियान्वित किया जायगा। फिर वित्त-मन्त्री महोदय ने जब बजट पेश किया और जब वे अपना बजट-भाषण पढ़ रहे थे तो उस वक्त इच्छा हुई कि भाषण पढ़ते पढ़ते ही हम उन्हें मुबारिकबाद दें। जब उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन पर खर्चे में कमी की गई है, उन्होंने पुलिस पर कम खर्चा किया है, उन विभागों पर जो वास्तव में कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये काम करते हैं, खर्चा बढ़ाया है, तो यह ऐसी बातें थीं कि जिनसे सहसा हर एक के मन से धन्यवाद का प्रस्ताव निकलना चाहिये था, पर जब मैंने इस बजट को अच्छी तरह से देखा तो असलियत का पता चला। मेरे साथी श्री एच. के. व्यास ने तो इसे विन्डो ड्रेसिंग बताया है, पर मैं तो यह कहूंगा कि यह जग्लरी ऑफ फीगर्स हैं। कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये, जैसा कि मैं इस सदन में पहले भी अर्ज कर चुका हूं, हमारे प्रशासन पर खर्चा कम हो। हमारा राज्य चला रहें हैं उनको, जो सदन में बैठे हुए हैं उनको, जो सदन द्वारा पास किये हुए बजट को क्रियान्वित करते हैं उनको धन्यवाद देते अगर सामान्य प्रशासन के खर्चे में वास्तव में कमी कर सकते।

राजस्थान में आई. ए. एस. का फ्लड आया और प्रशासन के खर्चे में कमी आई है, यह कैसे वित्त-मन्त्री महोदय ने हिसाब बैठाया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। एक तरफ तो तनख्वाहें इतनी कर दीं कि ७०० रुपये जो पाते थे उनके १२००, १५०० और १७०० कर दिये और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि प्रशासन के खर्चे में कमी हो गई है। यह समझ में आने वाली बात नहीं।

मैं सदन का ध्यान उन आंकडों की तरफ दिलाऊंगा। सामान्य प्रशासन के हैड में डेवेलपमेंट सीगे में २५०००० रूपये रखे गये थे, वे उसमें से उठा कर दूसरे मद में डाल दिये गये हैं। इसलिये ३ लाख रूपये की खर्च की कमी सामान्य प्रशासन में आई है, परन्तु वास्तव में सामान्य प्रशासन में २२-२३ लाख रूपयों का खर्च बढ़ा है और सामान्य प्रशासन में यह बाईस-तेईस लाख रूपया खर्चा बढ़ा कर हमारे वित्त-मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमने सामान्य प्रशासन के खर्चे में कमी की है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

आज हमें जरूरत इस बात की थी कि वास्तव में सोशयलिस्टिक पेटर्न के आधार पर अगर अपने राज्य को चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर होने वाले खर्चे में कमी करें। अभी वैसे मिनिस्टरों के मद में ७ लाख रुपयों की वृद्धि हुई है। मिनिस्टर्स कल तक कॉमनर्स थे, जो साधारण आदमी की तरह रहते थे, आज उन्हें विशेष कार्य सौंपा गया है और फिर किसी वक्त उसी तबके में चले जायेंगे। उन्हें अपने ऊपर खर्च नहीं बढ़ाना चाहिये और यह जो ७०००९० का खर्चा बढ़ा है वह इसलिये बढ़ा है; हमारे एम. एल. एज. के नैतिक स्तर को गिराने के लिये संख्या बढ़ाते हैं, चाहे वे, जो उनके हैं वे काबिल हों या न हों, उन्हें मिनिस्टर बनाना पड़ता है और खर्चा बढ़ाना पड़ता है।

मैं अर्ज करूंगा कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये जो ये इस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं, इनसे कल्याणकारी राज्य नहीं बनेगा।

मैं यह कह रहा था कि जिस जगह काम होना चाहिए उस जगह मुझे काम होता नजर नहीं आता।

फिर देखा जावे तो मेन दावे की चीज़, जिसके बारे में कहा गया है कि हम कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं वह है शिक्षा-विभाग। इसमें किस प्रकार की तरक्की की जा रही है जिसकी आपने दुहाई देने का प्रयत्न किया है। एक बात इस संबन्ध में मैं कह देना चाहता हूं कि शिक्षा के लिये अब तक जो कार्य हुआ है और प्रगति हुई है, भारत की आजादी के बाद वह नगण्य है और अभी तक वही पुरानी शिक्षा-पद्धति चली आ रही है जो लॉर्ड मेकॉले ने भारतीयों को गुलाम बनाने के लिये शस्त्र बनाया था, जिसमें गुलाम बनाये जाते थे उसके लिये आप गर्व कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। वही पद्धति चल रही है। शिक्षा में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसी तरह से आउट लुक में चैंज नहीं है जिससे कि उनको वास्तविक नागरिक बनने में सहायता मिले।

इसके अलावा जो जो आप करने जा रहे हैं उसका पता बजट से चलता है। मैं माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर का ध्यान शिक्षा विभाग की ओर दिलाना चाहूंगा, जहां उन्होंने प्राइमरी एज्युकेशन पर सन् १९५४-५५ के बजट में ८२ लाख ५८ हजार की रकम दिखाई है। उसको कम करके ५५-५६ में ५२ लाख १३ हजार ५०० किया है। अभी फाइनेन्स मिनिस्टर अपनी गर्दन हिला रहे हैं। मैं आंकड़े पढ़ रहा हूं, हो सकता है कि आंकड़े गलत हों। मैंने देखा कि आखिर यह कमी क्यों हुई? एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि हम प्राइमरी एज्युकेशन को बढ़ा रहे हैं और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, मगर बजट में देखने से मालूम होता है कि बजट कम किया जा रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि वास्तव में जो कहा जा रहा है कि शिक्षा दी जा रही है और लोग शिक्षित बनाये जा रहे हैं, शिक्षित बनाये जा रहे हैं या गुलाम बनाये जा रहे हैं, वे भारतीय बनाये जा रहे हैं या गुलाम बनाये जा रहे हैं? जैसा भी बनाना है, बना रही है।

मैंने देखा, मास्टरों की संख्या पिछले वर्ष १९५४-५५ में ज्यादा थी। इस में ठीक तरह नहीं छपी है फिर भी पढ़ देता हूं, वह ८७४३ थी और अब संख्या हो गई है ५०९३ और उन पर व्यय

[श्री वेदपाल त्यागी]

जो किया जाता था वह था ४३६२६०० रु० और अब हो गया है २८६७०४० रु० । इसको देखने से मैं यह अर्ज करूंगा कि कल्याणकारी राज्य का नमूना हमको मिलता है कि हम लोगों को किस प्रकार शिक्षित करने के लिए हम धन का व्यय कर रहे हैं। हमारा बजट ही इस बात का द्योतक है कि हम अपनी आमदनी को किस तरह खर्च करने जा रहे हैं और इससे सरकार की नीति मालूम होती है। आवड़ी अधिवेशन में जो रिजोल्युशन पास किया गया था, उसका प्रभाव तो इस बजट के किसी भी एक कोने से प्रकट नहीं होता है बल्कि सदन में दो दिनों से जो भाषण हो रहे हैं और सदन के बड़े बड़े मुख्य व्यक्ति इस तरफ ध्यान दिला रहे हैं, उससे यह मालूम होता है कि हमारे मूल में कहीं गलती है। डेमोक्रेसी चलाने का काम हमारे उपर आया है। हम इस तरह से चल रहे हैं कि जिससे चन्द व्यक्तियों को उससे फायदा हो और दूसरों को कोई फायदा नहीं हो। इसके अतिरिक्त मैंने उन विभागों को भी देखा जिनमें जन-संस्थाओं के सहयोग से लाभ हो सकता और हमारी कोऑपरेटिव स्पिरिट नजर आ सकती है। मैंने सारी जगह दृष्टि दौड़ाई, मगर मुझे इस प्रकार कोऑपरेटिव स्पिरिट के संबन्ध में एक चीज़ भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। यह सत्य है कि हमारे देश में पंच-वर्षीय योजना चल रही है। मगर इस संबन्ध में जो काम हुआ है उसमें आप मुझसे भिन्न मत नहीं रखते और मेरा यह मत है कि इसमें अब तक जो प्रगति हुई है, वह ठीक नहीं हुई है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा है कि जो काम बचा है, उसको हम इस वर्ष में कर देंगे। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से फिर पूछना चाहता हूं कि पिछले ४ वर्ष गुजर चुके हैं और हम पिछले चार सालों में जिस काम को नहीं कर सके उसके लिये यह कैसे आशा कर सकते हैं कि यह काम जो बचा है-उसको इस वर्ष में कर लेंगे। हो सकता है कि नौजवान सरकार बनी है, नौजवानी के जोश में ऐसा कर लें मगर मैं यह कहता हूं कि सरकार को चलाने के लिये मंत्रियों का काम ही नहीं है। जो काम आज तक चार वर्षों में नहीं हो सकता, इस वर्ष में भी नहीं हो सकता क्योंकि लोग तो काम करने वाले वे ही हैं, जो पहले करते थे। एक साल में आपकी पंच-वर्षीय योजना का ५० प्रतिशत बचा हुआ काम नहीं हो सकता। वे इसे कैसे पूरा कर लेंगे? जब कभी पूछा जाता है तो यह कहा जाता है कि बड़ा डिवीज़न था, एरिया बहुत था, इसलिये उसमें इतना काम ही हुआ। पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो सड़कें ली गई उनकी क्या हालत है, आप जानते ही हैं। इटावा और कोटा का मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक सड़क १३ मील बनी हुई थी और पंच-वर्षीय योजना में वह सड़क १६ मील लम्बी हुई। यानि वह सडक ३ मील आगे बढ़ी और उसके आगे बढ़ी नहीं। जो सड़क पंच-वर्षीय योजना में १६ मील तक बने तो मैं यह विश्वास करने को तैयार नहीं हूं कि वास्तव में आप जो दावा करते हैं कि इस वर्ष पंचवर्षीय योजना के बचे हुए काम को आप कर देंगे, यह मुश्किल है। जब सरकार ने ४ साल में ३ मील लम्बी सड़क कोटा डिवीज़न में बनाई है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको भी तीन महीनों से ज्यादा अर्सा शासन में आए हुए हो चुका है। हमने आपके काम भी देखे हैं, पहली सरकार के कामों को भी देखा है। आप लोगों में से बहुत से सदस्य पहले भी पहले की सरकार में मौजूद थे। शासन का ढांचा जिस तरह का बना हुआ है उसको भी हम जानते हैं और जिस तरह उन पर आपका निरीक्षण और कन्ट्रोल है, उससे भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि जो आशा आप लगाए हुए हैं कि आप इसी वर्ष में बचे हुए काम को पूरा कर देंगे, वह पूरा नहीं हो सकेगा और बाद में आप यह कहेंगे कि अब दूसरी पंच-वर्षीय योजना

[श्री वेदपाल त्यागी]

शुरू हो गई है । इस पंच-वर्षीय योजना में हम काम नहीं कर सके, मगर दूसरी पंच-वर्षीय योजना में हम जोरों से काम करेंगे ।

इस प्रकार की आशाओं से काम नहीं चलेगा, काम तो करने से चलेगा । इस तरह से काम नहीं होगा कि बजट में पंच-वर्षीय योजना में रुपया बढ़ा दिया जो भारत सरकार से मिला है । आप देख रहे हैं कि आपके शासन का ढांचा कैसा है और आप ठीक ही देख रहे हैं, इसलिए आप बोस्ट मत कीजिये कि हम यह सब कुछ एक ही वर्ष में कर रहे हैं । आप बड़े एनर्जेटिक हैं, लेकिन काम तो दूसरे ही करते हैं । वे अपनी तरह से काम करेंगे । सारे ढांचे को आप बदल नहीं सकते, इसलिये जिस तरह का मौजूदा शासन का ढांचा है, उसी से आपको काम लेना है । अतः जिस प्रगति से आज तक काम हो रहा है, उसे करना है । इसलिये आप जो यह नारे लगाते हैं कि आवड़ी अधिवेशन में आर्थिक नीति के सम्बन्ध में स्वीकृत किये गये प्रस्तावों के अनुसार, समाजवादी व्यवस्था के आधार पर एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है; इस बात को वित्त-मंत्री जी ने अपने भाषण में दो बार कहा है । दो बार कहने से मुझे शक होता है कि यह महज कहीं कागज़ी चीज ही तो न रह जावे । उन्होंने अपने भाषण में समाजवाद के पेटर्न को नहीं बताया कि वह किस प्रकार का सोश्यलिस्टिक पेटर्न होगा जो हम करने जा रहे हैं । हमको हर चीज़ को डी-सेन्ट्रलाइज करना चाहिये, ग्रामों की तरफ हमको बढ़ना चाहिए । आज हम देखते हैं कि ग्रामों के लोग भी शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और हर साल शहरों की आबादी बढ़ती जाती है क्योंकि गांवों में एम्पलॉयमेंट की कमी है । ग्रामों में लोगों को काम नहीं मिलता और वे काम की खोज में शहर में आते हैं और बस जाते हैं ।

लोग-बागों को काम नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है और वे सोच रहे हैं कि किसी मिल में नौकरी करने जायं । जमीन से जो पैदावार होती है, वह साइन्टिफिक तरीके से न होने सेपर्याप्त नहीं होती । वे लोग आधे नंगे, आधे भूखे रह रहे हैं । एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की चीजें तेजी से घटती जा रही हैं । नतीजा यह हो रहा है कि ग्रामवासी सोच रहे हैं कि शहरों की ओर बढ़ना चाहिए । सोश्यलिस्टिक पेटर्न में तो शहरों को ग्रामों की ओर ले जाना चाहिए, न कि गांवों को शहरों की ओर । इस बजट से कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती है कि बढ़ती हुई भुखमरी को यह रोकेगी और अनएम्पलॉयमेंट को रोकेगी । अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो रिपोर्ट आई, उसको मैंने देखा । एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने उसको लिखा है । उसको शुरू तो अच्छे सुन्दर ढंग से किया गया है, लेकिन एक पैरे के बाद ही जो सोश्यलिस्टिक पेटर्न का आधार है, उससे दूर चले गये हैं । गांवों की स्टेटिस्टिक्स नहीं मिली, नहो कह सकते कि गांवों को क्या असर हुआ ? शहरों की स्टेटिस्टिक्स मिली हैं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं । एजूकेशन के लिए उन्होंने लिखा है ! माननीय वित्त-मन्त्रीजी उस ओर ध्यान देंगे । उसमें उन्होंने लिखा है:—

"The system of education here is too academical and entirely out of touch with the real facts and needs of life and uneconomic conditions of our country which limit opportunity and opening for gainful vocation to our educated young-men and women."

[श्री वेदपाल त्यागी]

आज हमारी शिक्षा इस प्रकार की है कि जिससे हमको स्कोप नही मिल रहा है। उन्हें एम्प्लॉय करने के लिए और हमारी सरकार आज ग्रामीण जनता की दिक्कतों को बढ़ाती चली जा रही है, उसके लिए कोई अपनी योजना बनाने के लिए तैयार नहीं है कि इस बढ़ती हुई भुखमरी को और इस बढ़ते हुए अनएम्लॉयमेन्ट को किसी तरह रोकना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बजट ऐसा बजट है जिससे कि किसी व्यक्ति को यह इम्प्रेशन नहीं मिलता जो उसको गौर से देखे कि वास्तव में इस बजट को बनाने वाले किसी सोश्यलिस्टिक पेटर्न से प्रभावित हैं। उसके देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि सोश्यलिटिक पेटर्न बनाने के बजाय हम केपिटेलिस्टिक पेटर्न बनाना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा और वे उदाहरण हैं आपसे सम्बन्धित वित्त-मंत्री महोदय क्योंकि आज वित्त भी आपके पास है और लेबर भी आपके पास है। कोई मशीनरी ऐसी नहीं बनाई, सेट नहीं की कि जो रुपया इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को देकर इनके कारखानों में लगाया है, उनको किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। अभी थोड़े दिन हुए सीमेन्ट फेक्ट्री, सवाई माधोपुर का लेखा मेरे देखने में आया। मैं देखकर हैरान हो गया कि इसमें ७५ लाख रुपया हमारी स्टेट का लगा हुआ है और वह उस वक्त लगा था जिस वक्त कि जयपुर स्टेट थी। जो कॉन्ट्रेक्ट्स हुए, उनके देखने से अचम्भा हुआ कि आखिर हो क्या रहा है ? ये कॉन्ट्रेक्ट इस तरह किये थे कि किसी तरह लोगों को पैसा बनाना चाहिये। मैंने देखा है कि सीमेन्ट वह कमोडिटी है, जिसकी प्राइसेज कन्ट्रोल्ड हैं, बिक्री कन्ट्रोल्ड हैं, जो सीमेन्ट हमारे यहां प्रोड्यूस होती है सवाई माधोपुर में वह दूसरी फेक्ट्रीज़ से कहीं बेहतर है और उसका ज्यादा हिस्सा भाखरा में बिका है। लेकिन जब मैंने देखा तो देखता क्या हूं कि मशीनरी खरीदने के लिए प्राइवेट कम्पनी नई खड़ी करदी, जो कि एक घरू कम्पनी है। मशीनरी खरीदी गई और तमाम कमीशन उस कम्पनी को दे दिया। डेढ़ करोड़ रुपयों की मशीनरी खरीदी गई और उससे लाखों रुपयों का कमीशन बना और वह सेट डालमियाजी के पास गया। उन्होंने एल्बीरेज कम्पनी से ट्रक्स खरीदे, मोटर्स खरीदीं। उनकी हालत यह है कि वे ट्रक्स चल नहीं सकतीं, मोटरें चलती नहीं और ट्रान्सपोर्टेशन के लिए किराया देना पड़ता है। ये उन्होंने अपनी कम्पनी से खरीदीं। तमाम चीजें एल्बीरेज कम्पनी से खरीदीं और उसका मतलब यह हुआ कि वह रुपया सेठ डालमियाजी के पॉकेट में गया क्योंकि यह उनकी कम्पनी है।

कन्स्ट्रक्शन के लिए भी एक कंपनी बनायी। वह भी एक प्राइवेट कंपनी थी। जयपुर उद्योग कंपनी के साथ रहने से वह सब पैसा चला गया डालमियाजी की जेब में और जब बेलेन्स शीट बनी तो २६ हजार रुपयों का प्रॉफिट हुआ। उसमें एक एशिया उद्योग कंपनी लि० बनी जो उसकी सारी सेलिंग एजेन्ट थी। सीमेन्ट बनी वह जयपुर उद्योग लिमिटेड कंपनी के पजेशन में रही और जितनी सीमेन्ट बनी वह उसके गोडाउन्स में थी, उसको डाइरेक्ट भाखरा भेज दिया गया और दो लाख का कमीशन उधर दे दिया एशिया उद्योग कंपनी लिमिटेड को। मैं वित्त-मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि खून-पसीने से जो पैसा कमाये वह पैसा पहुँचे डालमियाजी के पास और उसके लिए आपके पास कोई कन्ट्रोल नहीं ! ७५ लाख रुपया जिस उद्योग में इन्वेस्ट कर दिया, डाइरेक्टर मौजूद हैं, उसको एक रुपया भी नहीं मिले और वह रुपया पहुँचे डालमियाजी के पास। फिर आप क्या कर रहे हैं ? क्या इसी को सोश्यलिस्टिक पेटर्न कहते हैं ? सोश्यलिस्टिक पेटर्न तो वह होना चाहिए कि जो वास्तव में मेहनत करते हैं, उनको फायदा मिले। लेकिन जो वास्तव में मेहनत करते हैं, उनको तो कुछ नहीं

[श्री वेदपाल त्यागी]

मिलता और जो मेहनत नहीं करते हैं उनको मिलता है और रास्ता देखते रहते हैं। कारण क्या है ? वित्त-मंत्री गौर से सुनेंगे कि हममें न मॉरल करेक्टर है और न करेज है। इसका अभाव है और एक चाय के प्याले और दो समोसों में हम डिमोरेलाइज़ हो जाते हैं।

(हंसी)

मैं निवेदन करूंगा कि हमें बड़े गौर के साथ देखने की जरूरत है। यह तो मैंने उदाहरण के तौर पर बताया। इस तरह लाखों रुपया गंगानगर और दूसरे उद्योगों में लगे हुए हैं। क्या एक पाई भी आपको मिलती है और फिर हम यह कहते हैं कि सोश्यलिस्टिक पेटर्न पर बजट तैयार किया है, यह कल्याणकारी राज्य का बजट है। यह कल्याणकारी नहीं। कल्याण होता है तो डालमियाजी साहब का होता है, किन्तु कल्याण उनका नहीं किया गया जो रात-दिन मेहनत करते हैं। कल्याण होता है डालमियाजी का कि जिन पर आप कोई कन्ट्रोल नहीं कर सकते।

इसके अलावा मैं उस बात का जिक्र नहीं करूंगा, जिसको मथुरादासजी ने लाइटली लिया। रिकमन्ड करना आसान चीज़ नहीं। एक किताब है, लिख दिया। मैं फेक्ट्स उनके सामने रख दूंगा और यह इतना आसान नहीं जितना कि मथुरादासजी ले रहे हैं और यह एक सीरियस चीज़ है और सीरियस चीज़ के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस को गौर से विचार करना चाहिए और यदि हाउस के मेम्बर ही इस प्रकार जिसका सर्विसेज़ पर, डिमोरेलाइजिंग इफेक्ट प्रेक्टिस करने लग जांय तो जो सोश्यलिस्टिक पेटर्न का दावा है वह केवल कागज़ों की चीज़ रह जायगी। किसी दिन इसका अवकाश आयगा और वह किस दिन आयगा, मैं बताऊंगा।

अब १२॥ बज गये हैं।

श्री अध्यक्ष—आप खत्म कर दीजिये।

श्री वेदपाल त्यागी—मैं आज खत्म नहीं कर सकूंगा। दस मिनट तो और लगेंगे ही।

श्री अध्यक्ष—आप खत्म कर दीजिये। एक बजे तक बैठ जायं।

श्री वेदपाल त्यागी—१२॥ तो बज चुके हैं। मुझे एक केस अटेन्ड करना है, मैं १२॥ बजे तक की छुट्टी लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष—This House is more important than the case.

एक माननीय सदस्य—क्लाइन्ट का भी इन्टरेस्ट मारा जायगा।

श्री अध्यक्ष—What is the wish of the House ?

हम बैठें या जायें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं तो यह ठीक समझता हूं आज एक बजे तक के लिये बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष—कल हम सुबह साढ़े आठ बजे से डिस्कशन शुरू कर देंगे। I suspend the Question Hours for tomorrow.

श्री मथुरादास माथुर—Will we close the discussions tomorrow ?

श्री अध्यक्ष—Yes, for the present we adjourn.

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३५ मिनट मध्याह्न में दिनांक १९-३-५५ के ८-३० प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान-सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१८ मार्च, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान-सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २३ का उत्तर देखिये)

Statement showing details of cows exported outside Rajasthan under Government sanctions during the year 1954-55.

	Government order No and date.	Party in whose favour permission of export of cows granted.	No. of cows allowed to be exported.	Name of state to which exported.	Name of place from where exported.	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	No. D-5530 SR/54, Dated 28-7-54.	Shri Ramanand Loco foreman. Northern Railway, Churu.	3.	Sirsa (Punjab)	Churu	
2.	No. 14 (2) SR/54, Dt. 12-8-54.	Goshala at Soro (Orrisa).	8.	Orissa	Alwar	
3.	No. F. 14 (2) SR/54, Dated 14-6-54.	Shri Santoksingh Inspector of works N. Railway.	1.	Sirsa (Punjab)	Merta Road. Jodhpur.	
4.	No. D-7409 SR/54, Dated 14-10-54.	Shri Secretary Goraksha Sangh, Nagpur, Madhya Pradesh, for Shri Krishna Goushala, Tumsar.	25.	Tumsar (M.P.)	Nagaur.	
5.	No. D-6119 SR/54, Dated 30-9-54.	Shri Tolaram Jalan.	1.	Bombay	Fatehpur. (Sikar).	
6.	No. 6952 SR/54, Dated 3-11-54.	Additional Director of Animal Husbandry, Patna, Bihar.	5.	Patna (Bihar)	Bikaner	

7.	No.D-8036 SR/54, Dated 6-12-54.	Shri Parmeshwar dass Acharya, Mathura. (U.P.)	1.	Mathura. (U.P.)	Alwar.
8.	No.D-9887 SR/54, Dated 24-12-54.	Shri Makhanlal, Jhunjhunuwala.	8.	Calcutta. (Bengal).	Bikaner.
9.	No. D-9/SR 55, Dated 6-1-55.	Shri Vishvanath Khemka of Jaipur.	1.	Beawar.	Jaipur.

—:o:—